छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2021

अध्याय -1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, सीमा और प्रारंभ :-

(1) इस नियम का नाम "छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2021" है।

(2) यह नियम राज्य के उन सभी अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित होंगे, जहां भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची लागू है।

(3) यह नियम "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ:

1.इस नियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(1) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है "पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 (संख्यांक 40)"।

(2) **"ग्राम"** साधारणतया आवास या आवासों के समूह अथवा बस्ती या छोटा गांव या छोटे गांव का समूह होगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंधन करता हो।

(3) **"ग्राम सभा"** से अभिप्रेत है, प्रत्येक गाँव के लिये ऐसा निकाय जो उन व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, जिनके नाम ग्राम स्तर पर या उसके ऐसे भाग में, जिसके लिए उसका गठन किया गया है, पंचायत क्षेत्र से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित है।

(4) **"लघु वनोपज"** से अभिप्रेत है जड़ें, कंद और पादप पौधों इत्यादि सहित सभी गैर-इमारती लकड़ी वन उपज तथा औषधीय पौधे इत्यादि।

(5) "**लघु जल निकाय**" का मतलब गाँव की पारंपरिक सीमा में आने वाले जल निकाय, जलीय संरचना, जलग्रहण क्षेत्र, प्रवाह तंत्र, तटीय क्षेत्र, भूमिगत जल या उसका कोई हिस्सा, चाहे उसका क्षेत्र कितना भी बड़ा हो. इसके अंतर्गत तालाब, झील, पोखर, डबरी, छोटी नदी, नाले या अन्य किसी नाम से जाने जानी वाली सभी संरचाये भी आएँगी.

(6) **"साहुकार"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ साहुकारी अधिनियम, 1934 के तहत परिभाषित साहूकार।

(7) **"वन्य जीव"** से अभिप्रेत है वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 से 4 में विनिर्दिष्ट पशु है जो प्रकृति में स्वच्छन्द पाए जाते हैं.

(8) **"जैव विविधता"** से अभिप्रेत हे जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 2(c) द्वारा परिभाषित

(9) **"सतत उपयोग"** से अभिप्रेत है की कोई भी संसाधन ऐसी मात्र तथा तरीके से उपयोग हो जिस से पर्यावरणीय क्षमता की खात्मा न हो तथा वर्त्तमान एवं भविष्य में मानव समुदाय उपयोग कर सकें

(10) **"सामुदायिक संसाधन"** से अभिप्रेत है सामुदायिक प्रायोजन के लिए ग्राम सभा के पारंपरिक सीमा क्षेत्र में अवस्थित प्राकृतिक संसाधन जिसमे भूमि, जल, वन, खनिज और अन्य संसाधन जो निजी स्वामित्व से अलग है, जो पारम्परिक रुढियों से चली आ रही है।

(11) **"परामर्श"** से अभिप्रेत है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा 41 (3) में दी गयी प्रक्रिया के अंतर्गत ग्राम सभा से अनिवार्य सहमति।

(12) **"ग्राम सचिव"** से अभिप्रेत है ग्राम सभा के कार्य संपादित करने हेतु ग्राम सभा द्वारा नियुक्त गाँव का व्यक्ति।

(13) **"परगना परिषद "** से अभिप्रेत है, परगना से आपसी संवाद के लिए निर्धारित इलाके अथवा ग्राम सभाओं की सभा की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आस - पास की ग्राम सभाओं के बीच समान उद्देश्य हेतु संवाद के लिए आम सहमति के आधार पर एक परगना परिषद का गठन होगा। जो की 10 या 10 से अधिक ग्राम सभाओ की पारंपरिक सीमाओं से मिलकर बना ऐसा विशिष्ट क्षेत्र जो की प्राचीन काल से अपने विशिष्ट पारंपरिक स्वरूपों के साथ बना हो तथा उसकी एक निर्धारित भौगोलिक सीमा तथा सांस्कृतिक व आर्थिक ढांचा (हजोर भूमकाल, पढ़हा, पंचायत, आदि) होगा।

(14) **"सहकारी सोसायटी"** से अभिप्रेत है सरकारी सोसाइटी से संबंधित किसी विधि के अधीन, जो राज्य के किसी क्षेत्र में ततसमय प्रवृत है, उस रूप में रजिस्ट्रीकृत सोसायटी ।

(15) **"सर्व सम्मति' अथवा "सर्व सहमति"** से तात्पर्य यह है की उपस्थित लोग प्रस्ताव से सहमत है एवं कोई भी उसके विरोध में नहीं है तथा निर्णय दबाव-मुक्त वातावरण में व विषय से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद लिया गया है। सर्व सम्मति के लिए बैठक में कोरम की पूर्ति होना आवश्यक है।

2. नियमों में प्रयुक्त शब्द और भाव अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, जैसा अर्थ अधिनियम में उन्हें दिया गया है, किंतु जो परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होगें, जो अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में उनके अर्थ हैं।

अध्याय -2

ग्राम सभा की संरचना और कार्य

पांचवी अनुसूची क्षेत्र में पेसा के अंतर्गत गठित ग्राम सभा शासन की बुनियादी इकाई है इसलिए संविधान के भाग 4 में निर्दिष्ट शासन के मूलभूत तत्व ग्राम सभा पर भी बंधनकारी होंगे. विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा.

3. ग्राम:

1 ग्राम की परिभाषा

ग्राम साधारणतया आवास या आवासों के समूह अथवा बस्ती या छोटा गांव या छोटे गांव का समूह होगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंधन करता हो ।

2 नए ग्राम का गठन

i. ग्राम वासी चाहे तो वह पूर्व से चली आ रही पारंपरिक/रूढिगत सीमा/सरहद क्षेत्र के अनुसार अथवा उसका विभाजन करते हुए नए ग्राम की स्थापना कर सकेंगे।

ii. इस हेतु वह ऐसे मोहल्ला, मजरा, पारा, टोला, आवास या आवासों के समूह, बस्ती, छोटा गांव या छोटे गांव का समूह, जो मिलाकर एक ग्राम बनाना चाहते है इस हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव विद्यमान ग्राम सभा/ओं के समक्ष रखेंगे जिसमे ऐसे प्रस्तावित नए ग्राम का नाम तथा उसके मुख्यालय का भी वर्णन रहेगा।

iii. अगर विद्यमान ग्राम सभा इस प्रस्ताव से सहमत है तो वह नए गाँव हेतु प्रस्तावित सीमा का नज़री नक्शा बनाते हुये वह इस आशय का प्रस्ताव पारित कर उस की प्रति अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को भेज देगी।

iv. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ऐसी जानकारी प्राप्त होने के 60 दिवस के भीतर नए गाँव हेतु सीमांकन हेतु उसकी जीपीएस मैपिंग करवाते हुए उस पर सभी सीमावर्ती गाँव से दावा आपत्ति लेने के बाद नए ग्राम को अधिसूचित करेगा।

v. अगर विद्यमान ग्राम सभा ऐसे प्रस्ताव से असहमत है तो आवेदन करने वाले मोहल्ला, मजरा, पारा, टोला ऐसे निर्णय के विरुद्ध 60 दिवस के अंदर परगना परिषद के समक्ष अपील कर सकेगी।

vi. ऐसी अपील प्राप्त होने पर परगना परिषद 60 दिवस के भीतर आवश्यक जांच कर एवं जरूरत पड़ने पर पुनः ग्राम सभा आयोजित कर विवाद का समाधान करने की कोशिश करेगी तथा अपना निर्णय देगी। इस संबंध मे परगना परिषद का निर्णय अंतिम होगा।

vii. परगना परिषद अपने निर्णय से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को संबंधित ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा को सूचना देते हुये अवगत करवाएगी। अगर परगना परिषद नए ग्राम बनाने हेतु सहमत है तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ऐसी जानकारी प्राप्त होने के 60 दिवस के भीतर आवश्यक कार्यवाही कर नए ग्राम को अधिसूचित करेगा।

3 शासन द्वारा नए गाँव के गठन की प्रक्रिया किया जाना

1. इन नियमों के अधिसूचित होने के 1 साल के भीतर राज्य सरकार पंचायत विभाग के माध्यम से नए ग्राम के गठन हेतु प्रत्येक विद्यमान ग्राम सभा से प्रस्ताव मंगवाएगी और ग्राम सभा से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नए ग्राम हेतु प्रक्रिया कर अधिसूचना करेंगे।
2. ऐसी प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण होने के प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य सरकार का पंचायत विभाग नए ग्राम के गठन की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से आयोजित करेगा।

3. यह प्राथमिक प्रक्रिया होने के बाद भी कोई भी मोहल्ला, मजरा, पारा, टोला, आवास या आवासों के समूह, बस्ती, छोटा गांव या छोटे गांव का समूह, जो मिलाकर एक ग्राम बनाना चाहते है वह किसी भी समय इस हेतु प्रस्ताव पारित कर नए ग्राम सभा के गठन की प्रक्रिया कर सकेंगे। ऐसी प्रक्रिया 5 वर्ष पूरा नहीं होने होने के कारण बाधित नहीं होगी।
4. ग्राम का किसी भी प्रयोजन हेतु विघटन करने या उसकी सीमा से उसके किसी भी हिस्से को कम करने अथवा जोड़ने से पूर्व ऐसे ग्राम सभा की सहमति लिया जाना अनिवार्य होगा एवं ऐसी सहमती के बिना की जाने वाली समस्त प्रक्रिया शून्य मानी जाएगी।

4. ग्राम सभा की संरचना:

1. ग्राम सभा साधारणतया ग्राम या ग्रामों का समूह, आवास या आवासों के समूह अथवा बस्ती या बस्तियों के समूह से मिलकर बनेगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हो, चाहे वह मोहल्ला, पारा, मजरा, टोला या अपने पारंपरिक नाम से जाने जाते हों, और जो अपने परम्पराओं व रुढियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंधन करते हो।
2. एक गाँव मे समान्यतः एक ग्राम सभा होगी
3. यदि ग्राम वासी चाहे तो वह सुचारु प्रबंधन, बैठक और निर्णय व्यवस्था हेतु एक गाँव मे गाँव की सीमा का विभाजन किए बिना एक से अधिक ग्राम सभा का गठन कर सकेंगे।
4. प्रत्येक ग्राम सभा स्वशासी निगमित निकाय होगी तथा उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा एवं उसकी सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने नाम से वाद चलायेगी तथा उसके नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जायेगा। इन नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुये उसे चल या अचल संपत्ति अर्जित करने, धारण करने या अंतरित करने, संविदाए करने तथा ऐसी समस्त अन्य बातें जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, करने की भी शक्ति होगी।
5. ग्राम स्तर पर निर्वाचक नामावली मे शामिल सभी लोग उस गांव की ग्राम सभा के सदस्य होंगे।
6. ग्राम सभा अपने गांव की व्यवस्था अपनी रुढ़ी परम्पराओं के अनुसार करने के लिये सक्षम है।
7. प्रत्येक ग्राम सभा लोगो की परम्पराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों और विवाद निपटने के रूढ़ीजन्य ढंग से संरक्षण, परिरक्षण और प्रबंधन करने के लिए सक्षम होगी।

5. नए ग्राम सभा का गठन

1. पेसा अधिनियम की धारा 4 (ख) तथा 4 (घ) की भावना के अनुसार ग्राम सभा का गठन समुदाय की पारंपरिक रुढ़िजन्य पद्धतियों, सांस्कृतिक पहचान व संरचनाओं के अनुसार ही किए जाए।
2. यदि किसी निवास स्थान के लोगों की राय है कि उनके आवास या आवासों के समूह अथवा बस्ती या बस्तियों के समूह को ग्राम सभा के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए तो वे इस आशय का एक प्रस्ताव नए प्रस्तावित ग्राम सभा के मुख्यालय के नाम एवं स्थान के साथ विद्यमान ग्राम सभा में 50 प्रतिशत से अधिक कोरम में पारित कर उसे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को भेज सकते हैं।
3. एसडीएम ऐसे प्रस्ताव प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर राजपत्र में अधिसूचित करेगा।

6. ग्राम सभा की घोषणा

इन नियमों के अधिसूचित होने के 1 वर्ष के भीतर राज्य सरकार पंचायत विभाग के माध्यम से इन नियमों के तहत बनाये गए ग्राम और ग्राम सभा की घोषणा राजपत्र में अधिसूचित करेगी।

7. ग्राम पंचायत का गठन

1. प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम पंचायत होगी एवं इसके लिए जनसँख्या का कोई बंधन नहीं होगा; परन्तु ऐसे गाँव जिनमे एक भी अनुसूचित जनजाति के परिवार नहीं है उनके लिए पंचायतो का गठन ऐसे निकटवर्ती गाँव/ओं को सम्मिलित करते हुए किया जायेगा जिसमे कम से कम दस अनुसूचित जनजाति के परिवार हो।

2. यदि एक पारंपरिक सीमा/सरहद के अन्दर के एक से अधिक गाँव संयुक्त रूप से अपने लिए एक ही पंचायत का गठन करना चाहते है तो वह इस बात का प्रस्ताव पारित करते हुए संयुक्त रूप से एक ही पंचायत स्थापित कर सकेंगे; परन्तु ऐसे संयुक्त ग्राम में भी कम से कम दस अनुसूचित जनजाति के परिवार होना अनिवार्य है।
3. प्रत्येक ग्राम पंचायत के गठन के प्रस्ताव में वहां की ग्राम सभा वहां के ग्राम पंचायत के मुख्यालय का स्थान (पारा, मोहल्ला, पंचायत भवन का स्थान इत्यादि) और पंचायत के नाम का भी निर्णय करते हुए जिला कलेक्टर को अवगत करवाएंगे।
4. कोई भी पंचायत उसके अंतर्गत प्रस्तावित ग्राम सभाओं की सहमती के प्रस्ताव के बिना नहीं बनाया जा सकेगा; परन्तु यह ऐसे ग्राम के लिए लागू नहीं होगा जहाँ पर अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति नहीं है।

8. ग्राम सभा की कार्यकारी समिति:

1. ग्राम सभा की कार्यकारी समिति ग्राम पंचायत होगी।
2. पंचायत ग्राम सभा के प्रशासनिक एवं वित्तीय अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करेगी।
3. ग्राम पंचायत, संबंधित ग्राम सभा में, ग्राम सभा के कार्यों को निष्पादित करने के लिए जो स्थायी समितियों का गठन करती है वे सब ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होंगे।

9. ग्राम सभा का अध्यक्ष एवं सचिव:

1. ग्राम सभा अपने सुविधा के अनुसार अपने ग्राम के सदस्यों में से ग्राम सभा अध्यक्ष एवं सचिव नियुक्त करेगी जो ग्राम सभा के संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे और वह व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना अनिवार्य है
2. ग्राम सभा अपने अध्यक्ष एवं सचिव को चुनते व्यक्त उसके कार्यकाल (अधिकतम तीन वर्ष) की अवधि भी निर्धारित करेगी जो की पंचायत के कार्यकाल के अनुसार होना अनिवार्य नहीं है। ग्राम सभा चाहे तो अपने अध्यक्ष एवं सचिव के कार्यकाल को उसकी निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पहले ही 50 प्रतिशत के बहुमत से प्रस्ताव कर वापस बुला सकेगी।
3. ग्राम सभा अध्यक्ष एवं सचिव को वेतन, मानदेय आदि शासन अथवा प्रशासन द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। यदि ग्राम सभा चाहे तो वह ऐसे ग्राम सभा अध्यक्ष एवं सचिव को मानदेय अपने स्वयं के संसाधनों से नकद या किसी अन्य प्रकार से निर्धारित कर सकती है।

10. ग्राम सभा का कार्यालय:

प्रत्येक ग्राम सभा का कार्यालय अपने ही गाँव में होगा, जैसे कि सार्वजनिक/सामुदायिक भवन या कोई भी स्थान जहाँ ग्रामवासियों की पहुँच आसान हो; बशर्ते कि ऐसे कार्यालय के लिए शासन द्वारा किसी भी रूप में कोई किराया अथवा भाड़ा नहीं दिया जाएगा।

11. ग्राम सभा की शक्तियाँ एवं कार्य:

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4 (क) तथा धारा 4 (घ) के मंशा के अनुसार:

1. ग्राम सभा अपने बैठक, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन हेतु स्वयं नियम बना सकेगी
2. ग्राम के पारंपरिक सीमा क्षेत्र के भीतर प्राकृतिक स्रोत जिनके अंतर्गत जल, जंगल, ज़मीन तथा सामुदायिक भूमि का संरक्षण, परिरक्षण एवं प्रबंधन करते हुए भू-उपयोग में परिवर्तन तथा भू-हस्तांतरण को नियंत्रण एवं पालन करवाने में सक्षम है;
3. स्थानीय सांस्कृतिक विरासत,जैसे देव-देवताओं का स्थान ,पूजा-पाठ की प्रणाली, संस्थाएं (जैसे-गोटुल धुमकुरिया) तथा मानव-वादी सामाजिक आचार-व्यवहारों को किसी भी प्रकार के विनाशकारी व्यवहारों से संरक्षित करेगा।
4. सभी विवाद निपटाने के प्रक्रिया में, चाहे वे गांव का भीतर का मामला या बाहर का, रूढिजन्य पद्धति को अनुसरण करते हुए संरक्षित करेगा।
5. उपरोक्त विषयों पर कोई प्रतिकूल हस्तक्षेप एवं प्रभाव के विरूद्ध ग्राम सभा में लिए गए प्रस्तावों का पालन अनिवार्य करेगा।
6. ग्राम सभा, पंचायत- जनपद पंचायत - जिला पंचायत, कोई अधिनियम या किसी अन्य कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी कार्यों के संबंध में निर्णय लेने के पूर्व समुचित चर्चा के उपरांत ही कार्य करेगा; अर्थात अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की सहमति के पश्चात ही कोई कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाएंगे।

7. पंचायत द्वारा पारित किए जाने के पूर्व बजट में किसी भी बदलाव के लिए निर्देशित करेगा।
8. पंचायत के बजट के साथ-साथ विभिन्न अन्य स्रोतों जैसे कि सरकारी विभाग, जनपद या जिला पंचायत के स्वयं के कोष आदि से विकास कार्यों और योजनाओं पर निर्देशित करेगा।
9. विभिन्न सामाजिक और आर्थिक, लाभार्थी योजनाओं के बारे में जनता को सूचित करना एवं गरीब उन्मूलन के लिए योजनाओं के स्थानों तथा प्राथमिकता के आधार पर लाभार्थियों का चयन, राशि का अनुमोदन इत्यादि करेगा। तथा कार्यों और योजनाओं की स्वीकृत और प्रगति, तथा प्राप्त राशि एवम किए गए व्यय का सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा जो सर्वमान्य होगा।
10. कुआ, टैंक, नाला, डबरी तथा अन्य जल स्रोत, जलागम क्षेत्र एवं जलाशयों का संरक्षण एवं संवर्धन के लिए योजना बनाकर प्रवन्धन करेगा। तथा गांव सीमा में लगा हुआ जल संसाधनों को अन्य गांव के साथ मिलकर सहभागी पद्धति से परिचालन करेगा।
11. गौण खनिजों के उत्खनन की अनुमति के लिए खनन स्थल के बारे में निर्णय लेना।
12. पारंपरिक सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के भू-उपयोग परिवर्तन के लिए ग्रामसभा का सहमति अनिवार्य है। परंतु भू-उपयोग परिवर्तन (कतिपय मामले को छोड़कर) उस भूमि पर ग्रामसभा का संरक्षण एवं प्रवन्धन करने का अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
13. गाँव में कोई भी परियोजनाओं के मामले में, पुनर्वास की समस्या आने पर ग्रामसभा का निर्णय निम्नलिखित बातों पर आधारित होगा:
    1. परियोजना के क्रियाकलापों से प्रभावित व्यक्तियों का सुनिश्चित जीविका एवं निवास तथा गांव का सांस्कृतिक-धार्मिक चिन्ह पर प्रतिकूल प्रभाव का संकलन करते हुए उसका कोई युक्तियुक्त सतत विकल्प खोज लिया गया है;
    2. प्रभावित परिवारों का पुनर्व्यवस्थापन उस परियोजना का अंग के रूप में मानकर कोई वैकल्पिक पैकेज तैयार कर लिया गया है जो प्रभावितों को सुनिश्चित आजीविका एवं सामुदायिकता का एहसास प्रदान कर सकता है।
14. लोगों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों के संबंध में उन पर विचार कर पंचायतों को निर्देशित करना।
15. पंचायत के सचिव, ग्राम सेवक, स्कूल के प्राचार्य, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पुलिस, वन कर्मचारी, उचित मूल्य दुकान संचालक, सहकारी समिति के सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-कर्मचारी इत्यादियों के दायित्व एवं कार्यो पर नियंत्रण रखना| सार्वजनिक कार्य हेतु कार्य एजेंसी तथा अन्य कंपनियों के लिये उपयुक्त निर्देशन करेगा।
16. आग, बाढ़, भूकंप आदि जैसी किसी भी प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में हर साल आपदा न्यूनीकरण योजना की समीक्षा करना और उसे संशोधित करना तथा ऐसी आपदाओं के प्रभाव को कम करने तथा प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए सभी सुरक्षात्मक उपाय करते हुए निर्देशित करना।
17. कार्य और प्रगति की नियमित पर्यवेक्षक - विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करना तथा ग्राम स्तर की विभिन्न समितियों को निर्देशित कर संबंधित कार्य का निरीक्षण करना - जैसे कि प्राथमिक विद्यालय, नागरिक आपूर्ति (उचित मूल्य की दुकान) सामाजिक न्याय, बिजली, पानी तथा स्वास्थ्य और स्वच्छता इत्यादि.
18. समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और सद्भाव को बढ़ावा देना;
19. सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों और सार्वजनिक कार्यों के लिए नकद या श्रम आदि में स्वैच्छिक योगदान जुटाना
20. कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करना, यदि आवश्यक हो तो ग्राम शांति सुरक्षा दल (पी.एस.टी. बल) को व्यवस्थित करना
21. भोजन, चारे, पीने के पानी, नकद राशि, राहत कार्यों आदि के संबंध में यदि आवश्यक हो तो राहत उपायों की समीक्षा करना
22. ग्रामसभा के भूमि पर अनाधिकृत निर्माणों तथा अतिक्रमण की स्थिति की समीक्षा करना और उन्हें हटाना;
23. प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन ;
24. पारंपरिक ज्ञान, बीज , पद्धति, जैविक कीटनाशक, अनाज भंडारण के तकनीक, जीवों के साथ सहजीविता तकनीक, जैव विविधता के साथ संतुलन स्थापित करती कृषि तकनीक, प्रसंस्करण तकनीक आदि बौद्धिक ज्ञान व संपदा की पहचान कर उनके पेटेंट अधिकार प्रदान करने में ग्राम के व्यक्ति/समुदाय/संस्था/ग्राम को आर्थिक व तकनीकी सहयोग करना
25. नशेली पदार्थो का उत्पादन, विक्री एवं व्ययन पर ग्रामसभा का निर्णय सर्वमान्य होगा।
26. समस्त प्रकार का कर्ज़ के मामले, चाहे ग्रामीण सहकारी, सहकारी या राष्ट्रीयकृत बैंक हो, में ग्रामसभा का निर्णय सर्वोपरि होगा।
27. गलत तरीके से भू-हस्तांतरण (अन्य समुदायों को) पर ग्राम सभा का निर्णय मान्य होगी तथा ग्रामसभा उस भूमि को प्रत्यावर्तन करने में सक्षम होगी।

28. अन्य कार्य जो गाँव के निवासियों के उत्थान को बढ़ावा दे सकता है;
29. ऐसे क़ानूनों में संशोधन का प्रस्ताव करना, जिनमें से प्रथागत कानून, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओं या सामुदायिक संसाधनों के साथ असंगत हैं।
30. जन्म ,मृत्यु, जाति, विवाह प्रमाण पत्र जारी करने में सक्षम होगी जो सभी शासकीय कार्य में मान्य होंगे।
31. पंचायतों व अन्य कार्यकारी निकायों में शांति पूर्ण व रूढ़िजन्य विधि के आधार पर चयन /निर्वाचन /चुनाव कर सकने की शक्ति .
32. अन्य कार्य जो शासन या जनपद या जिला पंचायत द्वारा विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।
33. गाँव समुदाय पारंपरिक ज्ञान, विचार, सूचना, परंपरा और संस्कृति जिसे लंबे समय से सहेज कर आने वाले पीढ़ी को बेहतर भविष्य के लिए और प्रकृति की रक्षा के लिए स्थानांतरित करने में ग्राम सभा सक्षम होगी।
34. प्रत्येक व्यक्ति जो किसी वैज्ञानिक, साहित्यिक और कलात्मक रचना या प्रस्तुतीकरण जिसका वह स्वामित्व रखता है या स्वामी है के नैतिक और सामग्री संबंधित हितों की रक्षा में।
35. ग्राम सभा बौद्धिक संपदा के लिए भावी खाका तैयार कर सकेगा। जिससे पारंपरिक परिप्रेक्ष्य में गाँव समुदाय के प्रचलित उत्कृष्ट कार्य-व्यवहार को वैश्विक स्तर पर हस्तांतरित करना व वैश्विक स्तर पर प्रचलित उत्कृष्ट कार्य-व्यवहार के अनुकूल बनने में।

अध्याय 3

ग्राम सभा की बैठक, कार्यविधि

12. ग्राम सभा की बैठकों का सार्वजनिक तथा खुले स्थान पर आयोजन

1. ग्राम सभा की बैठक तथा कार्यवाही सार्वजनिक तथा खुले स्थान में आयोजित की जावेगी।
2. ग्राम सभा की बैठक यदि किसी भवन में होती है तो उस भवन का दरवाज़ा बंद नहीं किया जायेगा तथा उसमें किसी भी तरह की आवाजाही पर निषेध नहीं लगाया जायेगा।
3. ग्राम सभा की बैठकों में ऐसा व्यक्ति जो ग्राम सभा के सदस्य नहीं है ग्राम सभा की अनुमति के बाद ही ग्राम सभा की बैठक में सम्मिलित हो सकेंगे तथा ऐसे गैर सदस्यों के लिए बैठने की व्यवस्था सदस्यों से अलग स्थान पर की जाएगी। ऐसे गैर सदस्य ग्राम सभा की बैठक में ग्राम सभा अध्यक्ष की अनुमति के बाद ही अपनी बात रख सकेंगे।

13. निर्णय लेने का तरीका:

1. ग्राम सभा के सभी कामकाज सर्व सम्मति के आधार पर होंगे। सर्व सम्मति से तात्पर्य यह है की उपस्थित लोग प्रस्ताव से सहमत है एवं कोई भी उसके विरोध में नहीं है तथा निर्णय दबाव-मुक्त वातावरण में व विषय से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद लिया गया है। सर्व सम्मति से निर्णय के लिए बैठक में कोरम की पूर्ति होना आवश्यक है।
2. किसी बैठक में यदि किसी मुद्दे पर सर्व सम्मति नहीं बन पाती है उस स्थिति में उस मामले पर निर्णय स्थगित कर उस पर निर्णय एक सप्ताह या उसके बाद होने वाली बैठक में लिया जाएगा।
3. यदि दूसरी बैठक में भी सर्व सम्मति नहीं बन पाती है तो निर्णय पुनः एक सप्ताह या उसके बाद होने वाली अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया जायेगा।
4. यदि तीसरी बैठक में भी सर्व सम्मति नहीं बन पाती है तो उस बैठक में बहुमत के आधार पर फैसला किया जा सकेगा;

   परंतु ऐसी बैठक में कोरम पूर्ण होना अनिवार्य होगा। कोरम पूर्ण ना होने की स्थिति में वह प्रस्ताव को अगली ऐसी किसी बैठक में चर्चा के लिए लिया जा सकेगा जिसमे कोरम पूर्ण हों।
5. ऐसे मुद्दे जिन्हें शासन, प्रशासन अथवा कोई उपयोगकर्ता विभाग द्वारा ग्राम सभा के विचारार्थ रखा गया है और ग्राम सभा द्वारा उस पर असहमति व्यक्त की जा चुकी है या उसे निरस्त किया जा चुका हो तो ऐसे विषय को शासन, प्रशासन अथवा कोई उपयोगकर्ता विभाग द्वारा पुनः ग्राम सभा के समक्ष फिर से विचार के लिए नहीं रखा जा सकेगा।
6. यदि ग्राम के 10 प्रतिशत या 50 लोगो को, जो भी कम हो, लगता है की ग्राम सभा के किसी निर्णय पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है तो वह इस हेतु ग्राम सभा के सचिव को लिखित में आवेदन कर सकेंगे और ऐसे विषय को अगली ग्राम सभा में पुनर्विचार हेतु अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जायेगा।

7. ग्राम सभा में लिए गये फ़ैसलों का संक्षिप्त विवरण बैठक के अंत में ग्राम सभा के सचिव द्वारा तथा सचिव के ना होने पर ग्राम सभा द्वारा नामाँकित कोई भी व्यक्ति तैयार करेगा तथा वह संक्षिप्त कार्यवाही विवरण को अध्यक्ष द्वारा सभी के समक्ष पढ़ कर सुनाया जायेगा। कार्यवाही विवरण पर सर्व सहमति हो जाने पर उस के अंत में ग्राम सभा अध्यक्ष, सचिव एवं समस्त ग्राम सभा सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान लगाया जायेगा।
8. ग्राम सभा के किसी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में गैर सदस्यों द्वारा किसी भी प्रकार का प्रलोभन, दबाव या किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किए जाएगा जिससे कि ग्राम सभा प्रभावित हो। ऐसा करते हुये पाये जाने पर उसे ग्राम सभा द्वारा 5,000 रूपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।

14. ग्राम सभा की बैठकें

अ. ग्राम सभा की बैठकों की तिथि, समय और सूचना

1. ग्राम सभा अध्यक्ष गाँव के लोगो की आवश्यकता अनुसार ग्राम के सदस्यों को सूचना देते हुए कभी भी ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर सकेगा/गी।
2. ग्राम सभा नियमित अंतराल पर या मासिक रूप से भी ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने हेतु व्यवस्था बना सकेगी। ऐसी नियमित बैठक की तिथि (अंग्रेजी तारीख, तिथि या सप्ताह का दिन), समय और स्थान ग्राम सभा द्वारा ही स्थाई रूप से तय किया जा सकेगा। इस बैठक के लिए किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना की जरूरत नहीं होगी।
3. जरूरत पड़ने पर ग्राम सभा द्वारा ऐसी स्थाई बैठक का तिथि, समय और स्थान को बदला जा सकेगा और अलग से बैठक भी आयोजित की जा सकेगी, लेकिन ऐसे बदलाव की स्थिति में इस बात की मुनादी ग्राम सभा बैठक आयोजन के तीन दिन पूर्व संपूर्ण ग्राम सभा क्षेत्र में करवाई जावेगी।
4. नियमित अंतराल पर पूर्व निर्धारित बैठक के अलावा ग्राम सभा की विशेष बैठक नीचे लिखे परिस्थितियों में बुलाई जा सकती है:
   - (क) ग्राम सभा के कुल सदस्यों में 5% या 25 सदस्यों द्वारा, जो भी कम हो, ग्राम सभा सचिव को दी गई लिखित अथवा मौखिक सूचना के आधार पर।
   - (ख) यदि ग्राम सभा की पूर्व बैठक में इस हेतु निर्णय लिया गया हो;
   - (ग) यदि ग्राम पंचायत का कोई प्रस्ताव है, जिस पर ग्राम सभा द्वारा विचार करने की आवश्यकता है;
   - (घ) जिला पंचायत अध्यक्ष या जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा यदि सरपंच से अध्यपेक्षा किया गया हो। ऐसी स्थिति मे अगर सरपंच संतुष्ट है कि ऐसी बैठक बुलाया जाना आवश्यक है तो वह ऐसी बैठक बुलाने हेतु ग्राम सभा अध्यक्ष को सूचना दे कर ऐसी बैठक आयोजित करने हेतु निवेदन कर सकेगा।
5. स्थिति 4(क) को छोड़ कर अन्य मामलों में सूचना मिलते ही ग्राम सभा अध्यक्ष की अनुमति से ग्राम सभा सचिव 5 दिन के अंदर बैठक बुलाएगा जिसकी आम सूचना ग्राम सभा आयोजन हेतु निर्धारित तारीख के 3 दिन पहले गांव में मुनादी कराकर तथा अन्य सुसंगत रीति से भी दी जाएगी
6. ग्राम सभा अध्यक्ष अथवा सचिव की अनुपस्थिति या उसके द्वारा किसी भी कारण से 5 दिन में ग्राम सभा को बुलाने की कार्यवाही ना करने की स्थिति में ऊपर उल्लेखित बिंदु क्रमांक (घ) के मामले में लिखित में बैठक बुलाने के लिए आग्रह करने वाले लोगों में से कम से कम 3 सदस्य अपनी ओर से ग्राम सभा के सदस्यों को आम सूचना दे कर एवं मुनादी करवा कर 3 दिन के बाद बैठक बुलाने की कार्यवाही कर सकेंगे। इस प्रक्रिया की कार्यवाही विवरण ग्राम सभा में ही चयनित व्यक्ति द्वारा लिखा जायेगा तथा ऐसे कार्यवाही विवरण ग्राम सभा पंजी मे दर्ज करने हेतु ग्राम सभा सचिव को जल्द से जल्द उपलब्ध करवाया जायेगा।
7. ऐसी परिस्थिति आने पर जिसमें तत्काल उसी दिन निर्णय लेने की आवश्यकता हो, जैसे कि जिसमे जीवन-मरण का प्रश्न हो, तो 4 (क), (ख), (ग) और (घ) में वर्णित कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहेगी एवं ग्राम सभा के 10 प्रतिशत से अधिक लोग एकत्रित हो कर निर्णय ले सकेंगे। ऐसे लिए गए निर्णय अगली ग्राम सभा के समक्ष रखे जायेंगे तथा वहां पर उस पर लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
8. किसी विशेष परिस्थिति वाली बैठक में लिए गए फैसले के बारे में आगामी पूर्व निर्धारित बैठक के अलावा और कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस मामले में ग्राम सभा का फैसला अंतिम होगा।

9. ग्रामसभा अपना काम-काज सुचारु रूप से संचालित करने के लिए गांव के हर परिवार से एक सदस्य अथवा एक महिला एक पुरुष की उपस्थिति अनिवार्य कर सकती है एवं अनुपस्थित रहने की दशा में श्रम अथवा पैसे के रूप से जुर्माना लगा सकेगी।

ब . महिला सभा की बैठक:-

प्रत्येक ग्राम सभा मे एक महिला सभा होगी जो गाँव की सारी वयस्क महिलाओं से मिल कर बनेगी। महिला सभा की पहली बैठक ग्राम सभा सचिव द्वारा बुलाई जाएगी जिसमे सर्व सहमति से वह अपने बीच से एक अध्यक्ष एक सचिव मनोनीत करेगी जिनका अनुसूचित जनजाति वर्ग से होना अनिवार्य होगा। इसके बाद महिला सभा की बैठक महिला सभा के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा सभी की सहूलियत से ग्राम सभा की बैठक के नियम अनुसार आयोजित की जा सकेगी परन्तु प्रतिवर्ष कम से कम 2 महिला सभा का आयोजन अनिवार्य होगा। सभा की बैठक का स्थान, समय और तिथि अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा सभी की सहूलियत से तय किया जा सकेगा। महिला सभा की सारी कार्यवाही अलग रजिस्टर में दर्ज की जाएगी तथा महिला सभा में लिए गए गए निर्णय को ग्राम सभा मे अनिवार्य रूप से चर्चा मे सम्मिलित कर उस पर निर्णय लिया जाएगा।

स. ग्राम सभा से पहले तथा बाद में ग्राम पंचायत की बैठक :-

1. ग्राम सभा की बैठक आयोजित होने के तीन दिन के पहले ग्राम पंचायत की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जायेगी, जिसमें ग्राम सभा द्वारा पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णय पर प्रगति की जानकारी तथा आगामी बैठक में चर्चा हेतु लिए जाने वाले एजेंडा पर ग्राम सभा द्वारा अपेक्षित जानकारी तैयार की जाएगी एवं उन्हें अनिवार्यतः ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जायेगा.
2. साथ ही ग्राम सभा संपन्न होने के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा एक सप्ताह के भीतर बैठक कर ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार आगे की उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यदि कार्यवाही किसी शासकीय विभाग से अपेक्षित है तो ग्राम पंचायत द्वारा उस विभाग को ग्राम सभा आयोजित होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर पत्र लिख कर इस हेतु अवगत करवाया जायेगा।

15. ग्राम सभा की बैठकों की कार्यवाही

अ. बैठक की कार्यवाही के रिकॉर्ड :

1. ग्राम सभा में लिए गये फ़ैसलों का कार्यवाही विवरण बैठक के अंत में ग्राम सभा के सचिव द्वारा तथा सचिव के ना होने पर ग्राम सभा द्वारा नामाँकित कोई भी व्यक्ति ग्राम सभा पंजी में दर्ज करेगा। इस पंजी में वह एजेंडा के साथ उस पर हुई चर्चा का संक्षिप्त विवरण तथा उस पर लिए गए निर्णय को भी लिखेगा। साथ ही वह बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या भी दर्ज करेगा। अंत में कार्यवाही विवरण को ग्राम सभा अध्यक्ष द्वारा सभी के समक्ष पढ़ कर सुनाया जायेगा। इस पर सर्व सहमति से ग्राम सभा के अनुमोदन पश्चात उस रजिस्टर पर अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य उपस्थित सदस्य द्वारा प्रस्ताव के बाद हस्ताक्षर किया जायेगा या अंगूठा का निशान लगायेगा।
2. सामान्य जनता की जानकारी के लिए कार्यवाही विवरण की एक प्रति पंचायत तथा ग्राम सभा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर एवं ग्राम सभा द्वारा निर्धारित गाँव के तीन सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया जाएगा।
3. ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में पिछले महीने का आय व्यय का पूरा हिसाब, काम करने वालों का मस्टर रोल, निर्माण सामग्री तथा अन्य वस्तुओं की खरीद-बिक्री का पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। सदस्यों द्वारा काम की गुणवत्ता इत्यादि पर उठाए गए सवालों का जवाब संबंधितो द्वारा दिया जाएगा एवं उनकी आपत्तियों का निराकरण भी किया जाएगा। किसी भी विषय पर सुधार के लिए ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ग्राम सभा द्वारा निर्धारित समय सीमा में पूर्ण की जाएगी।
4. ग्राम सभा के दस्तावेज़ से छेड़ छाड़ करना, कूटरचित दस्तावेज़ तैयार करना, उसे हानि पहुँचाना या उसमे बिना अधिकार के संशोधन करना एक अपराध होगा तथा ऐसा करने वाले पर ग्राम सभा 5,000 रूपए तक का जुर्माना लगा सकेगी और उनके विरुद्ध प्राथमिक अपराध सूचना (FIR) दर्ज करवाते हुए उन पर दंडात्मक कार्यवाही हेतु पुलिस को सूचित कर सकेगी।

ब. मत लेने का तरीका: मत को आमतौर पर हाथ उठा के दिया जा सकता है। ग्राम सभा चाहे तो मत लेने का कोई अन्य तरीका भी तय कर सकेगी जिसमे ध्वनिमत भी शामिल होगा।

स. सदस्यों का आचरण: कोई भी सदस्य ग्राम सभा अध्यक्ष के निर्देशों की यदि अवहेलना करता है या किसी भी बैठक में अवरोध उत्पन्न करता है या किसी आपत्तिजनक आचरण का दोषी पाया जाता है तो ग्राम सभा अध्यक्ष, यदि वह आवश्यक समझे, तो ऐसे सदस्यों को ग्राम सभा के अन्य सदस्यों की सलाह से बैठक से बाहर कर सकता/सकती है।

द. चर्चा हेतु बिंदु / एजेंडा का क्रम:

1. ग्राम पंचायत सचिव कि यह ज़िम्मेदारी होगी ग्राम सभा अध्यक्ष एवं सचिव को ग्राम सभा आयोजन के तीन दिन पूर्व शासन तथा प्रशासन से प्राप्त एजेंडा कि सूची उपलब्ध करवाए। साथ मे वह एजेंडा से संबंधित समुचित दस्तावेज़ भी ग्राम सभा अध्यक्ष और सचिव को उपलब्ध करवाएगा
2. ग्राम सभा अध्यक्ष स्थानीय एजेंडा तथा शासन तथा प्रशासन से प्राप्त एजेंडा मे से चर्चा हेतु सभी बिंदुओं का क्रम तय करेगा/करेगी और इस संदर्भ में उसके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
3. कोई भी सदस्य किसी भी समय ग्राम सभा अध्यक्ष के समक्ष चर्चा हेतु तय बिंदुओं का क्रम को बदलने हेतु निवेदन कर सकता है परन्तु इस हेतु वह ग्राम सभा अध्यक्ष को उचित कारण बताएगा। अगर ग्राम सभा अध्यक्ष इससे सहमत होता है तो चर्चा नए क्रम के अनुसार की जाएगी, अन्यथा ग्राम सभा अध्यक्ष चर्चा हेतु क्रम बदलने से मना भी कर सकता है।

16. ग्राम सभा की उपस्थिति / कोरम

1. ग्राम सभा द्वारा लिए जाने वाले किसी भी निर्णय या पारित किये जाने वाले किसी भी प्रस्ताव हेतु कोरम अनिवार्य रहेगा।
2. ग्राम सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई होगा। उसमें से कम से कम आधे सदस्य महिला रहेंगी; परंतु भूमि अधिग्रहण/क्रय/बिक्री तथा सामुदायिक संसाधन जैसे कि जल, जंगल और ज़मीन के संबंध में कोई भी निर्णय हेतु कोरम 50 प्रतिशत अनिवार्य होगा।
3. कोरम पूरा ना होने की स्थिति में बैठक स्थगित मानी जाएगी, परंतु उपस्थित सदस्य आम सहमति से 1 सप्ताह के भीतर निश्चित समय तथा स्थान पर ग्राम सभा की बैठक पुनः आयोजित करने का फैसला कर सकते हैं।
4. यदि कोई बैठक कोरम के अभाव में स्थगित की जाती है, तो स्थगित बैठक में भी कोरम पूर्ण होना आवश्यक होगा। इस तरह की स्थगित बैठक की एक ताजा सूचना नियम 14 (अ), उप नियम (4) (ख) में दिए गए रीति से दी जाएगी। ऐसी स्थगित बैठक का आयोजन बैठक स्थगन की तारीख के तीन दिन बाद और सात दिनों के पहले आयोजित की जाएगी।
5. किसी भी ग्राम सभा में कोई भी निर्णय बिना कोरम के नही लिए जायेंगे।
6. कोरम के लिए ग्राम सभा अपना काम काज सुचारु रूप से संचालित करने के लिए गांव के हर परिवार से एक महिला एवं एक पुरुष अथवा एक व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य कर सकती है। ग्राम सभा अगर चाहे तो वह बिना कारण उपस्थित रहने वाले परिवार अथवा सदस्यों पर जुर्माना लगा सकेगी जो की पैसे अथवा श्रम के रूप में हो सकता है.

17. ग्राम सभा की समिति

अ. ग्राम सभा की समितियों की संरचना एवं कार्य

1. सभी समितियाँ ग्राम सभा के निर्देशानुसार कार्य करेंगी।
2. ग्राम सभा गांव के कामकाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में ज़िम्मेदारी निभाने के लिए विभिन्न स्थाई जैसे शांति एवं न्याय समिति, संसाधन योजना तथा प्रबंधन समिति, ग्राम कोष समिति तथा अस्थाई समितियों का गठन कर सकेगी जैसे नशा नियंत्रण समिति, बाजार समिति, श्रम सहकार समिति, कर्ज नियंत्रण समिति, भूमि प्रबंधन समिति, कृषि एवं पशु-पालन समिति, वन प्रबंधन समिति, जल प्रबंधन समिति, खनिज प्रबंधन समिति, शिक्षा समिति, नियोजन समिति, स्वास्थ्य समिति, इत्यादि के अलावा आवश्यकतानुसार और अस्थायी तथा तदर्थ तौर पर अन्य समितियों का गठन ग्राम सभा कर सकेगी।
3. ग्राम सभा की समितियों के सदस्यों का चयन ग्राम सभा के सदस्यों के बीच ग्राम सभा की खुली बैठक में पारदर्शी तरीके से सर्व सहमति से किया जाएगा। प्रत्येक समिति में एक अध्यक्ष और एक सचिव होंगे जिनका ग्राम सभा सदस्य होना अनिवार्य है। संबंधित ग्राम सभा उन्हें सर्व सहमति से नियुक्त करेगी। अगर ग्राम सभा सर्व सहमति से अध्यक्ष और सचिव बनाने में सक्षम नहीं है, तो निर्णय साधारण बहुमत से लिया जाएगा। परन्तु अध्यक्ष और सचिव का अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना अनिवार्य होगा।

4. किसी भी समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य के चयन के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में उनके चयन की तारीख के 15 दिनों के भीतर कोई भी ग्राम का व्यक्ति ग्राम सचिव को सूचित कर सकेगा। ग्राम सभा सचिव आगामी बैठक में इस मामले को रखेगा और इस सम्बन्ध में ग्राम सभा का निर्णय अंतिम होगा।
5. किसी भी दशा में कोई भी अधिनियम और नियम के अंतर्गत गठित ग्राम स्तर की समिति में कोई भी शासकीय कर्मचारी किसी भी समिति का सदस्य अथवा अध्यक्ष और सचिव नहीं रहेगा। ग्राम सभा अगर चाहे तो वह शासकीय कर्मचारियों को समिति में सलाह देने के लिए नामाँकित कर सकेगी, परन्तु ऐसे नामाँकित सदस्यों को समिति की कार्यवाही में निर्णय लेते वक़्त मत देने का अधिकार नहीं होगा।
6. सहभागी लोकतंत्र की भावना के अनुरूप यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गांव समाज का प्रत्येक सदस्य किसी न किसी समिति में शामिल हो तथा कोई ना कोई ज़िम्मेदारी निभाए।
7. इन समितियों में शांति एवं न्याय समिति की एक ख़ास जगह होगी। यह समिति गांव की सामान्य कामकाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगी। इस समिति में परंपरा से गांव की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार लोग जैसे पढ़हा, मांझी, गायता, पेनो, पेरमा, वड्डे, सिरहा, पटेल, मुखिया, सिरदार, सामाजिक पंच, महतो, तडवी, बैगा, सयान इत्यादि, यदि ग्राम सभा ठीक समझती है, तो शामिल होंगे।
8. ग्राम पंचायत और उसकी समितियां सहित गाँव में संचालित सभी समितियां ग्राम सभा के नियंत्रण और निर्देशों के अधीन कार्य करेगी और वह पूरी तरह से ग्राम सभा के प्रति जिम्मेदार होगी।
9. किसी अधिनियम के तहत किसी भी विषय जैसे वन, सिंचाई, इत्यादि की व्यवस्था के लिए कोई निकाय या समिति गठित होती है तो उसे ग्रामसभा की उस विषय की समिति माना जाएगा और उस अधिनियम में किसी भी प्रावधान के बावजूद वह निकाय या समिति ग्रामसभा के प्रति जिम्मेदार होगी । किसी भी समिति को सभी स्तर के किसी भी तरह के निर्देश ग्राम सभा के लिए सलाह-रूप में माने जाएंगे तथा संबंधित समिति ऐसे निर्देशों को ग्राम सभा के सामने रखेगी। ऐसे निर्देशों पर उसी रूप में अमल करना या न करना या संशोधित रूप में अमल करने के बारे में ग्राम सभा का फैसला अंतिम होगा।
10. सभी समितियों का कार्यकाल ग्राम सभा द्वारा तय किया जाएगा जो कि एक से तीन वर्ष तक का हो सकता है। इस समयावधि के बीच में भी ग्राम सभा सभी समितियों को पुनर्गठित करने के लिए सक्षम है। ऐसी तय समयावधि ख़त्म होने के पश्चात समिति के सदस्य अपने कार्यभार से मुक्त माने जायेंगे. कार्यभार से मुक्त होने के पश्चात ग्राम सभा ऐसे व्यक्तियों को पुनः उसी समिति या अन्य किसी समिति का सदस्य नामाँकित कर सकेगी.
11. ग्राम सभा द्वारा विभिन्न विषयों पर लिए गए निर्णयों को लागू करने की ज़िम्मेदारी संबंधित समिति की होगी।
12. शासन से प्राप्त किसी भी राशि का व्यय संबंधित समितियां ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद उसके द्वारा बताई गयी प्रक्रिया अनुसार ही कर सकेंगे ।
13. ग्राम सभा चाहे तो किसी भी समिति को कोई भी निर्माण अथवा अन्य कार्य हेतु एजेंसी घोषित कर उसे कार्य दायित्व सौंप सकेगी और उसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों की सीमा तय कर सकेगी।

ब. ग्राम सभा की समितियों के लिए प्रक्रिया:

ग्राम सभा की स्थायी समितियों की बैठक की प्रक्रिया ग्राम सभा के लिए आयोजित बैठक के अनुसार ही रहेगी जो की निम्नानुसार है:

1. ग्राम सभा की सभी समितियों की बैठक खुले स्थान में होगी।
2. स्थायी समिति की प्रत्येक बैठक के एजेंडा की सूचना बैठक के तिथि, समय और स्थान सहित स्थायी समिति के सचिव द्वारा कम से कम पांच दिन पहले ग्राम सभा को दिया जाएगा।
3. स्थायी समिति की बैठक के लिए आवश्यक कोरम अध्यक्ष सहित 50 प्रतिशत सदस्यों से होगा।
4. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता उपस्थित सदस्यों में से चुने हुए व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।
5. ग्राम सभा का कोई भी सदस्य ग्राम सभा की किसी भी समिति की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है। वह समिति के अध्यक्ष की अनुमति के साथ चर्चा के विषय पर भाग लेते हुए कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन अंतिम निर्णय के समय उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।
6. समितियों के सभी निर्णय ग्राम सभा द्वारा निर्धारित की गयी कार्य-विधि के अनुसार लिए जाएंगे।

7. समितियों की बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का सार संक्षिप्त रूप में समिति समिति द्वारा संधारित बैठक पंजी में दर्ज किया जावेगा तथा सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा उसे हस्ताक्षर कर सत्यापित किया जायेगा। ऐसे निर्णयों को ग्राम सभा की अगली बैठक में रखा जाएगा.
8. स्थायी समिति द्वारा लिए गए सभी निर्णय और उससे संबंधित सभी दस्तावेज़ समिति की बैठक के बाद में होने वाली पहली ग्राम सभा में अनुमोदन के लिए पढ़ कर सुनाया जायेगा। ग्राम सभा ऐसे निर्णय को चाहे तो बदल सकेगी तथा समिति के निर्णय को लागू करने, संशोधित करने अथवा लागू ना करने का अंतिम निर्णय ग्राम सभा का होगा। ग्राम सभा का निर्णय समिति के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

स. समितियों के सचिव का कार्यदायित्व:

(1) समितियों के सचिव ग्राम सभा की प्रत्येक संबंधित समिति की बैठकों को बुलाने हेतु सूचना जारी करने और बैठक की कार्यवाही विवरण लिखने के लिए जिम्मेदार होंगे।
(2) समिति के सचिव को संबंधित समिति में किसी भी मामले में अध्यक्ष की अनुमति से बोलने और समझाने का अधिकार होगा।
(3) समितियों के सचिव ग्राम सभा की बैठकों में समिति द्वारा लिए गए निर्णय का कार्यवाही विवरण को ग्राम सभा के समक्ष रखेंगे ।
(4) ग्राम सभा द्वारा समय समय पर सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन करेंगे ।

द. एक समिति की उप-समितियाँ:

अपने कर्तव्यों के निर्वहन और कार्य दायित्व को पूरा करने के लिए कोई भी समिति अपने सदस्यों में से अथवा ग्राम के अन्य सदस्यों में से एक उप-समिति को किसी भी विशिष्ट कार्य के लिए बना सकेगी जो कि समिति द्वारा तय समयावधि में निर्दिष्ट कार्य सम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत करेगी।

ई. समिति में स्थान खाली होना अथवा सदस्यों को समिति से निकालना :-

ग्राम सभा के समक्ष जब कोई ऐसा मामला आता है, जिसमें सदस्यों द्वारा वित्तीय अनियमितता व कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही इत्यादि करना पाया जाता है या किसी अन्य कारणों से कोई भी सदस्य समिति में बने रहने के लिए अयोग्य/अपात्र पाए जाते है या कोई सदस्य समिति की सदस्यता से अलग होना चाहता है, तो ऐसे में उस सदस्यों के स्थान पर ग्राम सभा किसी दूसरे व्यक्ति को आगामी ग्राम सभा की बैठक में सर्व सहमति से नामाँकित कर सकेगी ।

18. समानांतर निकाय

1. यदि किसी अधिनियम अथवा शासकीय प्रस्ताव के तहत किसी विषय पर जैसे वन, सिंचाई, इत्यादि पर किसी शासकीय विभाग द्वारा किसी निकाय या समिति का गठन किया जाता है, तो वह निकाय या समिति उस विषय पर ग्राम सभा की स्थाई समिति मानी जाएगी तथा ग्राम सभा यदि चाहे तो उसे उसी विषय पर बनायीं गयी अपनी किसी अन्य स्थाई समिति से सम्बद्ध कर सकेगी तथा दोनों को संयुक्त रूप से कार्य करने हेतु आदेशित कर सकेगी

   परन्तु किसी भी अधिनियम अथवा शासकीय प्रस्ताव में कोई भी प्रावधान होने के बावजूद उसके अंतर्गत गठित निकाय या समिति ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होगी एवं ऐसी किसी भी समिति में कोई भी शासकीय कर्मचारी अध्यक्ष, सचिव अथवा सदस्य नहीं होंगे।
2. ऐसी गठित समितियों के लिए किसी भी शासकीय विभाग अथवा एजेंसी द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को ग्राम सभा के लिए कानूनी निर्देशों के रूप में नहीं माना जाएगा। इस प्रकार के निर्देशों को केवल "सलाह" के रूप में माना जाएगा।
3. संबंधित समिति ऐसे किसी भी शासकीय विभाग अथवा एजेंसी द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को ग्राम सभा के समक्ष रखेगी और उन्हें लागू करने, संशोधित करने अथवा लागू ना करने का अंतिम निर्णय ग्राम सभा का होगा।

19. ग्राम सभा के निर्णय पर आपत्ति

(1) पंचायत और ग्राम सभा के सभी रिकॉर्ड सभी सदस्यों के लिए निरीक्षण के लिए कार्यालयीन समय में उपलब्ध होंगे और उनसे इस हेतु किसी भी प्रकार कर शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(2) ग्राम सभा में लिए गए किसी भी निर्णय के बारे में की गई आपत्ति पर सिर्फ ग्राम सभा की बैठक में पुनर्विचार हो सकता है।

(3) आवश्यकता पड़ने पर आपत्तिकर्ता अपने पक्ष को मजबूत तरीके से ग्राम सभा के समक्ष रखने के लिए किसी भी अन्य ग्राम सभा के सदस्य से मदद ले सकेगा।

(4) यदि दूसरे बैठक में समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, तो आपत्तिकर्ता के आवेदन के लिए पुनर्विचार हेतु तीसरी बैठक रखा जावेगा जिसका निर्णय उक्त विषय पर अंतिम होगा। ततपश्चात आवेदक परगना परिषद में आवेदन कर सकता है।

20. एक से अधिक ग्राम सभा की संयुक्त बैठकें

1. प्रत्येक ग्राम सभा अपने अधिकार क्षेत्र में अपने कार्यों को निष्पादित करने के लिए सक्षम होगी, लेकिन संसाधनों के प्रबंधन, सड़कों के निर्माण, ग्राम पंचायत द्वारा संचालित शासकीय योजना का ग्राम सभा वार आबंटन, आदि जैसे कार्यों के लिए जिसमे नज़दीकी ग्राम सभाओं के साथ समन्वय बनाते हुए काम करने की आवश्यकता है, तो संबंधित सभी ग्राम सभाओं की एक संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है।
2. ग्राम सभा की संयुक्त बैठक सभी ग्राम सभाओं को एक ही इकाई मानते हुए ग्राम सभा बैठक की आयोजन की प्रक्रिया के अनुसार ही की जाएगी।
3. संयुक्त ग्राम सभा की बैठक हेतु तिथि, समय और स्थान सभी ग्राम सभाओं के सचिव द्वारा आपस में समन्वयक कर निर्धारित किया जायेगा और इसकी सूचना उनके द्वारा अपने-अपने ग्राम सभा के सदस्यों को वहां की ग्राम सभा बुलाने की रीति में दी जाएगी।
4. संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भाग लेने वाली ऐसी ग्राम सभा के पारंपरिक मुखिया अथवा भाग लेने वाली ग्राम सभाओं के अध्यक्षों के बीच के व्यक्ति अथवा उपस्थित सदस्यों में से चुना हुआ व्यक्ति करेगा। ऐसे अध्यक्ष का अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना अनिवार्य होगा।
5. संयुक्त बैठक में प्रत्येक ग्राम सभा से न्यूनतम 33 प्रतिशत सदस्य अथवा 75 व्यक्ति, जो भी कम हो, की उपस्थिति अनिवार्य होगा। कोरम के आभाव में उसी दिन अगली बैठक की तारीख तय की जाएगी और उसके लिए नए सिरे से सूचना संबंधित ग्राम सभाओं के सचिव द्वारा जारी किया जाएगा। ऐसे संयुक्त बैठको का निर्णय केवल समन्वय मात्र तक की होगी , अंतिम निर्णय ग्राम सभा की होगी।
6. निर्णय लेने की प्रक्रिया एकल ग्राम सभा के निर्णय लेने की प्रक्रिया के समान ही होगी।

21. ग्राम सभाओं के प्रति संबन्धितों का कर्तव्य पालन

अ. पंचायत सचिव के कर्तव्य:

1) पंचायत सचिव ग्राम सभा की बैठक आयोजित होने के तीन दिन के पहले ग्राम पंचायत की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित करेगा, जिसमें ग्राम सभा द्वारा पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णय पर प्रगति की जानकारी तथा आगामी बैठक में चर्चा के लिए रखे जाने वाले एजेंडा पर ग्राम सभा द्वारा अपेक्षित जानकारी तैयार की जाएगी एवं उन्हें अनिवार्यतः ग्राम सभा में प्रस्तुत करने हेतु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा यह जानकारी ग्राम सभा सचिव को दी जाएगी.

2) ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्राम सभा की बैठक संपन्न होने के पश्चात ग्राम सभा सचिव से बैठक का कार्यवाही विवरण मंगवाते हुए ग्राम सभा की बैठक आयोजन दिनांक से एक सप्ताह के भीतर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा और उस बैठक में ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय को पंचायत में चर्चा हेतु रखने के बाद पंचायत द्वारा ग्राम सभा के निर्णय अनुसार आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करेगा.

3) ग्राम सभा द्वारा पारित ऐसे प्रस्ताव जिन पर ग्राम पंचायत की ओर से जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत या किसी विभाग का सहयोग लेते हुए कार्यवाही की जानी है उन को ग्राम सभा के निर्णय से अवगत करवाते हुए आवश्यक सहयोग हेतु पत्राचार करेगा.

4) प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक में ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय पर की गयी कार्यवाही को समीक्षा हेतु पंचायत प्रतिनिधियों के समक्ष रखेगा।

5) पंचायत के अंतर्गत सभी ग्राम सभाओ की वार्षिक रिपोर्ट को एकीकृत करते हुए ग्राम पंचायत की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसकी प्रति सभी ग्राम सभाओं, जनपद पंचायत को भेजी जाएगी।

6) यह सुनिश्चित करेगा की ग्राम सभा के निर्णय के विरुद्ध कोई भी निर्णय ग्राम पंचायत अथवा जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा नहीं लिए जाए। यदि ऐसा कोई निर्णय उसके ध्यान में आता है तो वह तत्काल ऐसे निर्णय से ग्राम सभा व ऐसा निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को अवगत करवाएगा और दोनों के बीच समन्वय से बैठक आयोजित कर विरोधाभास दूर करने का प्रयास करेगा.

7) ग्राम पंचायत का सचिव अपने कर्तव्य पालन करने के दौरान ग्राम सभा सचिव को अपना काम हस्तांतरित नही करेगा।

ब . ग्राम सभा सचिव के कर्तव्य:

1. ग्राम सभा सचिव ग्राम सभा की बैठकों को आयोजित करने और इस नियम के अनुसार उचित कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार होगा।
2. वह ग्राम सभा के समक्ष रखे जाने वाले एजेंडा के लिए आवश्यक जानकारी तैयार करेगा और उन्हें ग्राम सभा की बैठक में चर्चा के लिए प्रस्तुत करेगा।
3. ग्राम सभा की बैठक में पारित प्रस्ताव को ग्राम सभा पंजी में दर्ज करेगा।
4. अगर ग्राम सभा द्वारा पारित किसी प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत या किसी विभाग द्वारा की जानी है तो उन को ग्राम सभा के निर्णय से अवगत करवाते हुए पत्राचार करेगा।
5. यदि ग्राम सभा किसी कार्यवाही हेतु ग्राम/जनपद/जिला पंचायत या किसी विभाग को अधिकृत करती है वह उस कार्यवाही से संबंधित सूचनाओं और जानकारियों की प्रतियाँ संबंधित ग्राम/जनपद/जिला पंचायत या विभाग को भेजने हेतु कार्यवाही करेगा।
6. वह ग्राम सभा की बैठक में पारित प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करेगा।
7. प्रत्येक वर्ष मार्च माह के अंत में ग्राम सभा की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा ग्राम सभा के अनुमोदन के उपरांत ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति ग्राम पंचायत सचिव को समेकन के लिए देगा।

स. जनपद/जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के कर्तव्य:

1. जनपद/जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा शासन तथा क्रमशः जनपद एवं जिला के सभी विभागों द्वारा ग्राम सभा के समक्ष के विचारार्थ रखे जाने वाले विषय/एजेंडा का समेकन किया जायेगा एवं प्रत्येक विषय पर विस्तृत जानकारी, जिसमे उसकी तकनीकी एवं वित्तीय जानकारी स्पष्ट रूप से वर्णित हो, के साथ ग्राम सभा द्वारा अपेक्षित कार्यवाही/स्वीकृति लिखते हुए उसे ग्राम सभा अध्यक्ष को भेजा जायेगा
2. ऐसी जानकारी भेजते वक्त जनपद/जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा ग्राम सभा आयोजन हेतु तिथि, समय एवं स्थान निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा. यह कार्य सिर्फ ग्राम सभा के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा अधिकृत किये जाने पर ग्राम सचिव कर सकेंगे. जनपद/जिला पंचायत को यदि कोई अति आवश्यक विषय पर तुरंत ग्राम सभा की राय/अनुमति की आवश्यकता है तो वह इस हेतु ग्राम सभा अध्यक्ष से त्वरित कार्यवाही हेतु निवेदन कर सकेंगी
3. ग्राम सभा द्वारा पूछे जाने पर कोई भी जानकारी तथा दस्तावेज उसे एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करवाया जायेगा. विलम्ब होने पर जनपद/जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रत्येक दिवस 200 रूपए जुर्माने के भागीदार होंगे जो की ग्राम सभा कोष में जमा करवाया जायेगा.
4. किसी भी ग्राम क्षेत्र में कोई भी परियोजना, योजना और निर्माण कार्य स्वीकृत करने से पहले उस ग्राम सभा को उसका विस्तृत तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव उपलब्ध करवाते हुए उसका अनुमोदन लिया जायेगा और ग्राम सभा द्वारा उसे स्वीकृत करने की दशा में ग्राम सभा से कार्य एजेंसी के सम्बन्ध में भी अनिवार्य रूप से प्रस्ताव माँगा जायेगा जिसे मानना जनपद एवं जिला पंचायत पर बंधनकारी होगा. किसी भी स्थिति में ग्राम सभा द्वारा किये जा सकने वाले कार्य को जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा किसी विभाग अथवा अन्य एजेंसी से नहीं करवाया जायेगा
5. जिला एवं जनपद पंचायत के अधीन योजना, कार्यक्रमों जैसे नरेगा, ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, रुर्बन मिशन, DRDA, पंचायत एवं ग्रामीण विकास से सम्बंधित योजनाओं, इत्यादि द्वारा किसी भी ग्राम में कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ग्राम सभा का अनुमोदन अनिवार्य होगा जिसमे कार्य ग्राम सभा द्वारा कार्य के बारे में शर्ते लगायी जा सकेगी एवं कार्य एजेंसी का निर्धारण किया जा सकेगा.

6. जिला एवं जनपद पंचायत द्वारा संचालित समस्त योजनाओ के मैदानी कर्मचारियों का वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण ग्राम सभा को सौंपा जायेगा जिसमे विशेष कर पंचायत सचिव पर नियंत्रण शामिल है.

द. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)[SDM]/कलेक्टर के कर्तव्य:

1. कोई भी व्यक्ति यदि किसी ऐसे मामले को जिसे ग्राम सभा द्वारा सुलझाया जा सकता है उसे यदि सीधे SDM या कलेक्टर के पास ले कर आता है तो वह उसे ग्राम सभा के पास निर्णय हेतु वापस भेजें देंगे
2. गाँव के सम्बन्ध में कोई भी विषय उनके विचारार्थ आने पर जिसमे सामूहिक रूप से लोगो का हित प्रभावित होता है तो SDM या कलेक्टर ग्राम सभा से अभिमत प्राप्त किये बिना उस पर निर्णय नहीं लेंगे
3. SDM या कलेक्टर गाँव के किसी भी संसाधन या उसके किसी व्यक्ति के संबंध में, किसी भी अधिनियम और नियम के अंतर्गत निर्णय लेने हेतु अधिकृत होने पर, उस सम्बन्ध में यदि ग्राम सभा द्वारा पूर्व में कोई निर्णय लिया गया है तो उसका सम्यक रूप से ध्यान रखेंगे और यथा संभव ग्राम सभा ने निर्णय के विपरीत जा कर कोई निर्णय पारित नहीं करेंगे. यदि वह ग्राम सभा के निर्णय के विपरीत कोई ऐसा निर्णय लेते है तो ऐसे निर्णय से वह ग्राम सभा को अनिवार्य रूप से अवगत करवाएंगे एवं उन्हें आवश्यक रूप से उस निर्णय के विरुद्ध अपील करने की समयावधि, प्रक्रिया एवं प्राधिकारी के बारे में उनके पता और फ़ोन नंबर सहित अवगत करवाएंगे.

22. ग्राम सभा के निर्णय से किसी अधिकारी या विभाग का व्यथित होना

अपने कार्यों का निर्वहन करते समय, यदि ग्राम सभा कोई निर्णय लेती है जिससे किसी विभाग या अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य में बाधा की संभावना लगती है या होती है तो संबंधित विभाग या अधिकारी विवादित मामले पर कार्यवाही स्थगित कर देगा और ग्राम सभा को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के अनुरोध के साथ ग्राम सभा को प्रस्ताव भेजेगा। ग्राम सभा ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होने के के पंद्रह दिनों के भीतर विभाग या अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखने हेतु आमंत्रित कर सकेगी तथा उस पर विचारों करने के बाद उस संबंध में जो निर्णय लेगी वह अंतिम होगा। ऐसे निर्णय को ग्राम सभा की अनुमति के बगैर पुनः आगामी किसी भी ग्राम सभा के एजेंडा में नहीं जोड़ा जा सकेगा।

23. ग्राम सभा के निर्णयों की अवहेलना

(1) यदि कोई ग्राम/जनपद/जिला पंचायत या कोई विभाग का अधिकारी या कर्मचारी या अन्य कोई प्राधिकारी ग्राम सभा की पूर्व अनुमति के बिना ग्राम में कोई कार्य प्रारंभ करता है, या ग्राम सभा द्वारा चुने गए व्यक्ति के अलावा किसी दूसरे को लाभार्थी बनाता है, या किसी कार्यक्रम में उसके द्वारा बनाये गए नियम या उसकी लगाई गई शर्तों का पालन नहीं करता है तो उस मामले में ग्राम सभा का कोई भी सदस्य ग्राम सभा बैठक में अथवा संबंधित समिति की के सदस्यों के समक्ष आपत्ति कर सकता है और ग्राम सभा या समिति उल्लेखित अवहेलना के संबंध में प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर उनके कार्यों के क्रियान्वयन और उससे संबंधित भुगतानों पर तत्काल रोकने लगाने के लिए निर्देश दे सकती है जिसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा।

(2) कार्यों के क्रियान्वयन और उससे संबंधित भुगतानों पर तत्काल रोकने लगाने के पश्चात ग्राम सभा ऐसे व्यक्ति को अगली ग्राम सभा में अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर देगी एवं उससे संतुष्ट होने के पश्चात ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद ही क्रियान्वयन और भुगतानों पर लगी रोक हटाई जा सकेगी।

(3) संबंधित कार्यक्रमों पर हुए अनियमित खर्च की वसूली संबंधितों से, व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से, ग्राम सभा के निर्णय अनुसार की जा सकेगी। साथ में ग्राम सभा संबंधित व्यक्तियों पर कार्य पर हुए खर्च हुई राशि से के समतुल्य जुर्माना भी लगा सकती है, जो की संबंधित व्यक्तियों के लिए पटाना अनिवार्य होगा। अगर कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं पटाता है तो ग्राम सभा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को ऐसी राशि वसूल कर ग्राम सभा कोष में जमा करवाने हेतु निर्देश दे सकेगी जिसका पालन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा एक माह में करवाया जायेगा।

(4) अगर पंचायत, खासतौर से सरपंच और सचिव, ग्राम सभा की नीतियों और उसके द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम या निर्देशों की लगातार अवहेलना करते हैं तो ग्राम सभा अन्य औपचारिक कार्यवाही होने तक सरपंच और सचिव द्वारा विभिन्न बैंकों में जमा निधि से राशि आहरण पर रोक लगाने हेतु बैंक को निर्देश दे सकती है, जिसका पालन करना संबंधित बैंक के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगा। ऐसे पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभा है वहां की ग्राम सभाएँ ऐसी रोक लगाने की कार्यवाही संयुक्त ग्राम सभा के प्रस्ताव के बाद

कर सकेगी। ग्राम सभा/ओं द्वारा लगायी गयी ऐसी रोक ग्राम सभा की सहमति के बिना किसी भी स्तर से किसी भी प्राधिकारी द्वारा नहीं हटाई जा सकेगी । ग्राम सभा द्वारा आगामी निर्णय लिए जाने तक सरपंच एवं सचिव की जगह पंचायत के अन्य कोई पंच को राशि आहरण के लिए अधिकृत कर सकती है ।

24. ग्राम सभा की रिपोर्ट:

1. ग्राम सभा सचिव प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के अंत तक ग्राम सभा की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे ग्राम सभा के समक्ष अनुमोदन के लिए रखेगा. ऐसी वार्षिक रिपोर्ट में ग्राम सभा द्वारा पूरे वर्ष में प्राप्त आय और व्यय के विवरण के साथ गाँव में क्रियान्वित सभी कार्यक्रमों, योजनाओं और गतिविधियों का विवरण होगा।
2. इसी तरह ग्राम पंचायत सचिव भी प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के अंत तक पंचायत के द्वारा किये गए कार्यों की एक समेकित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमे पंचायत के आय-व्यय का संपूर्ण विवरण तथा ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वित सभी कार्यक्रमों, योजनाओं और गतिविधियों शामिल होगा. वह यह रिपोर्ट ग्राम पंचायत से अनुमोदित करवाते हुए उसकी एक प्रति संबंधित ग्राम सभाओं के सचिव को ग्राम सभा के समक्ष रखे जाने हेतु उपलब्ध करवाएगा।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पंचायत भी अप्रैल माह के अंत तक अपने आय–व्यय एवं जनपद पंचायत द्वारा क्रियान्वित सभी कार्यक्रमों, योजनाओं और गतिविधियों को दर्शाते हुए अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा जनपद पंचायत के अनुमोदन के उपरांत उसे उस जनपद क्षेत्र में आने वाली सभी ग्राम सभाओ को सूचनार्थ भेजेगा।
4. जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी अप्रैल माह के अंत तक जिला पंचायत के आय –व्यय एवं जिला पंचायत द्वारा क्रियान्वित सभी कार्यक्रमों, योजनाओं और गतिविधियों को दर्शाते हुए अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे जिला में आने वाली सभी ग्राम सभाओं को सूचनार्थ अनिवार्य रूप से भेजेगा।

25. ग्राम सभा के लिखित अथवा मौखिक निर्णय का साक्ष्य के रूप में मान्यता

1. ग्राम सभा के सदस्यों के बीच सभी प्रकार के मामलों में ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति के आधार पर लिया गया निर्णय प्रमाण के रूप में अंतिम माना जायेगा।
2. किसी भी प्रशासनिक, न्यायिक तथा अन्य किसी भी प्रकार के मामलों में यदि ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा मौखिक रूप से दिया गया साक्ष्य लिखित निर्णय के विरुद्ध जाता है तो मौखिक साक्ष्य को लिखित दस्तावेज़ से ऊंचा माना जायेगा तथा लिखित दस्तावेज़/तथ्यों /साक्ष्यों को स्वतंत्र नीति से ऐसे दस्तावेज़/तथ्यों /साक्ष्यों को बनाने वाले व्यक्तियों द्वारा सिद्ध करना आवश्यक ऐसे होगा।

26. ग्राम सभा द्वारा पंचायतों व अन्य कार्यकारी निकायों में शांति पूर्ण व रूढ़िजन्य विधि के आधार पर चयन /निर्वाचन /चुनाव कर सकने एवं विवाद निपटाने की शक्ति

प्रत्येक ग्राम सभा / सभाएँ अपने पारंपरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए सक्षम होगी, जिसके लिए वह निम्नलिखित प्रयास करेगी:-

1. सर्व सहमति के आधार पर सहभागी लोकतंत्र की प्रतिनिधि संस्थाओं के लिए चुनाव की प्रक्रिया में ग्राम सभा अपनी परंपरा के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए सक्षम होगी कि,उसमें लोकतंत्र की उच्च आदर्शों का पालन होता है और ऐसी कोई भी बात नहीं होती है, जो गांव समुदाय के लिए लज्जाजनक हो या उसमें किसी तरह की मन-मुटाव शेष रहे ।
2. बिंदु (1) के उद्देश्य को हासिल करने के लिए ग्राम सभा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगी कि चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशों की भावना का ईमानदारी से पालन किया जा रहा है तथा चुनाव की प्रक्रिया अथवा आमजनों के मतदान को धन, बल या किसी अन्य गलत तरीके से प्रभावित नहीं किया जा रहा है ।
3. ग्राम सभा अपनी कार्य समिति अर्थात पंचायत चुनाव के समय एक चुनाव सभा (जन संवाद /चुनावी बैठक) बुलाएगी जिसमे सभी उम्मीदवारों को गांव में चर्चा के लिए तय की गई तारीख को उपस्थित होने के लिए निर्देश देगी. चुनाव सभा में सभी उम्मीदवार पहले अपनी-अपनी बात रखेंगे तथा उसके बाद उन्हें लोगों के पूछे गए सवालों का जवाब देना होगा. उम्मीदवारों से

इस संवाद के अलावा गांव में और कोई चुनावी सभा/ रैली अथवा घर-घर प्रचार नहीं होगी. ग्राम सभा इस प्रकार से अपने गांव के पारंपरिक व्यवस्था अनुसार ऐसी व्यवस्था करने के लिए सक्षम होगी।

4. ग्राम सभा क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करेगी जिससे चुनाव खर्च पर अंकुश लगे और उम्मीदवार निर्धारित खर्च सीमा का ईमानदारी से पालन कर सकें।
5. ग्राम पंचायतों के चुनाव में ग्राम सभा चुनाव आयोग के लिए एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करने के लिए सक्षम होगी, जिसमें आम सहमति की परंपरा से पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव निर्विरोध हो सके।
6. जनपद पंचायत, जिला पंचायत के मामले मे भी बिंदु (3) की प्रक्रिया ग्राम सभा द्वारा अपने निर्धारित क्षेत्र मे अपनाई जा सकेगी।
7. पंचायत चुनाव के पूर्व मतदाता सूची के सुधार हेतु पुनरीक्षण कार्य हेतु यह अनिवार्य होगा की मतदाता सूची में किसी भी नाम को जोड़े जाने या हटाये जाने से पूर्व ग्राम सभा का अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाये जिससे की मतदाता सूची में गाँव के सिर्फ वास्तविक व्यस्क सदस्य शेष रहे.
8. पेसा की धारा 4 (छ) की मूल भावना के अनुरूप यदि किसी अनुसूचित जनजाति की महिला प्रत्याशी द्वारा गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति से विवाह करने के बाद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरा जाता है एवं इस के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति करता है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसे मामले को संबंधित ग्राम सभा के विचारार्थ भेज दिया जायेगा जो की ग्राम सभा क्षेत्र के भीतर विद्यमान रूढ़िजन्य विधियों के आधार पर निर्णय लेते हुए पीठासीन अधिकारी को ऐसी महिला की अनुसूचित जनजाति समाज में स्वीकार्यता के सम्बन्ध में सूचित करेगी एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसी महिला के नामांकन के सम्बन्ध में निर्णय ग्राम सभा के मत के आधार पर लिया जायेगा जिससे कि प्रतिनिधित्व (आरक्षण) का लाभ सही व्यक्तियों को मिल सके.
9. अगर पांचवी अनुसूची क्षेत्र के किसी ग्राम में कोई भी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति निवास नहीं करता है तो उस गाँव के लिए पंचायत ऐसे गाँव को मिलाकर कर बनायीं जाएगी, जिसमें अनुसूचित जनजाति की आबादी कम से कम 50 प्रतिशत से ज्यादा हो. किसी भी स्थिति में पांचवी अनुसूची क्षेत्र में ऐसी कोई भी पंचायत गठित नहीं की जाएगी जहाँ पर अनुसूचित जनजाति का कोई भी व्यक्ति निवास नहीं करता हो.

अध्याय- 4
परम्पराओं, रूढ़ियों और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण और परिरक्षण

संविधान के भाग 9 के अपवाद और उपन्तारण के अधीन रहते हुए पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 की धारा 4 (क) तथा (घ) के अधीन ग्राम सभा रूढ़िजन्य विधि परंपरा, सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं तथा समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों व विवाद निपटाने के रूढ़िजन्य विधि के संरक्षण परिरक्षण करने के लिए सक्षम होगी।

27. सांस्कृतिक विरासत और परंपरा के अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु कार्यवाही :

1. ग्राम सभा या सभाएँ अपने क्षेत्र में प्रचलित विशिष्ट पारंपरिक ज्ञान, बौधिक सम्पदा व जैव विविधता को बचाए रखने की तकनीकी आदि का संरक्षण, संवर्धन, उन्न्यन्न व प्रबंधन करेगी.
2. ग्रामसभा अपने पारंपरिक सीमा के भीतर मौजूद जैव विविधता, पारंपरिक ज्ञान व बौद्धिक संपदाओं का जैव-विविधता अधिनियम 2002 के तहत एक खाका तैयार कर डाटा बैंक तैयार करेगी।
3. ऐसे पारंपरिक ज्ञान, बौधिक सम्पदा व जैव विविधता कोई भी व्यक्ति/समूह/संस्था ग्राम सभा की अनुमति से ही उपयोग कर सकेगी एवं ग्राम सभा ऐसे उपयोग पर नियंत्रण रख सकेगी। यदि इनका व्यावसायिक उपयोग किया जाता है तो ग्राम सभा इस हेतु शुल्क लगा सकेगी.
4. ग्रामसभा अपने गांव समाज की सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए सक्षम है जिसके अंतर्गत वह गांव में प्रत्येक सामाजिक कार्यो पर बाहरी प्रभाव के कारण बढ़ते खर्च व परंपरा के विपरीत प्रथाओं पर नियंत्रण और मिलजुल कर आपसी सहयोग से ज़िम्मेदारी निभाने वाली परंपराओं का पालन करने और उनके लिए नियम बनाने के लिए सक्षम होगी।

5. ग्राम सभा अपनी पुरातन संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए सक्षम है। इस हेतु ग्राम सभा अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करने तथा संरक्षित रखने के लिए एक संकल्प पारित कर उन्हें शासकीय दस्तावेज़ों के रूप में अपने रिकॉर्ड में संधारित करवाने में सक्षम होगी।
6. ग्राम सभा गांव की व्यवस्था अपनी परम्पराओं के अनुसार बनाने के लिये सक्षम है; परन्तु यह और भी कि यदि गांव समाज की परंपरा किसी नियम-कानून से असंगत है, परंतु उसमें संविधान के उपबंधो की भावना और मानवीय तथा संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन नही है, तो उस परंपरा के अनुसार आचरण करने पर अथवा ग्राम सभा के इस हेतु लिए गए किसी फैसले के मुताबिक कार्यवाही करने पर किसी पर भी व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कानून का उल्लंघन करने की कार्यवाही नही की जाएगी
7. ग्राम सभा यदि पारंपरिक व्यवस्था अनुसार कोई निर्णय लेती है या कार्यवाही करती है जो किसी अधिनियम और नियम में बताये गए प्रावधान या प्रक्रिया से असंगत है तो इसकी जानकारी संबंधित विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व ग्राम सभा सचिव को दी जाएगी. ग्राम सभा सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह इस जानकारी से ग्राम सभा को अवगत करवायेगा जिसके बाद ग्राम सभा अपने फैसले को बदलने या शासन को ऐसे अधिनियम और नियम को परंपरा से असंगत होने के कारण बदलने हेतु पत्राचार कर सकता है। ग्राम सभा द्वारा यदि पत्राचार हेतु निर्णय लिया जाता है तो उस पर शासन द्वारा निर्णय लिए जाने तक उस प्रकरण में किसी भी विभाग द्वारा किसी भी व्यक्ति या समूह पर कोई भी कार्यवाही स्थगित रखेगा।
8. पारंपरिक शैक्षणिक व सामाजिक संस्थाओं [गोटूल, धुमकुरिया, इत्यादि] तथा आधुनिक शासकीय एवं निजी विद्यालयों के विकास, संरक्षण और संवर्धन हेतु ग्राम सभा निम्नलिखित कार्य करने हेतु सक्षम होगी:
   i. अनुसूचित क्षेत्रों में त्रिभाषा फार्मूला (स्थानीय भाषा-अंग्रेजी-हिंदी) बहुलता के आधार पर विद्यालय का संचालन करना।
   ii. आदिवासी समुदायों के प्राचीन शैक्षिणक ढाचों (जैसे गोटूल, धुमकुरिया) जैसे संस्थानों को और मज़बूती प्रदान करना।
   iii. भारतीय संविधान के अनु. 350 (क), शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 29 (ड), राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा एवं अन्य मामलों में स्थानीय भाषा (गोंडी, हल्बी, कुड़ुख, सादरी, बिरहोर, कमार, भतरी, दोरला, बैगा आदि) का उपयोग करना।
   iv. प्राचीन वाद्य यंत्रों, गाँव समुदाय की नृत्य कलाओं, गीतों, कहानियों, लोक कथाओं, पहेलियों, मुहावरों का उपयोग सामाजिक रीति रिवाज़ों के अलावा अन्य कार्यक्रमों मे उपयोग को नियंत्रित करना।
   v. शैक्षणिक संस्थाओं को सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करना तथा उसमें परंपरागत ज्ञान कलाओं के बारे में प्रारंभ से ही रुचि जागृत करने के लिए व्यवस्था करना।
9. ग्राम सभा, अन्य कार्यों के साथ-साथ, नीचे लिखे कार्यों को खास तौर से कर सकेगी :-
   i. परंपरागत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बाज़ारीकरण करने वाली गतिविधियों को नियंत्रित अथवा निषेध करना।
   ii. भाग्य आजमाने वाले किसी भी तरह का दावा-बाजी लगाने, सट्टेबाज़ी. इत्यादि के खेलो को नियंत्रित अथवा निषेध करना।
   iii. परंपरागत सीमा के भीतर परंपरागत संस्कृति से असंगत किसी भी तरह की संस्कृति को ग्रामसभा नियंत्रित अथवा रोकने में सक्षम होगी।
   iv. अनुसूचित क्षेत्रों की आस्था के केंद्र पेन गुड़ी/गुड्ड, राऊड़, गदिया, पेनकसा, पेन मट्टा, पेन कोटुम, सरना व अन्य स्थलों का संरक्षण करना।

28. परंपराओं रूढ़ियों और उनकी सांस्कृतिक विशिष्टताओं द्वारा विवाद समाधान

1. पेसा की धारा 4 (घ) के अधीन ग्राम सभा रूढ़िजन्य विधि, परंपरा, सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं तथा समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों व विवाद निपटाने के रूढ़िजन्य विधि का संरक्षण एवं परिरक्षण में लिए सक्षम होगी।
2. ग्रामसभा अपनी इस ज़िम्मेदारी को शांति एवं न्याय समिति के माध्यम से क्रियान्वित करेगी जो समुदाय के प्रचलित पारंपरिक ढांचे से साम्यता रखता हो.
3. ग्राम सभा अपने क्षेत्र में शांति एवं न्याय समिति के माध्यम से निम्नलिखित कार्यवाही और कार्यों को करने के लिए सक्षम होगी:

i. भयमुक्त, शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में;

ii. हर नागरिक के आत्मसम्मान/स्वाभिमान की रक्षा करने में;

iii. प्रत्येक नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने में;

iv. असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर जिनमें महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई-झगड़ा वाद-विवाद आदि भी शामिल है पर रोक लगाने तथा जरुरत पड़ने पर इस हेतु सरकारी अधिकारियों की सहायता लेने में.

4. शांति एवं न्याय समिति आस-पास के गांव से सामंजस्य बनाए रखेगी तथा पड़ोसी गांव के समान हितों और एक दूसरे पर निर्भरता के मामलों में हर तरह की कार्यवाही आपसी सहमति के आधार पर हो यह सुनिश्चित करेगी।

5. जहां जरूरी हो, शांति एवं न्याय समिति, ग्राम सभाओं के बीच बातचीत के आधार पर, संबंधित मुद्दों के बारे में समान नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में समझौते कर सकेगी और उनका अनुपालन सुनिश्चित करेगी, जिससे इलाके के गांव के बीच किसी तरह के विवाद की संभावना ही न रहे और पूरे क्षेत्र में शांति का वातावरण बना रहे।

अ. शांति एवं न्याय समिति

ग्राम सभा एक शांति एवं न्याय समिति का गठन करेगी। शांति एवं न्याय समिति में ग्राम के पारंपरिक मुखिया आधारित व्यवस्था (पढ़हा/ मुखिया/ गायता/ पेनो/ पेरमा/ वड्डे/ सिरहा/ वैद्यराज/ मांझी/ पेन माजी/ पटेल/ पुजारी/ महतो/ तडवी/ बैगा/ सयान) अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहेंगे तथा समिति के सदस्यों में से कम से कम तैंतीस प्रतिशत महिलायें होंगी और न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जनजाति के होना अनिवार्य होगा;

शांति समिति निम्नानुसार कार्य करेगी:

1. शांति एवं न्याय समिति अपने कार्य को सुचारु रूप में संचालन करने के लिए उप समिति बना सकती है .
2. शांति एवं न्याय समिति का एक समन्वयक होगा जिसके निर्देशों के अनुसार शांति सुरक्षा दल (PST) कार्य करेगी। PST का मुखिया शांति समिति का पदेन सदस्य होगा।
3. शांति एवं न्याय समिति पड़ोसी गाँवों के साथ समान हित और एक दूसरे पर निर्भरता के मामलों में सामंजस्य बनाए रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इन विषयों पर कोई भी निर्णय और कार्यवाही पड़ोसी गाँवों की ग्राम सभा के साथ आपसी सहमति के आधार पर ही किये जाए।
4. शांति समिति ग्राम की शांति भंग करने वाले को समझाएगी तथा विवाद करने वाले दो समूहों के बीच मध्यस्थता करने का प्रयास करेगी तथा शांति में दखल डालने वाली घटनाओं की जाँच कर रिपोर्ट ग्राम सभा के समक्ष निर्णय के लिए प्रस्तुत करेगी
5. जहां आवश्यक हो, शांति समिति तत्काल कार्यवाही करेगी और की गयी कार्यवाही से ग्राम सभा को यथाशीघ्र सूचित करेगी।
6. ग्राम का कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग के अधिकारी या कर्मचारी के पास कार्यवाही के लिये जाने से पहले अनिवार्य रूप से शांति एवं न्याय समिति/ग्राम सभा/परगना परिषद को जानकारी देंगे और इसकी लिखित में पावती लेंगे।

ब. शांति और सुरक्षा दल:

जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए ग्राम सभा एक शांति और सुरक्षा दल (Peace and Security Team) का गठन कर सकती है। यह दल शांति एवं न्याय समिति के मार्गदर्शन में कार्य करेगा।

(1) गांव के युवा जिनकी आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच है को ग्राम सभा द्वारा शांति और सुरक्षा दल में शामिल किया जा सकेगा।

(2) शांति और सुरक्षा दल अपने सदस्यों में से एक मुखिया का चयन करेगा.

(3) शांति और सुरक्षा दल अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए अपने सदस्यों में से छोटे-छोटे समूह बनाएगी जिन्हें जंगल तथा गाँव की सुरक्षा हेतु रात्रि गश्त सहित अन्य कार्य जैसे जंगलों को आग से बचाना, पशुओं से फ़सलों की सुरक्षा, पर्व पडूमों

आदि सार्वजनिक उत्सवों पर सेवा कार्य, आसामजिक तत्वों पर निगरानी, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वयं सेवी जैसे कार्य आवंटित किया जा सकता है।

(4) जब टीम के सदस्यों को सीधे तौर पर या किसी अन्य माध्यम से किसी भी अप्रिय घटना के बारे में या उसके घटित होने की संभावना के बारे में पता चलता है तो वह तुरंत मौके पर पहुँच कर जरूरी हस्तक्षेप करेंगे और मामले को यथाशीघ्र शांति समिति के समन्वयक या सदस्य के पास ले जाएंगे और उसके निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। दल के सदस्य आत्मरक्षा को छोड़कर किसी भी रूप में बल का प्रयोग नहीं करेंगे।

स. विवाद निपटान /समाधान / न्याय समिति

1. ग्राम सभा, आवश्यकता अनुसार उसके समक्ष आने वाले विवादों को ध्यान में रखते हुए, अपने सदस्यों में से न्यूनतम पांच एवं अधिकतम पंद्रह सदस्यों की एक अस्थाई विवाद निपटान /समाधान /न्याय समिति गठित करेगी।
2. समिति में रूढ़िजन्य परंपरा/प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के जानकार (जैसे –मुखिया /गायता/ पेनो /पेरमा /वड्डे/ सिरहा/ मांझी, इत्यादि) गाँव के वरिष्ठ नागरिकों को ग्राम सभा द्वारा सदस्य के रूप में नामांकित किया जाएगा। जिसमें कुल सदस्यों में से एक तिहाई महिला सदस्यों के साथ ही पचास प्रतिशत सदस्यों का अनुसूचित जनजाति वर्ग से होना अनिवार्य होगा।

29. परगना परिषद :-

ग्राम सभाओं के बीच समान उद्देश्य हेतु आपसी संवाद के लिए आम सहमति से लोकतांत्रिक आधार पर बनी व्यवस्था एक परगना परिषद कहलाएगी जो की 10 या 10 से अधिक ग्राम सभाओं की पारंपरिक सीमाओं से मिलकर बना ऐसा विशिष्ट क्षेत्र होगा जो की प्राचीन काल से अपने पारंपरिक स्वरूपों के साथ बना हो तथा उसकी एक निर्धारित भौगोलिक सीमा तथा सांस्कृतिक व आर्थिक ढाँचा (हजोर भूमकाल, पढ़हा, पंचायत, आदि) होगा।

परगना परिषद का गठन - 10 या 10 से अधिक ग्राम सभाओं की पारंपरिक सीमा से मिलकर बना ऐसा विशिष्ट क्षेत्र में शामिल सभी ग्राम सभा के अध्यक्ष व हर ग्राम सभा से आम सहमति के आधार पर तय किए गए 5 सदस्यों से मिलकर बनने वाली संस्था. ग्राम सभा द्वारा तय किये गए 5 सदस्यों मे से 3 सदस्य अनिवार्य रूप से अनुसूचित जनजाति के होंगे तथा कम से कम एक सदस्य महिला होगी। जो कि यथा संभव पारंपरिक नेतृत्व व देवीय /पेन सेवा कार्य से जुड़े हुए जैसे मांझी, मुखिया, गायता, बैगा, पेरमा, वड्डे, आदि अनुसूचित जनजाति समुदाय से होंगे .

कार्य:- परगना परिषद अपने निर्धारित क्षेत्र में दो या दो से अधिक ग्राम सभाओं के बीच विवाद, बाजार प्रबंधन, पर्यावरण सम्बन्धी मसलों, विकासात्मक गतिविधियों, देवीय प्रकरणों, जनजातीय रूढ़ि जन्य विवादों, पर्यावास के मामलों तथा किसी भी ग्राम सभा के निर्णय पर अपील सम्बन्धी मामलो पर सभा कर न्याय और प्रबंधन पर फैसला कर सकती है .

(1) परगना परिषद के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा लेकिन जिस ग्राम सभा द्वारा वह नामाँकित है अगर वह चाहे तो उन्हें यह कार्यकाल पूर्ण होने से पहले वापस बुला सकेगी तथा उनके स्थान पर दूसरे सदस्य को नामाँकित कर सकेगी.

(2) परिषद आम सहमति के आधार पर एक अध्यक्ष और एक सचिव चुनेगी। इनका काम पूरी तरह अवैतनिक होगा। परिषद की बैठकों के लिए किसी भी तरह की यात्रा भत्ता इत्यादि की व्यवस्था नहीं होगी.

(3) परिषद की बैठक अध्यक्ष की सलाह से सचिव द्वारा समय-समय पर बुलाई जाएगी। परंतु यदि कोई ग्राम सभा परिषद की बैठक बुलाने के लिए प्रस्ताव करती है तो सचिव का दायित्व होगा कि विषय की गंभीरता को देखते हुये जल्द से जल्द या 15 दिन के भीतर परिषद की बैठक बुलाए।

(4) परिषद की दो बैठकों के बीच 3 महीने से अधिक की अवधि का अंतर नहीं होगा।

(5) ग्राम सभाओं के बीच समान हित मामलों पर परगना परिषद विचार करेगी और जरूरी बिंदुओं पर सामान्य नीति तय कर सकेगी, जिसके अनुसार सभी ग्राम सभाएँ जरूरी कार्यवाही करेगी।

(6) इस नियम के तहत किसी भी ग्राम सभा के किसी फैसले या कार्यवाही से यदि कोई व्यक्ति असहमत है तो उसे परगना परिषद के समक्ष पेश किया जा सकेगा।

(7) परगना क्षेत्र की ग्राम सभाओं के बीच किसी भी तरह का विवाद परगना परिषद के समक्ष पेश किया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में परिषद का निर्णय अंतिम एवम सर्वमान्य होगा।

(8) परगना परिषद द्वारा विवाद निपटाने हेतु सभा ऐसे जगह पर किया जावेगा, जहाँ पर संबंधित लोगों को आने जाने में परेशानी न हो और यथा संभव प्रभावित /संबंधित क्षेत्र में ही किया जाए , यदि विवाद किन्ही दो ग्रामों के बीच है , तो ऐसी स्थिति में विवादित गाँव से अलग स्थान पर सभा आयोजित किया जायेगा .

30. परगना परिषद की उप-समितियां

1. ग्राम सभा के स्तर पर आम सहमति के आधार पर फैसला ना हो पाने की स्थिति में फैसले से असंतुष्ट पक्षकार मामले को परगना परिषद के सामने पेश करने के लिए स्वयं पहल कर सकेंगे. परगना परिषद उस विषय पर सीधे निर्णय कर सकेगी या आवश्यकतानुसार उस विषय पर निर्णय लेने के लिए अस्थाई उप-समिति का गठन कर सकेगी.
2. यदि परगना परिषद को किसी विषय पर कार्य करने हेतु एक छोटे समूह की आवश्यकता महसूस होती है तो वह उस विषय हेतु भी उप समिति का गठन कर सकेगी. इन उप समितियों में न्याय उप समिति का विशिष्ट स्थान रहेगा.
3. इन उप समितियों में आवश्यकतानुसार परगना क्षेत्र के निवासियों मे से संबंधित विषय के जानकार व्यक्तियों को सम्मिलित किया जा सकेगा जिनका परगना परिषद का सदस्य होना अनिवार्य नहीं रहेगा।
4. यह उप समिति का कार्यकाल और कार्यपद्धति परगना परिषद द्वारा तय किया जायेगा.
5. उप समितियों का गठन करते वक्त परगना परिषद उनमें से एक अध्यक्ष-सह-सचिव चुनेगी जो की समिति की बैठक बुलाने और उसके संचालन और दस्तावेजीकरण के लिए जिम्मेदार होगा.
6. उप समितियों की सभी बैठकें पारंपरिक व्यवस्था अनुरूप खुले स्थान पर होगी।
7. उप समिति अपने निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद उसे परगना परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी तथा उस पर परगना परिषद द्वारा निर्णय लिया जायेगा.
8. ऐसे निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार हेतु अपील परगना परिषद के समक्ष ही की जा सकेगी तथा ऐसे पुनर्विचार पर परगना परिषद द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा उस पर किसी भी स्तर पर कोई अपील नहीं की जा सकेगी।
9. दंड की व्यवस्था करते समय परगना परिषद प्रकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करेगी।

31. विवाद समाधान की प्रक्रिया

अ विवादों की रोकथाम

1. ग्राम सभा गांव में किसी भी तरह का विवाद न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए अपनी परंपरा के अनुसार जरूरी चौकसी रखने के लिए सक्षम है।
2. किसी भी तरह की विवाद की संभावना होने पर या उसके शुरू होने के बाद जल्दी से जल्दी समाधान के लिए ग्राम सभा की "शांति एवं न्याय समिति " स्वयं अपनी जानकारी के आधार पर अथवा किसी भी रूप में उसके संबंध में जानकारी दिए जाने पर उचित कार्यवाही करेगी। इस मामले का समाधान न होने की स्थिति में शांति एवं न्याय समिति ग्राम सभा की बैठक में पेश करेगी ।

ब विवादों का निपटारा- ग्राम सभा द्वारा सुने जाने वाले विवाद

1. ग्राम सभा अपने गाँव समुदाय के ऐसे सभी विवाद या प्रकरण जो रोटी-बेटी लेन-देन व्यवस्था/जन्म/ विवाह/ मृत्यु संस्कार, पेन पुरखों, रूढीजन्य विश्वास, भूमि, सम्पत्ति आदि से संबंधित है का समाधान कर सकेगी। ग्राम सभा या उसके द्वारा अधिकृत समिति ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक के समुदाय (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग) की रूढीजन्य पारंपरिक व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करेगी और ऐसी रूढीजन्य पारंपरिक व्यवस्थाओं के अनुरूप ही निर्णय ले सकेगी तथा उस के विपरीत कोई भी कार्यवाही नहीं करेंगी।

2. ग्राम सभा ग्राम सीमा के अन्दर के ऐसे समन प्रकरण (summon case) सुन सकेगी जिसमे 2 साल की सजा अथवा 1,000 रूपए से कम जुर्माने का प्रावधान हो. (अनुग्लनक 1)
3. ग्राम सभा व्यक्तिगत और सामुदायिक संसाधनों के उपयोग और दोहन के सम्बन्ध में समस्त प्रकरण अथवा विवाद पर सुनवाई कर सकेगी
4. किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या विभाग या संस्था या शांति एवं न्याय समिति द्वारा ग्राम सभा के समक्ष कोई विवाद या प्रकरण लाया जाता है तो ग्राम सभा स्थिति को देखते हुए उस पर तुरंत विचार करते हुए निर्णय कर सकेगी या उस पर विचार के लिए पृथक से अन्य तिथि तय करेगी या उस पर सुनवाई के लिए शांति और न्याय समिति को अधिकृत कर उचित निर्देश दे सकेगी।
5. ग्राम सभा द्वारा अधिकृत किये जाने पर शांति एवं न्याय समिति विवादित विषय की जानकारी रखने वाले पांच लोगों की न्याय समिति बनाएगी जिसमे जहां तक संभव होगा रोटी-बेटी लेन-देन व्यवस्था के जानकर, विवेकवान, वयोवृध्द व्यक्ति होंगे और उनमें से एक महिला प्रतिनिधि के रूप में लिया जाएगा। यह समिति संबंधित व्यक्तियों की तुरंत सुनवाई करेगी या एक तारीख तय कर सभी संबंधित व्यक्तियों को उपस्थित रहने के लिए सूचना/नोटिस जारी कर सकेगी।
6. विवाद के निपटारे के लिए ग्राम सभा अथवा शांति एवं न्याय समिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में प्रचलित पारंपरिक रूढी प्रथा के अनुसार कार्यवाही करेगी। पारंपरिक व्यवस्था के अनुरूप विवाद का समाधान करने मे ग्राम सभा सक्षम होगी।
7. किसी भी प्रकरण या विवाद की सुनवाई सार्वजनिक रूप से होगी तथा उसके बारे में अंतिम फैसला करने से पहले दोनों पक्षों के लोगों तथा अन्य कोई दिलचस्पी रखने वाले व्यक्तियों, यदि कोई हो, जो सक्रिय रूप से कार्यवाही में शामिल हैं, को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जायेगा।
8. सभी लोगों के विचारों को सुनने के बाद ग्राम सभा द्वारा गठित न्याय समिति उस पर विचार-विमर्श करेगी तथा अपने निष्कर्ष और उस पर प्रस्तावित आगे की कार्यवाही ग्राम सभा को प्रस्तुत करेगी।
9. प्रस्तुत निष्कर्ष और उस पर प्रस्तावित आगे की कार्यवाही पर ग्राम सभा के सभी सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर होगा।
10. ग्राम सभा के सभी सदस्यों को सुनने के बाद न्याय समिति, यदि जरूरी हो तो, उचित संशोधन के साथ अपने नए निष्कर्ष और प्रस्तावित कार्यवाही ग्राम सभा के समक्ष फिर से पेश करेगी। उस पर आम सहमति होने पर उसे ग्राम सभा का फैसला माना जाएगा।
11. यदि निष्कर्ष या प्रस्ताव पर ग्राम सभा में आम सहमति नहीं बन पाती है तो मामले को शांति एवं न्याय समिति को सौंपा जा सकता है। शांति एवं न्याय समिति पक्षकारों से विचार-विमर्श करने के बाद मामले को फिर से ग्राम सभा की अगली बैठक में अपनी अनुशंसा के साथ पेश करेगी। इस बैठक में ग्राम सभा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
12. ग्राम सभा अथवा उसके द्वारा अधिकृत समिति संबंधित प्रकरण को ले कर सुनवाई करने में तथा दंड लगाने के लिए अनुग्लनक 1 के तथा अपनी पारंपरिक व्यवस्था अनुसार सक्षम होगी।
13. किसी भी विवाद को हल करने का मुख्य उद्देश्य विवाद के कारण को खत्म करना और गांव में शांति, सौहार्द एवं आपसी भाईचारा का माहौल बनाना होगा।

स. ग्राम सभा के क्षेत्र के बाहर/समुदाय के साथ विवाद का निपटारा:

1. यदि कोई विवाद जिसमे एक से अधिक ग्राम सभा के समुदाय शामिल है तो दोनों ग्राम सभाओं की न्याय समिति आपसी सामंजस्य से संयुक्त बैठक कर उस विवाद को हल करने का प्रयास करेगी। ग्राम सभा को यदि ठीक लगे तो वह न्याय समिति में विवाद में शामिल समुदाय के प्रमुखों को शामिल कर सकती है.
2. यदि दोनों ग्राम सभाओं की न्याय समिति की बैठक में विवाद का हल निकल जाता है तो वह अपने निष्कर्ष को अपनी अपनी ग्राम सभा में अंतिम अनुमोदन के लिए रखेगी और यदि हल नहीं निकल पाता है तो वे दोनों ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक प्रस्तावित कर सकेगी.

3. ऐसी दोनों ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में न्याय समिति चाहे तो विवाद उठाने वाले पक्षकार के परगना/विकास-खंड/जिला क्षेत्र के समुदाय प्रमुखों को भी आमंत्रित कर सकेगी जिससे की दोनों समाज/समुदाय की रीति, नीति, रूढ़ि, परंपरा, आदि को ध्यान में रखते हुए विवाद का हल निकाला जा सके.
4. यदि ऐसी संयुक्त ग्राम सभा की लगातार तीन बैठको में भी विवाद का हल नहीं निकल पाता है तो वह मामला उस क्षेत्र के परगना परिषद में ले जाया जायेगा. परगना परिषद मामले के स्वरुप को देखते हुए अपनी एक परगना न्याय उप समिति का गठन कर उसे विवाद समाधान के लिए अधिकृत कर सकेगी.
5. यदि ऐसी तीन बैठकों के बाद भी विवाद का हल नहीं निकल पाता है तो परगना परिषद द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा .

32. ग्राम सभा द्वारा दंड

ग्राम सभा निम्नानुसार दंड का प्रावधान कर सकती है:

1. दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कोई औपचारिक दंड अपवाद स्वरूप ही दिया जाएगा। आमतौर पर ग्राम सभा के समक्ष गलती स्वीकार करना, उसके लिए खेद व्यक्त करना, समुदाय से क्षमा प्रार्थना, और भविष्य में गलती न दोहराने का वायदा ही समुचित दंड माना जाना जाएगा।
2. दण्ड तय करते वक्त संबंधित व्यक्ति की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति का ध्यान रखना जरूरी होगा। आर्थिक दंड भी जहां तक हो सके न्यूनतम हो। किसी भी हालत में वह इतना भारी नहीं हो जिससे दोषी व्यक्ति आर्थिक रूप से टूट जाये या उसका परिवार अभावग्रस्त हो।
3. विवाद के कारण अपमान, मनोवैज्ञानिक ह्रास सहित किसी भी रूप में, किसी भी तरह का नुकसान उठाने वाले व्यक्ति को दोषी व्यक्ति से दंड के रूप में मुआवजा दिलाने की व्यवस्था की जा सकती है।
4. ऐसे स्थिति में, जब अर्थ दंड लेने की आवश्यकता हो तो पारंपरिक व्यवस्था के अनुरूप ग्राम सभा द्वारा दंड की मात्रा तय किया जा सकता है।
5. बहुत ही गंभीर स्थिति में मामला तुरंत परगना न्याय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा एवं उनके लिए निर्णय मान्य होगें ।

33. पुलिस की भूमिका

1. पुलिस को ग्राम सभा के क्षेत्र में शांति भंग होने की संभावना के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो, गंभीर मामलों और ऐसी परिस्थिति को छोड़ कर जिसमें पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है, पुलिस उसका विस्तृत प्रतिवेदन शांति एवं न्याय समिति अथवा ग्राम सभा के समक्ष तत्काल प्रस्तुत किया जायेगा। पुलिस विभाग द्वारा ऐसे मामलों की रोकथाम या उसे सुलझाये जाने हेतु कोई भी कार्यवाही या किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने की कार्यवाही शांति एवं न्याय समिति अथवा ग्राम सभा के सदस्यों की उपस्थिति में ही की जा सकेगी।
2. किसी अपराध के घटित होने के बारे में पुलिस स्टेशन को सूचना मिलने पर विभाग द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर उसकी कापी ग्राम सभा अथवा शांति एवं न्याय समिति के पास 24 घंटे के भीतर भेजी जाएगी।
3. ऐसी सूचना प्राप्त होने पर शांति एवं न्याय समिति या ग्राम सभा तत्काल बैठक कर जो निर्णय लेगी उसकी लिखित सूचना थाना में दी जाएगी जिसे रिपोर्ट में जोड़ा जाना अनिवार्य होगा।
4. यदि शांति एवं न्याय समिति या ग्राम सभा मामले का तत्काल निराकरण नहीं कर पाती है तो उन्हें तीन माह का समय दिया जायेगा और यदि इस तीन माह के भीतर वह मामले पर निर्णय लेकर उसका समाधान कर देती है तो मामला पुलिस थाना से समाप्त कर दिया जाएगा अथवा न्यायालय में ऐसे मामले को समाप्त करने के लिए अभ्यावेदन पुलिस विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा.
5. तीन माह की समाप्ति पर मामले का समाधान शांति एवं न्याय समिति या ग्राम सभा द्वारा नहीं होने पर उनके द्वारा आगामी कार्यवाही करने हेतु पुलिस को सूचना दी जाएगी एवं यदि सूचना नहीं प्राप्त होती है तो पुलिस विभाग द्वारा स्वमेव अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।
6. इस समयावधि में कोई भी पक्षकार परगना परिषद को मामले का निराकरण करने हेतु निवेदन कर सकेगा और निर्णय से संबंधित थाना को सूचित किया जाएगा ।

34. गिरफ्तारी व जमानत

1. किसी मामले में गांव के किसी निवासी को गिरफ्तार करने के पहले, जहां तक संभव हो, पुलिस के द्वारा संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए ग्राम सभा के समक्ष पेश किया जाएगा. यदि ग्रामसभा पुलिस से सहमत नहीं है तो पुलिस द्वारा लिखित में ग्राम सभा को कारण बताते हुए ही गिरफ़्तारी की जा सकेगी और उसकी एक प्रति ग्राम सभा को उपलब्ध करवाई जाएगी।
2. गिरफ्तारी के समय शांति एवं न्याय समिति/ग्राम सभा के कम से कम 3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
3. बहुत ही गंभीर मामलों में जहाँ पर ग्राम सभा या शांति एवं न्याय समिति से परामर्श किये बिना पुलिस द्वारा गिरफ़्तारी की जाती है तो पुलिस की यह ज़िम्मेदारी होगी की वह मामले का विस्तृत विवरण ग्राम सभा या शांति एवं न्याय समिति के समक्ष जल्द से जल्द प्रस्तुत करेगी; परन्तु किसी भी दशा में विवरण दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा.
4. गिरफ़्तारी के समस्त मामलों में पुलिस ग्राम सभा या शांति एवं न्याय समिति या गिरफ्तार किये गए व्यक्ति के परिवार के सदस्य को गिरफ़्तारी के 48 घंटे के भीतर व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे रखे जाने वाले स्थान की जानकारी देगी।
5. गाँव के किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के न्यायालय में जमानत दिए जाने हेतु ग्राम सभा जमानतदार हो सकेगी एवं ग्राम सभा की ओर से उसके अध्यक्ष, सचिव अथवा शांति एवं न्याय समिति कार्यवाही करने हेतु सक्षम होगी। न्यायालय ऐसे मामलों में जमानत के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को जमानतदार बनाने अथवा सुरक्षा निधि जमा किया जाने (किसी भी प्रकार की राशि, व्यक्तिगत पट्टे, ऋण पुस्तिका, इत्यादि) हेतु ज़ोर नहीं देगी एवं ग्राम सभा द्वारा लिखित में ली गयी ज़िम्मेदारी गांव समुदाय की ओर से सामूहिक ज़िम्मेदारी का प्रतीक होगी।

35. ग्राम सभा के निर्णय के विरुद्ध जाने वाले व्यक्ति पर कार्यवाही-

यदि ग्राम सभा के किसी निर्णय से प्रभावित व्यक्ति या समूह को लगता है कि उनके मानवाधिकारों का हनन हुआ है ऐसे मे प्रभावित व्यक्ति द्वारा पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाने पर, पुलिस द्वारा सामान्य नियम प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही शुरू करने से पहले मामले से संबंधित पूरी जानकारी के लिए ग्राम सभा से संपर्क करेगी और उसके बाद ही आगे की कार्यवाही की जावेगी।

अध्याय -5
प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, कृषि और भूमि

36. प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु ग्राम सभा की पहल

1. ग्राम सभा स्थानीय परंपरा अनुसार अपनी पारंपरिक सीमा क्षेत्र मे स्थित सामुदायिक संसाधनों एवं प्राकृतिक स्रोतों को जिसमे जल, जंगल, ज़मीन और गौण खनिज शामिल है जिन पर वह पारंपरिक अधिकारों का उपयोग करते आए है, उसकी प्रथा और परंपरा के अनुसार तथा संविधान के उपबंधों, पंचायत उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996, वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 की भावना के अनुरूप संरक्षण, संवर्धन, परिरक्षण तथा प्रबंधन करने के लिए सक्षम होगी।
2. ग्राम सभा यह प्रयास करेगी कि संसाधनों का उपयोग इस तरह से किया जाए कि:
   - (i) संसाधनों के स्थाई संरक्षण की व्यवस्था हो
   - (ii) गांव के सभी लोगों के पास सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो
   - (iii) गांव की खुशहाली और सतत उपयोग (sustainability) को ध्यान में रखते हुए ही स्थानीय संसाधनों का उपभोग हो जिससे कि संसाधनों का स्थाई आधार बना रहें
   - (iv) लोगों के बीच असमानता कम हो एवं संसाधन कुछ ही लोगों तक सीमित न हो;
   - (v) व्यक्तिगत अधिकारों को उचित स्थान देते हुए सामुदायिक विरासत की मूल भावना का अनुसरण हो।
3. ग्राम सभा सभी संसाधनों के सतत उपयोग एवं प्रबंधन के लिए एक संरक्षण और प्रबंधन योजना तैयार करेगी जिसमे गाँव की पारंपरिक सीमा के भीतर के संसाधनों के बारे में विस्तृत विवरण होगा
4. प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए ग्राम सभा की एक स्थायी संसाधन, योजना और प्रबंधन समिति (RPMC) होगी परंतु वह स्थानीय जरूरतों को देखते हुए जल, जंगल, ज़मीन, गौण खनिज तथा अन्य संबंधित विषयों के प्रबंधन के लिए अलग-अलग समिति या उप–समितियां बना सकती है।

5. ग्राम सभा के क्षेत्र के भीतर सभी प्रकार के योजना, कार्ययोजना, परियोजना, कारखाना, उद्योग धंधा चालू करने से पहले ग्राम सभा से सहमति लेना अनिवार्य है ।

6. पूर्व से प्रचलित लीज, पट्टा अनुबंध के नवीनीकरण अथवा समयावधि में वृद्धि अथवा परियोजना क्षेत्र में विस्तार आदि के पहले प्रभावित ग्राम सभाओं से अनिवार्य सहमति जरुरी होगी ।

प्रभावित से अर्थ है ऐसी ग्राम सभा जो अपने आप को उस कार्य से प्रभावित समझती हों. ऐसी प्रभावित ग्राम सभाओं के चिन्हांकन के लिए SDM द्वारा उस परियोजना की परिधि के दायरे आने वाली सभी ग्राम सभाओं को सूचित करने के लिए जिम्मेदार होगा और उनके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को प्रभावित मानता हो ,उनसे भी सहमति लेगा।

37. संसाधन, योजना और प्रबंधन समिति- (Resource, Planning and Management Committee- RPMC)

(1) ग्राम सभा की एक स्थायी संसाधन, योजना और प्रबंधन समिति (RPMC) होगी।

(2) RPMC का गठन निम्नानुसार होगा:

i. समिति में सदस्यों की संख्या ग्राम सभा निर्धारित करेगी तथा उन्हें सर्वसम्मति से चुनेगी जिसमें अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या आधे से कम नही होगी तथा आधे सदस्यों का महिला होना अनिवार्य है। समिति में कोई भी पंचायत पदाधिकारी तथा शासकीय कर्मचारी सदस्य नहीं होंगे ।

ii. ग्राम सभा समिति का गठन करते समय समिति के सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा सचिव का भी नाम सर्वसम्मति से तय करेगी। अध्यक्ष एवं सचिव अनिवार्य रूप से अनुसूचित जनजाति के होंगे।

iii. समिति ग्राम सभा के निर्देशानुसार कार्य करेगी।

iv. समिति के किसी भी सदस्य को ग्राम सभा समिति का कार्यकाल पूर्ण होने के पहले भी बदल सकेगी ।

(3) RPMC आवश्यकता अनुसार विशिष्ट विषयों पर जैसे कि कृषि, गौण खनिज, गौण वनोपज, जल संसाधन, इत्यादि कार्यों में समिति की सहायता करने के लिए उप-समितियाँ भी बना सकेगी ।

(4) ग्राम सभा द्वारा अधिकृत किये जाने पर RPMC सभी संसाधनों का सतत उपयोग एवं प्रबंधन के लिए एक संरक्षण और प्रबंधन योजना तैयार करेगी ।

(5) RPMC ग्राम के पारंपरिक सीमा के भीतर तथा सीमा से लगे हुए क्षेत्रों के संसाधनों का (सीमावर्ती गाँव से सलाह के उपरांत) उपयोग करने के लिए ग्राम सभा के सदस्यों को सलाह देगी और उनका सहयोग करेगी ।

(6) सभी विभागों के अधिकारी, मैदानी स्तर के प्रतिनिधि या विषय विशेषज्ञ RPMC द्वारा समय-समय पर विषय संबंधित जानकारी मांगे जाने पर उसके तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे और RPMC द्वारा आमंत्रित किये जाने पर समिति अथवा ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेकर आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज़ प्रदान करेंगे।

(7) संसाधनों के प्रबंधन या उपयोग के बारे में ग्राम वासियो के बीच विचारों मे भिन्नता, मतभेद या विवाद होने पर RPMC सभी पहलुओं पर विचार कर निर्णय लेगी और लिए गए निर्णय को ग्राम सभा से अनुमोदित करवाएगी। RPMC यदि विवाद निपटाने में सक्षम न हो तो इसका समाधान ग्राम सभा की बैठकों में किया जाएगा । ग्राम सभा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

38. सामुदायिक परिसंपत्तियों का प्रबंधन:

1. सामुदायिक सम्पत्ति से आशय है की गाँव क्षेत्र की सीमा में स्थित समस्त प्राकृतिक स्रोत ,जिसके अंतर्गत जल, जंगल, ज़मीन और गौण खनिज भी शामिल है जो सार्वजनिक उपयोग के लिए पुरातन काल से ग्राम के निवासियों द्वारा उपयोग में होते आये है। इनके साथ ही किसी भी मद से किसी भी योजना, कार्यक्रम आदि के अंतर्गत निर्मित ढाँचा अथवा चल अचल संपत्ति जो की सार्वजनिक उपयोग के लिए बनायीं गए है वह भी सामुदायिक संपत्ति में शामिल होगी ।
2. समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से उपयोग की जाने वाली सामुदायिक संपत्तियों का प्रबंधन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा।
3. ग्राम सभा के निर्देशन मे RPMC सभी सामुदायिक परिसंपत्तियों को एक रजिस्टर में दर्ज करेगी जिसमे उनका स्वामित्व, उपयोग, उद्देश्य स्पष्ट रूप से दर्ज हो।
4. रजिस्टर में दान, श्रमदान, सहायता आदि के माध्यम से बनाई गई कोई भी नई अथवा पुरानी सामुदायिक संपत्ति भी शामिल होगी. ग्राम सभा के द्वारा संधारित समस्त अभिलेख / दस्तावेज़ भी सामुदायिक परिसंपत्ति मानी जावेगी।

5. ऐसे रजिस्टर को वार्षिक रूप से सत्यापित किया जाएगा ताकि उनके स्वामित्व, उपयोग और उद्देश्य को बदला न जा सके और उन पर कोई अतिक्रमण न कर सके।
6. किसी भी सामुदायिक परिसंपत्तियों का स्वामित्व, उपयोग, उद्देश्य ग्राम सभा की अनुमति से ही बदला जा सकेगा।
7. ग्राम सभा RPMC को शासन एवं प्रशासन द्वारा संचालित सभी योजनाओं के अभिसरण से ग्राम के विकास हेतु एक समेकित कार्ययोजना बनाने के लिए अधिकृत कर सकेगी तथा ऐसी बनाई गयी योजना ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात RPMC अथवा ग्राम सभा अधिकृत अन्य समितियों द्वारा लागू किया जायेगा

39. जैव-विविधता को दृष्टिगत रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन

1. ग्राम सभा पारंपरिक रुप से जैव-विविधता का प्रबंधन जिस तरह से करती रही है, उन्ही पारंपरिक तकनीक के अनुसार उनका प्रबंधन अनवरत रूप से जारी रख सकती है.
2. जैव विविधता कानून 2002 के प्रावधानों का क्रियान्वयन करने के लिए ग्राम सभा गाँव की एक जैव विविधता समिति गठित कर सकती है या संसाधन, योजना और प्रबंधन समिति को इस हेतु अधिकृत कर सकेगी. इस समिति में कोई भी शासकीय कर्मचारी या पंचायत पदाधिकारी सदस्य नहीं होगा
3. जैव विविधता के सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर लिए गए निर्णय का क्रियान्वयन ग्राम स्तर पर ग्राम सभा द्वारा अधिकृत जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा किया जायेगा.
4. जैव विविधता प्रबंधन समिति गाँव क्षेत्र के सभी जीव-जंतुओं और पारंपरिक ज्ञान की सूची बनाएगी और उसको जैव विविधता पंजी में दर्ज करेगी. सूची बनाते वक्त समिति जैव विविधता पंजी का प्रारूप ग्राम सभा द्वारा तय किया जायेगा और जीव-जंतुओं का नाम और पारंपरिक ज्ञान स्थानीय बोली भाषा के अनुसार लिखा जा सकेगा
5. समिति का मुख्य कार्य होगा की वह :

   क) पारंपरिक ज्ञान और जैव विविधता के सतत उपयोग को सुनिश्चित करते हुए उनकी संरक्षण करे तथा उसके पोषणीय उपयोग की योजना बनाये

   ख) विनाश की ओर जानी वाली प्रजातियों का संरक्षण एवं पुनर्वास करते हुए स्थानीय जैव विविधता का पुनःस्थापना करे

   ग) धरोहर वृक्षों, पशु-पक्षियों/सूक्ष्म-जीवों इत्यादि व पवित्र कुंजों, पवित्र जलाशयों सहित धरोहर स्थलों का प्रबंधन करे

   घ) सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वनस्पतियों/पशु-पक्षियों की पारंपरिक प्रजातियों/किस्मों का संरक्षण करे।

   ङ) जैव विविधता कि सतत् शिक्षा का प्रबंध व जैव विविधता संरक्षण के संबंध में समुदाय में जागृति लाने का प्रयास करे।

   च) जैव-सांस्कृतिक अंतरजाल श्रृंखला (प्रोटोकॉल) का दस्तावेजीकरण और इसकी प्रक्रिया का निर्धारण करे

   छ) पारंपरिक ज्ञान व जैव विविधता से जुड़ी स्थानीय समस्याओं की जानकारी रखे और उनका समाधान करे

   ज) जैविक संसाधनों के व्यावसायिक इस्तेमाल को नियंत्रित करे तथा उनके जैव उपयोग के लिए अनुरोध को विनियमित करे

   झ) जैव संसाधनों की पहुंच को विनियमित करें, ताकि जैविक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों का साम्यापूर्ण हिस्सा ग्राम सभा को प्राप्त हो सके

   ञ) स्थानीय लोगों को जैव संसाधनों के संरक्षक एवं तत्संबंधी ज्ञान तथा सूचना के संवर्धकों के रूप में स्वीकृत करते हुए उन्हें तत्संबंधी लाभों का साम्यापूर्ण हिस्सा संप्राप्त करावें

   ट)जैव संसाधनों के उपयोग में से उदभृत फ़ायदों के साम्यापूर्ण हिस्सा बांटने के संबंध में ग्राम सभा को सलाह दे

   ठ) जैव विविधता को नुकसान पहुँचने वाले व्यक्ति, समूह और संस्था पर कार्यवाही करते 2000 रूपए तक का जुर्माना लगाये

6. ग्राम सभा आदिम जनजातियों में प्रचलित जैव विविधता को विकसित करने की टोटेमिक जीव अवधारणा तकनीक, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रचलित पेन/पुरखों की स्थापना तकनीक, इकोसिस्टम को संतुलित रखने के लिए जंगल, नदी, पहाड़ों पर पारंपरिक निगरानी सिस्टम आदि तरीकों को सतत् जारी रखने का प्रयास करेगी।
7. ग्रामसभा जीव जंतु वनस्पतियों के नियंत्रित दोहन, उपभोग व सतत् उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिऐ मौसम आधारित पारंपरिक जैव कैलेंडर व पंडुम (पर्व) चक्र, जीवों व वनस्पतियों के साथ सहजीविता की तकनीक आदि सहज परंपराओं के आधार पर प्रबंधन कर सकती है और इसके लिए गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति में पारंपरिक ज्ञान संकलन में लगे समुदाय प्रमुख जैसे मांझी, मुखिया,वड्डे, बैगा आदि को भी सम्मिलित कर सकती है।
8. ग्राम सभा अपने पारंपरिक सीमा के भीतर जैविक उर्वरक, पक्षियों द्वारा कीट नियंत्रण प्रणाली, अतंरवर्तीय कृषि तकनीक, वर्मी कम्पोस्ट, नाइट्रोजन निर्माण करने वाली वनस्पतियों के उत्पादन आदि पर्यावरण अनुकूल पद्यतियों का संरक्षण संवर्धन व विकास कर सकती है।.
9. जैव विविधता को संवर्धित, विकसित व संरक्षित करने हेतु एक तरह की पारिस्थितिक तंत्र वाले ग्रामों के समूह या परगना परिक्षेत्र आपस में संयुक्त सभा कर किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता धरोहर क्षेत्र निर्धारित कर सकती है तथा ऐसे क्षेत्रों में किसी विशिष्ट जीव, वनस्पति को संरक्षित प्रजाति घोषित कर सकती है। जैव विविधता धरोहर स्थल ऐसे सुपरिभाषित क्षेत्र है जो अनूठे हो व जिनकी पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकीय दृष्टि से नाज़ुक हो। वे स्थलीय, तटीय अथवा आंतरिक जल क्षेत्र हो सकते हैं, जिनमें समृद्ध जैव विविधता हो। इनमे ऐसी प्रजातियाँ शामिल हो सकती है जो क्रम विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो या जिनमें प्राचीन काल में जैविक अवयवों की उपस्थिति के प्रमाण हो या जिनमें जीवाश्म शामिल हो या जिनका सांस्कृतिक अथवा सौंदर्य बोध की दृष्टि से महत्व हो और जो सांस्कृतिक विविधता को बनाये रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो।
10. किसी ग्राम यह ग्रामों के समूह अथवा परगना द्वारा किसी क्षेत्र को जैव विविधता धरोहर क्षेत्र घोषित करने के लिए यदि प्रस्ताव पारित किया जाता है तो इसकी सूचना राज्य के जैव विविधता बोर्ड के सचिव को दी जाएगी जो इस बाबत 1 माह के भीतर उसे अधिसूचित करेगा.

40. खेती के लिए योजना बनाने के लिए ग्राम सभा:

ग्राम सभा गांव की परिस्थिति को देखते हुए खेती किसानी के बारे में ऐसी कार्यवाही करने के लिए सक्षम है जिससे साधारण किसान के लिए कृषि भरण–पोषण की दृष्टि से लाभदायक हो और उससे अधिक से अधिक रोज़गार की संभावना बने। इसके साथ-साथ वह कृषि के आधुनिकीकरण से जो दूरगामी दुष्परिणाम परिणाम हो रहे है या हो सकते है उसे रोकने के लिए जरूरी उपाय कर सकेगी । इस हेतु ग्राम सभा निम्नलिखित कार्य कर सकती है:

1. ग्राम सभा अपने गांव मे कृषि हेतु योजना बनाने और उसका क्रियान्वयन करने के लिए सक्षम होगी
2. ग्राम सभा निम्नलिखित के लिए योजना बनाते हुए उसका क्रियान्वयन कर सकती है:
    i. मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए;
    ii. चराई को विनियमित करने एवं चारगाहों की क्षमता को बढ़ाने के लिए;
    iii. वर्षा जल को संग्रहण/एकत्रित कर, उसका उपयोग निस्तार एवं सिंचाई करने हेतु;
    iv. आपसी सहयोग से सभी के लिए पारंपरिक बीज, खाद इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु
    v. उन्नत कृषि हेतु एक दूसरे से पारंपरिक ज्ञान साझा करना के लिए;
    vi. श्रम के उपयोग और रोज़गार को कम करने वाली मशीनों के उपयोग को नियंत्रित या निषेध करना।
    vii. पारंपरिक रूप से श्रम सहकार की भावना को बढ़ावा देने हेतु;
    viii. जैविक खाद, जैव-उर्वरकों और कीट-नियंत्रक जीवों को बढ़ावा देने तथा रासायनिक खाद, उर्वरकों और कीट नियंत्रको को यदि जरूरत हो तो निषेध करने हेतु ।
    ix. पारंपरिक फसलों व फसल चक्र, पारंपरिक बीज भंडार को बनायें रखने में सहयोग करना।
    x. पोषण विविधता का अध्ययन कर हर मौसम में प्राप्त उत्पादों को गाँव के हर व्यक्ति तक उपलब्धता सुनिश्चित करना.
3. ग्राम सभा अपने पारंपरिक भोज्य श्रृंखला के कृषि उत्पादों के लिए जोत के लिए कृषि क्षेत्र भी तय कर सकती है जिससे वर्ष भर विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट, वसा व अन्य तत्वों की पोषक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

4. ग्राम सभा भूमि, जल वायु प्रदूषण से बचाव हेतु निर्णय लेने में सक्षम होगी |
5. पारंपरिक ज्ञान, बीज सग्रंहण पद्धति, जैविक कीटनाशक, अनाज भंडारण की तकनीक, जीवों के साथ सहजीविता तकनीक, जैव विविधता के साथ संतुलन स्थापित करती कृषि तकनीक, प्रसंस्करण तकनीक आदि बौद्धिक ज्ञान व संपदा की पहचान कर उनके पेटेंट अधिकार प्रदान करने में ग्राम सभा गाँव के व्यक्ति/समुदाय/संस्था को आर्थिक व तकनीकी सहयोग करना।

भाग अ- भूमि संसाधन

41. भूमि प्रबंधन का रिकॉर्ड संधारण

1. भूमि से संबंधित समस्त रिकॉर्ड का प्रबंधन तथा संधारण का संपूर्ण अधिकार ग्राम सभा का होगा. इस हेतु पटवारी एवं बीट गार्ड गाँव की सीमा के भीतर के समस्त राजस्व और वन अभिलेख की प्रति ग्राम सभा को उपलब्ध करवाएंगे.
2. ग्राम सभा का यह अधिकार होगा की वह प्रति वर्ष समस्त भूमिहीनों एवं भुमिधारकों से संबंधित राजस्व एवं वन रिकॉर्ड का संधारण करे तथा ग्राम सभा के अनुमोदन के अनुसार राजस्व एवं वन रिकॉर्ड का अद्यतिकरण हो. इस हेतु पटवारी और बीट गार्ड की यह ज़िम्मेदारी होगी की गाँव की भूमि से संबंधित समस्त रिकॉर्ड प्रतिवर्ष अथवा ग्राम सभा द्वारा मांग किये जाने पर उन्हें ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करे और उन्हें विस्तृत रूप में सभी ग्राम वासियों को समझाए. साथ ही उनका यह दायित्व होगा की रिकॉर्ड में त्रुटी के सम्बन्ध में जो कोई भी सुधार ग्राम सभा द्वारा सुझाये जाते है उसके अनुसार वह रिकॉर्ड अद्यतन कर उसका पालन प्रतिवेदन ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करे.
3. ऐसी जमीन जिनके भू स्वामी गांव से बाहर है या जिनके द्वारा भूमि का त्याग कर दिया गया है उन जमीनों को ग्राम सभा द्वारा भू स्वामी की सहमति से अथवा परंपरा के अनुसार सामूहिक खेती, बटाई खेती या पर्यावरण संवर्धन हेतु गांव के जरुरतमंदो को उपलब्ध करवाया जायेगा; लेकिन भूमिस्वामी के गाँव में वापस आने के बाद वह ज़मीन भूमिस्वामी को वापस दिलवाने की ज़िम्मेदारी ग्राम सभा की होगी.
4. ज़मीन के सम्बन्ध में कोई भी वास्तविक या न्यायिक व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप में कोई भी औपचारिक या अनौपचारिक समझौता करता है जिससे कि गाँव में भूमि के उपयोग, कब्ज़े या कानूनी स्थिति में कोई भी बदलाव आता हो तो उसके पूर्व उसे ग्राम सभा की अनुमति लेना अनिवार्य होगा. इस तरह के कोई भी समझौते जो पूर्व में किये गए है या वर्तमान में प्रचलित है या भविष्य में संभावित है तो उसे प्रमाणित करने के लिए ग्राम सभा के समक्ष रखा जायेगा। जब तक ग्राम सभा ऐसे सभी समझौतों को विधिवत प्रमाणित नहीं कर देती है, तब तक ऐसा कोई भी लेन-देन प्रभावी नहीं होगा और ग्राम सभा को उसे रद्द करने की शक्ति होगी. राजस्व विभाग (पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार) और वन विभाग (बीट गार्ड, डिप्टी रेंजर और रेंजर) की यह ज़िम्मेदारी होगी ऐसे कोई भी समझौता के सम्बन्ध में समस्त दस्तावेज़ ग्राम सभा के अनुमोदन और प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत करे.
5. ग्राम सभा अपने सीमा क्षेत्र में विद्यमान रूढ़िजन्य विधियों के अनुसार जनजातियों की भूमि अधिकार संबंधी परंपराओं के अनुसार भूमि हस्तांतरण/नामांतरण/वारिसन प्रक्रिया अपनाने के लिए स्वतंत्र होगी।यथा जिसमे राजस्व विभाग के पटवारी के द्वारा रिकॉर्ड संधारण की प्रक्रिया में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के भू पुस्तिका , खसरा ,बी 1 आदि में भू स्वामी के अलावा अन्य हिस्सेदारों का नाम ग्राम सभा के सहमति से जोड़ा या हटाया जायेगा .

42. पांचवी अनुसूची क्षेत्र में भूमि प्रबंधन

1. पांचवी अनुसूची क्षेत्र किसी भी अधिनियम/नियम में किसी बात के होते हुए भी कोई अचल सम्पत्ति का हस्तांतरण शून्य माना जायेगा यदि ऐसा हस्तांतरण अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति या ऐसी सहकारी समिति जिसमे सारे सदस्य अनुसूचित जनजाति के है को छोड़ कर किसी अन्य व्यक्ति को किया जाता है.
2. यदि किसी ऐसे गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के पास ऐसी कोई ज़मीन पायी जाती है तो उसके पक्ष में ऐसा हस्तांतरण अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति या उसके पूर्वजों द्वारा हुआ माना जायेगा और वह यह ज़मीन सिर्फ अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ही बेच सकेगा.

3. यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि हस्तांतरण करना चाहता है पर उसे कोई अनुसूचित जनजाति का खरीददार नहीं मिल रहा है तो ऐसा व्यक्ति जिला कलेक्टर को भूमि हस्तांतरण करने हेतु आवेदन कर सकेगें और ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर ऐसी ज़मीन का मुआवजा देते हुए अधिग्रहित कर लेगा एवं ऐसी ज़मीन भविष्य में सिर्फ अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति या उनकी सहकारी समिति को ही हस्तांतरित की जा सकेगी.
4. यदि अनुसूचित जनजाति को छोड़ कर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर ज़मीन हस्तांतरण का कोई प्रकरण आता है तो ग्राम सभा भू राजस्व सहिंता 1959 की धारा 170ख-2(क) के तहत कार्यवाही करेगी और संबंधित भूमि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति अथवा उनके वंशज को वापस दिलवाएगी।
5. यदि किसी अनुसूचित जनजाति या गैर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति किसी ज़मीन पर ऋण लेता है एवं उसे नहीं चुका पाने के कारण उसकी नीलामी कर उसकी वसूली की जानी है तो ऐसी ज़मीन को सिर्फ अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति या अनुसूचित जनजाति की सहकारी समिति को ही नीलम की जा सकेगी
6. हस्तांतरण से अर्थ है भूमि की बिक्री अथवा किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को बेनामी रूप में ज़मीन का हस्तांतरण जिसमे बेनामी व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का न हो.
7. पांचवी अनुसूची क्षेत्रों में कोई भी भूमि की रजिस्ट्री करने वाला प्राधिकारी भूमि की रजिस्ट्री तब तक नहीं करेगा जब तक ऐसी रजिस्ट्री करवाने वाला व्यक्ति इस बात का प्रमाण पत्र ना उपलब्ध करवा दे की वह अनुसूचित जनजाति का है या सहकारी समिति अनुसूचित जनजाति की है जिसमे सारे सदस्य अनुसूचित जनजाति के है .
8. अगर कोई व्यक्ति व्यक्ति इस नियम के अधिसूचित होने के बाद:
    i. ऐसी अचल सम्पत्ति धारण करता है जो की इसके प्रावधान के खिलाफ है
    ii. ऐसी अचल सम्पत्ति से हटाये जाने हेतु दिए गए आदेश का पालन नहीं करता है

    तो उसे एक साल के सश्रम कारावास या 10,000 हजार रूपए तक के दंड अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा एवं ऐसा दंड ग्राम सभा कोष में जमा करवाया जायेगा

43. भूमि-अधिग्रहण/शासकीय क्रय/हस्तांतरण से पहले ग्राम सभा से सहमति एवं उसका प्रत्यावर्तन

(1) केंद्र/राज्य सरकार या शासन/प्रशासन, किसी संस्था या किसी व्यक्ति द्वारा गांव में किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी रूप में ज़मीन उपयोग/अर्जित/क्रय करने के पहले 50 प्रतिशत कोरम में ग्राम सभा से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

(2) अनुसूचित क्षेत्रों में कोई भी परियोजना या उद्योग इत्यदि के लिए भू–अधिग्रहण से आशय होगा भूमि के उपयोग में परिवर्तन जिससे उस ग्रामसभा का उस भूमि के संरक्षण, परिरक्षण एवं प्रबंधकीय अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा

(3) भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी मामलों में ग्राम सभा की लिखित, दबाव-मुक्त, अग्रिम व संसूचित सहमति **(free, prior, written, informed consent)** से ही कोई भी कार्य शुरू किया जा सकेगा तथा सभी विभाग अपनी कार्ययोजना ग्राम सभा की सहमति के उपरांत बनाएँगे।

(4) जहां सरकार किसी भी कानून के तहत भूमि अधिग्रहण करने पर विचार कर रही हो, उस मामले में उस प्रस्ताव के साथ-साथ सरकार या संबंधित प्राधिकरण (सरकार का सॉवरेन गारंटी के साथ) की और से कमिश्नर स्तर से अनिम्न स्तर का व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित जानकारी स्थानीय भाषा में लिखित रूप में ग्राम सभा आयोजन के कम से कम एक माह पूर्व उपलब्ध करवाया जायेगा:

    I. परियोजना के संभावित प्रभाव क्षेत्र में उससे पड़ने वाला संभावित प्रभाव (पर्यावरणीय एवं प्रदूषण संबंधित आकलन के साथ), रेखांकित करते हुए प्रस्तावित परियोजना की पूरी रूपरेखा, प्रस्तावित भू-अर्जन, जिसमे वर्तमान अथवा भविष्य में भू-अर्जन भी शामिल है;
    II. प्रभावितों का व्यवस्थापन उस गाँव में न हो पाने की स्थिति में उनके लिए नयी जगह पर समाजिक व्यवस्थाओं के अनुरूप पुनर्स्थापन के लिए संभावित व्यवस्था
    III. संबंधित परियोजना में गांव समुदाय की प्रस्तावित भागीदारी (जो कि 50% से कम न हो)
    IV. सतत आजीविका की योजना, इत्यादि

(5) ग्राम सभा को पूरी जानकारी मिल जाने के बाद संबंधित ग्राम सभा एक-एक कर अथवा सामूहिक रूप से संबंधित प्राधिकरण और सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाकर जानकारी लेने के लिए सक्षम होगी। संबंधित प्राधिकरण और सरकार के प्रतिनिधियों, जो को कमिश्नर स्तर से अनिम्न स्तर के व्यक्ति होंगे, के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे सभी बिंदुओं पर मौखिक और लिखित में स्पष्ट, विस्तृत और सही जानकारी दें।

(6) ग्राम सभा के द्वारा पूछे गए सवाल पर संबंधित प्राधिकरण या सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा दिये गए जवाब का लिखित कागज़ और उससे संबंधित दस्तावेज़ ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा|

(7) ग्राम सभा के समक्ष भूमि अधिग्रहण की शर्तों से संबंधित प्राधिकरण या सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(8) भूमि-अधिग्रहण/शासकीय क्रय में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की धारा 41 के अंतर्गत वैकल्पिक पुनर्वास योजना या राज्य सरकार द्वारा बनायीं गयी बेहतर पुनर्वास योजना का पालन किया जायेगा जिसका क्रियान्वयन ग्राम सभा की निगरानी में होगा।

(9) भूमि अधिग्रहण के एवज में मुआवज़े के साथ ही भूमिस्वामी के लिए परियोजना के संचालन की अवधि तक मासिक किराया/लाभांश निर्धारित किया जायेगा, ताकि उसकी आमदनी का ज़रिया लगातार बना रहे।

(10) ऊपर वर्णित बिंदु क्रमांक 1 से 7 तक की प्रकिया व प्रस्ताव पर सभी प्रभावित ग्राम सभा की सहमति के बिना संबंधित प्राधिकरण या सरकार किसी भी गांव में भूमि अधिग्रहण के बारे में कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकेगी।

(11) यदि कोई भूमि किसी कार्य हेतु अनुसूचित जनजाति के सदस्य से किसी भी प्राधिकारी/विभाग/संस्था द्वारा अधिग्रहित की जाती है एवं ऐसा अधिग्रहण के 5 वर्ष के अन्दर उसका उपयोग अधिग्रहित किये जाने वाले प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है तो ग्राम सभा ऐसी भूमि हेतु किये गए अधिग्रहण को अकृत और शून्य घोषित कर सकेगी और ऐसी भूमि को उसके विधिक वारिसों में पुन निहित करने वाला आदेश पारित करते हुए उस भूमि को उन्हें प्रत्यावर्तित करेगी एवं इस हेतु वह अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को निर्देशित कर सकेगी. ग्राम सभा का निर्देश मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) 3 महीने के भीतर कब्ज़ा प्रत्यावर्तित करने की कार्यवाही को पूरा करेगा तथा की गयी कार्यवाही से ग्राम सभा को अवगत करवाएगा।

44. कतिपय मामलों में भूमि का हस्तांतरण

1. गाँव में किसी व्यक्ति को विषम परिस्थिति में धन की आवश्यकता होने पर ग्राम सभा उस व्यक्ति की निजी भूमि के हस्तांतरण कि शर्तें तय कर सकती है।
2. यदि कोई व्यक्ति किसी संकट के दौर में है या या उसे अति आवश्यक रूप से धन की आवश्यकता है तो वह ऐसे मामलों में ग्राम सभा की अनुमति से नीचे लिखे व्यक्तियों को भूमि का हस्तांतरण कर सकेगा. अर्थात वह:
   a. गांव में रहने वाले उस भूमि के अन्य हिस्सेदार या वारिस को,
   b. गांव में रहने वाले भूमिहीन परिवार को,
   c. बिक्री किये जाने वाले ज़मीन से लगे हुए ज़मीन मालिक के पक्ष में,

   इसी क्रम में बिक्री कर सकेगा। ऐसे मामलों में ग्राम सभा यह ध्यान रखेगी की किसी भी प्रकार का हस्तांतरण अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ही हो सकेगा एवं अन्य किसी को नहीं हो सकेगा.
3. ग्राम सभा सक्षम हो तो वह उस व्यक्ति की भूमि ग्राम सभा के नाम पर ग्राम सभा कोष से क्रय कर सकेगी. बाद में यदि वह व्यक्ति सक्षम हो तो ग्राम सभा ऐसी ज़मीन को पुनः ऐसी बिक्री करने वाले व्यक्ति को विक्रय कर सकेगी अर्थात मूल भू स्वामी को देगी।

   नोट :- इसके पीछे सोच यह होगी कि भूमि, व्यक्तिगत संपत्ति ही नहीं, बल्कि सामुदायिक धरोहर है और कुल की विरासत है। इस परंपरा के अनुसार ग्राम सभा यह सुनिश्चित करने के लिए सक्षम है कि गांव की भूमि का हस्तांतरण बाजार में संपत्ति की खुली खरीद-फरोख्त के रूप में न हो, वरन् जीवन बसर करने के अधिकार को मान्यता देते हुए हो।
4. इसके साथ-साथ ग्रामसभा यह भी सुनिश्चित कर सकती है की बिक्री के फलस्वरूप किसी के भी पास गांव मे औसत से कम ज़मीन नहीं होगी।
5. ग्राम सभा हर मामले में संबंधित व्यक्तियों की विशेष स्थिति का ध्यान रखते हुए ज़मीन का मूल्य और उसके भुगतान का तरीका इत्यादि तय करने के लिए सक्षम है।

6. किसी भी भूमि का किसी भी रूप में हस्तांतरण करने, बिक्री, गिरवी, पट्टा-अनुबंध, अदला-बदली, ठेका प्रथा पर देने से पहले अन्य कानूनी औपचारिकताओं के साथ-साथ ग्राम सभा से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जरूरत पड़ने पर ग्राम सभा ऐसे अनुबंधों की शर्तें तय कर सकेगी।

    नोट: "किसी भी रूप में हस्तांतरण" में बिक्री, रहन/बंधक (गिरवी), पट्टा-अनुबंध, अदला-बदली, ठेका प्रथा शामिल है जिसमें ज़मीन का मालिक या उसे जोतने वाला या कब्ज़ा करने वाला बदल जाए।

45. भूमि की वापसी

1. जहां ग्राम सभा को स्वयं से या किसी की शिकायत से यह मालूम होता है कि अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति की ऐसी ज़मीन जो उसके पूर्वजो अथवा स्वयं द्वारा उपभोग किया जा रहा था या जिस पर उस व्यक्ति का पट्टा था, किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है, तो उस मामले मे ग्राम सभा भू-राजस्व सहिंता 1959 की धारा 170ख-2(क) के तहत कार्यवाही करेगी।
2. यदि किसी अनुसूचित जनजाति की महिला द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति से भूमि क्रय की जाती है या उसे कोई भूमि पैतृक संपत्ति के रूप में या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त होती है, तो ऐसी महिला के देहांत के बाद यदि उसके उत्तराधिकारी अनुसूचित जनजाति वर्ग के नहीं है तो उस पर भी ग्राम सभा कार्यवाही करते हुए उस भूमि को उसके पैतृक परिवार को प्रत्यावर्तित करेगी एवं परिवार नहीं होने की दशा में वह भूमि ग्राम सभा को हस्तांतरित मानी जाएगी.
3. किसी भी प्रकरण में ग्राम सभा यदि इस नतीजे पर पहुँचती है कि, किसी व्यक्ति ने ज़बरदस्ती, बलपूर्वक, धोखाधड़ी करके अथवा कूटरचित दस्तावेज़ तैयार कर अथवा किसी और माध्यम से अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की ज़मीन को हथिया लिया है, चाहे उसका कारण कोई भी हो, एवं ग्राम सभा को लगता है की प्रथम दृष्टया कब्जा गलत है तो ऐसी स्थिति में ग्राम सभा उस कब्जेदार को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने के लिए बुला सकती है।
4. विवाद निपटाने के बारे में नियम 31 में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार ग्राम सभा दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अथवा यदि दूसरा पक्ष उपस्थित नहीं होता है तो स्वयमेव सभी बातों पर विचार करके, अगर इस नतीजे पर पहुंचती है कि वह कब्जा अनुचित है तो वह उस कब्जा को तत्काल, अथवा अगर खेत में कोई फसल खड़ी हो तो फसल कटने के बाद वापस, दिलवायेगी। यदि भूमि से असली भूमिस्वामी की मृत्यु हो गयी है तो ग्राम सभा उस ज़मीन का कब्ज़ा ऐसे भूमिस्वामी के वारिस को दिलवाएगी.
5. विवादित भूमि पर कब्जा वापिस दिलाने के लिये ग्राम सभा या इस कार्य हेतु गठित कम से कम तीन सदस्यों की एक समिति मौके पर जाएगी और संबंधित व्यक्तियों को ग्राम सभा के निर्णय की सूचना देते हुए जिस पक्ष के हक मे ग्राम सभा द्वारा निर्णय दिया गया है ऐसे व्यक्ति को विवादित भूमि पर कब्जा दिलवायेगी।
6. यदि ग्राम सभा ऐसी भूमि पर कब्ज़ा दिलवाने मे असमर्थ/असफल रहती है अथवा ग्राम सभा द्वारा कब्जा दिलवाने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति उस कब्जे में रूकावट पैदा करता है तो ग्राम सभा इसकी सूचना अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को इस भूमि को प्रत्यावर्तित करने के निर्देश के साथ देगी।
7. ग्राम सभा का निर्देश मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ऐसी सूचना मिलने के 3 महीने के भीतर अथवा कृषि का मौसम आने के पहले, जो भी पहले हो, कब्ज़ा प्रत्यावर्तित करने की कार्यवाही को पूरा करेगा तथा की गयी कार्यवाही से ग्राम सभा को अवगत करवाएगा। ग्राम सभा के भूमि रिकॉर्ड सम्बन्धी लिए गए निर्णय के 60 दिनों के भीतर राजस्व निरीक्षक रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए जिम्मेदार होगा. ऐसे नहीं किये जाने पर संबंधित राजस्व अधिकारी/कर्मचारी जो ऐसे कृत्य के लिए जिम्मेदार होंगे उनके विरुद्ध शास्ति अधिरोपित करते हुए जिला कलेक्टर 1000 रूपए तक का जुर्माना लगा सकता है एवं यह राशि ग्राम सभा कोष में जमा होगी.
8. किसी भी न्यायालय में ऐसे सभी लंबित मामले जिसमें आदिवासी की भूमि को कथित रूप से किसी वास्तविक या न्यायिक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से हस्तांतरित या कब्ज़े में ले लिया गया हो, तो ऐसे मामले और संबंधित ज़मीन को इस नियम की अधिसूचना की तिथि से विवाद निपटान के लिए पेसा अधिनियम की धारा 4(ड)(iii) के प्रावधानों के अनुसार ऐसी ग्राम सभा को हस्तांतरित किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में वह भूमि स्थित है। इस हेतु कार्यवाही राज्य सरकार के राजस्व विभाग के सचिव द्वारा की जाएगी जो की इस हेतु कार्यवाही कर ग्राम सभा को अवगत करवाएगा. भविष्य में भी इस विषय से संबंधित कोई भी मामले किसी भी न्यायालय द्वारा ग्राम सभा द्वारा उस पर निर्णय दिए जाने से पहले नहीं सुने जायेंगे.
9. उपरोक्त प्रावधानों के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह के अपने कर्तव्यों में लापरवाही करना दंडनीय अपराध होगा।

46. अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास :

1. अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण करने के पूर्व ऐसा करने वाली एजेंसी ग्राम सभा के समक्ष पुनर्वास का संपूर्ण विवरण लिखित मे प्रस्तुत करेगी। एजेंसी और ग्राम सभा के मध्य हुए बैठक का कार्यवाही विवरण, जिसमे ग्राम सभा द्वारा पूछे गए सवाल तथा एजेंसी द्वारा दिये गए जवाब लिखित में हो, को ग्राम सभा के प्रस्ताव रजिस्टर पंजी में दर्ज किया जावेगा।
2. ग्राम सभा सर्व-सहमति के आधार पर सभी आवश्यक सुविधाएँ सुलभ कराए जाने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकेगी। जिन कार्यों के लिए तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है वे संबंधित विभाग या उचित स्तर की पंचायत के तकनीकी मार्गदर्शन मे ग्राम सभा के निर्णय अनुसार ग्राम सभा अथवा ग्राम पंचायत द्वारा किए जाएँगे।
3. संबंधित भूमि अधिग्रहण करने वाली एजेंसी, अधिग्रहण की अधिसूचना के दिनांक से, ग्राम सभा के समक्ष प्रत्येक तीन माह मे पुनर्वास योजना की प्रगति से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट/दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगी।
4. यदि ग्राम सभा को यह लगता है की उसके द्वारा सुझाए गए बिंदुओं के अनुसार पुनर्वास कार्य नहीं हो रहा है तो वह जिला कलेक्टर को लिखित मे सूचना देगी। राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य होगा की वह तीन माह के भीतर ऐसी सूचना पर कार्यवाही कर ग्राम सभा को लिखित मे सूचना दे।
5. पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन पैकेज मे अनिवार्य रूप से निम्नलिखित बाते भी सम्मिलित रहेंगी:
   (1) अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक प्रभावित परिवार को सिंचित भूमि के आबंटन मे प्राथमिकता दी जाएगी।
   (2) प्रत्येक प्रभावित परिवार को उनके वार्षिक रूप से वनोपज संग्रहण की मात्रा और दिवस के अनुसार अतिरिक्त न्यूनतम कृषि मजदूरी दर से भुगतान पारंपरिक उपयोग तथा संग्रहण क्षेत्र के नुकसान की क्षति-पूर्ति के रूप मे दिया जाएगा।
   (3) अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक प्रभावित परिवार को यथासंभव विस्थापन क्षेत्र के निकटतम उनके द्वारा चयनित प्रकृतिक पर्यावास क्षेत्र मे एक सघन सामाजिक समूह के रूप मे किया जाएगा जिससे उनका भाषाई एवं सांस्कृतिक अस्तित्व बना रहे।
   (4) अनुसूचित जनजाति के सभी परिवारों को पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों मे ही पुनर्वासित तथा पुनर्व्यवस्थापित किया जाएगा।
   (5) पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों मे पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र के मूल-निवासियों के अलावा किसी दूसरे को पुनर्वासित तथा पुनर्व्यवस्थापित किया जाना प्रतिबंधित होगा।
   (6) यदि अधिग्रहण की जाने वाली भूमि सामुदायिक प्रयोजन के लिए गांव समुदाय के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से इस्तेमाल होते आ रही थी तो ऐसे भूमि का अधिग्रहण करने पर उसका मुआवज़ा ग्रामसभा को प्रदाय किया जाएगी। साथ ही जिस प्रयोजन हेतु उक्त भूमि को गांव समुदाय इस्तेमाल करते आ रहे थे उस प्रयोजन के लिए उसी गांव में उतनी ही भूमि संसाधनों को विकसित कर उपलब्ध कराई जाएगी।
6. ग्राम सभा के द्वारा सहकारी समिति के माध्यम से वनोपज व खनिजों के होने वाले संग्रहण /उत्पादन व विपणन में भूमि अधिग्रहित लोगों की बनी सहकारी समिति को प्राथमिकता दी जावेगी |

भाग - ब- जल संसाधन

जल संसाधन के प्रबंध और उपयोग में मूल-भावना यह होगी कि वह समाज की धरोहर है जिसे भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना और यथासंभव अक्षुण बनाए रखना वर्तमान पीढ़ी का कर्तव्य है एवं उनका प्रबंधन करते वक्त यह सुनिश्चित किया जायेगा की सभी जल संसाधनों में पूरे वर्ष भर पानी बना रहे, वे स्वच्छ और प्राकृतिक स्वरूप में सतत उपयोग के लिए प्रदूषण मुक्त बने रहे एवं उस पर गांव के सभी निवासियों और उस पर निर्भर लोगो का समान अधिकार हो। और प्राकृतिक जल संसाधनों के प्रबंधन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वहां कि विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र व जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव ना पढ़े।

47. जल संसाधनों एवं लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन :-

1. लघु जल निकाय का मतलब गाँव की पारंपरिक सीमा में आने वाले जल निकाय, जलीय संरचना, जलग्रहण क्षेत्र, प्रवाह तंत्र, तटीय क्षेत्र, भूमिगत जल या उसका कोई हिस्सा, चाहे उसका क्षेत्र कितना भी बड़ा हो. इसके अंतर्गत तालाब, झील, पोखर, डबरी, छोटी नदी, नाले या अन्य किसी नाम से जाने जानी वाली सभी संरचाये भी आएँगी.

2. लघु जल निकायों का उपयोग, संरक्षण एवं प्रबंधन ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा. इस हेतु वह संसाधन योजना और प्रबंधन समिति को अथवा ग्राम के कम से कम 5 सदस्यों को मिलाकर गठित जल प्रबंधन समिति को अधिकृत कर सकेगी। समिति कोई भी कार्य शुरू करने से पहले तथा उसे पूर्ण करने के उपरांत ग्राम सभा से कार्यों का अनुमोदन करायेगी।
3. ऐसे जल स्तोत्र जो एक से अधिक ग्राम सभा क्षेत्र में फैले हुए हो, तो संबंधित ग्राम सभाओ की संसाधन, योजना और प्रबंधन समिति की संयुक्त बैठक में मिल कर लिए गए निर्णय अनुसार उनका प्रबंधन किया जायेगा। संबंधित ग्राम सभाओ में वह सभी ग्राम सभाएँ आएँगी जो उस जल स्तोत्र से अपने आप को प्रभावित समझती हो।
4. यदि ग्राम सभाए चाहे तो एक से अधिक ग्राम के क्षेत्र मे फैले परन्तु ग्राम पंचायत के क्षेत्र के अन्दर आने वाले जल निकाय के रख-रखाव, संरक्षण और प्रबंधन हेतु ग्राम पंचायत को अधिकृत कर सकेंगी। वैसे ही एक से अधिक ग्राम पंचायतों मे क्षेत्र में फैले हुए जल निकायों का प्रबंधन हेतु ग्राम सभाए जनपद पंचायत को तथा एक से अधिक जनपद पंचायतों के क्षेत्र में फैले हुए जल निकायों के प्रबंधन हेतु ग्राम सभाओं द्वारा जिला पंचायत को अधिकृत किया जा सकेगा.
5. ग्राम सभाओं द्वारा अधिकृत किये जाने पर ग्राम/जनपद/जिला पंचायत अथवा कोई भी विभाग ग्राम सभा से स्थानीय परंपराओं पर परामर्श लेने के पश्चात और ततसमय प्रवृत्त विधि की भावना को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध ग्राम मे पानी के उपयोग को विनियमित करेगा; परन्तु विभिन्न उद्देश्यों के लिए गाँव मे पानी के उपयोग की प्राथमिकता ग्राम सभा द्वारा तय की जाएगी।
6. ग्राम सभा गांव में उपलब्ध पानी के विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग को अपनी परंपरा और प्रचलित नियम क़ानूनों की भावना का ध्यान रखते हुए नियमित करने और उसके उपयोग की प्राथमिकता तय करने के लिए सक्षम है। जल स्रोतो के उपयोग तय करते हुए ग्राम सभा निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम का ध्यान रखेगी :
    i. लोगो के लिए पीने का पानी
    ii. जानवरों/जीवों/पशु-पक्षियों के लिए पीने का पानी
    iii. निस्तार प्रयोजन
    iv. कृषि उपयोग
    v. अन्य प्रयोग
7. ऐसी प्राथमिकता तय करते वक्त भूमिहीन व्यक्तियों के जल पर अधिकार का ध्यान रखा जायेगा जिससे उनकी आजीविका और पोषण पर कोई प्रभाव ना पड़े
8. ग्राम के भीतर सभी जल निकायों को उसके मूल स्वरूप मे रखा जाएगा तथा किसी अन्य कार्य हेतु उपयोग के लिए हस्तांतरित या स्थानांतरित नहीं किया जाएगा । इस जल निकायों मे:
    i. पानी की गुणवत्ता को बनाए रखा जाएगा
    ii. इसकी सतत निगरानी सुनिश्चित की जाएगी
    iii. जल निकायों को भरने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाएगा; और
    iv. जल निकायों में प्रदूषण और अतिक्रमण के खिलाफ कदम उठाए जायेंगे।
9. ग्राम सभा, बरसात के पानी को अपनी सीमा में रोकने के लिए, खासतौर से उपर से नीचे बहाव क्षेत्र में मेड़/बांध इत्यादि को बनाने और उनके रखरखाव की सम्पूर्ण व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर करेगी जिससे की गाँव की सीमा में स्थित सभी तालाबों, नदी, नालों की धाराओं और धरती के नीचे पानी के साधनों में वर्ष भर पानी की उपलब्धता बनी रहे ।
10. लघु जल निकाय के संधारण, मरम्मत, गहरीकरण, कृषि उपयोग, मछली पालन, सिंघाड़े, कमल आदि की खेती करने हेतु पट्टे पर देने, पानी के उपयोग, आदि के लिए ग्राम सभा कार्य करेगी ।
11. ज़मीन पर किसी भी प्रकार की सामान्य या विशेष अधिकार के आधार पर अथवा पूंजी का उपयोग कर क्षेत्र में उपलब्ध अपने हिस्से से अधिक पानी पर किसी भी व्यक्ति के अधिकार कायम न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा जरूरी निर्देश देने के लिए सक्षम है ।
12. सभी स्तरों पर पंचायतें या कोई भी विभाग जल निकाय के उपयोग और प्रबंधन के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले ग्राम सभा की अनिवार्यतः सहमती लेगी।
13. ग्राम स्तर पर स्थित जल निकाय का रख-रखाव और संरक्षण ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा ।
14. जल निकायों से प्राप्त आय का उपयोग संबंधित ग्राम सभा, उसके द्वारा पारित संकल्प से, जल निकायों के रख-रखाव, संरक्षण और संधारण या क्षेत्र के विकास कार्य जो किसी अन्य योजनाओं से क्रियान्वित नहीं है, के लिए कर सकेगी ।

48. सिंचाई प्रबंधन

1. ग्राम सभा जल निकाय के किसी भी विभाग या निकाय के अधीन होने के बावजूद गाँव में सिंचाई के पानी के वितरण और जल के उपयोग को नियंत्रित करेगी।
2. ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत या कोई विभाग, जिसके अंतर्गत सिंचाई स्त्रोत का नियंत्रण हो, सबन्धित ग्राम सभाओं की संसाधन, योजना और प्रबंधन समिति (RPMC) की सलाह से ही सिंचाई के लिए पानी के उपयोग को विनियमित करेगा।
3. सिंचाई के लिए पानी का उपयोग ऐसा होगा कि सभी के लिए समान पहुँच की व्यवस्था हो।
4. ग्राम सभा नहर प्रणाली और जल संसाधन के रखरखाव और संरक्षण, जो उसके अधिपत्य में हो, स्वयं से करेगी तथा जो सिंचाई विभाग द्वारा संचालित है उनके रखरखाव और संरक्षण विभाग के सहयोग से करेगी.
5. ग्राम सभा सिंचाई तथा अन्य उद्देश्यों के लिए बनाये गए तालाबों या अन्य जलीय संरचनाओ में जल स्तर कम होने पर उपलब्ध भूमि में खेती की व्यवस्था RPMC या जल प्रबंधन समिति के माध्यम से कर सकेगी।
6. सिंचाई प्रबंधन में अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसे ग्रामसभा की संसाधन, योजना और प्रबंधन समिति (RPMC) के समक्ष रखा जाएगा। विवाद पर ग्रामसभा का निर्णय अंतिम और सभी के लिए बंधनकारी होगा।

49. मत्स्य पालन आदि

1. ग्राम सभा स्थानीय स्थिति के अनुसार मतस्य पालन का नियंत्रण/नियमन करने के लिए सक्षम होगी।
2. गांव की पारंपरिक पहुँच में स्थित जल संसाधनों मे परंपरा के अनुसार मत्स्य आखेट का सभी लोगों को समान अधिकार होगा।
3. स्थानीय परम्पराओं के अनुसार मछलियों की उपलब्धता व प्रजातियों की विविधता को बरकरार रखने के लिए ग्राम सभा मत्स्य आखेट के संबंध मे नियम बना सकेगी, जिससे कोई व्यक्ति या समूह पूँजी, तकनीक या अन्य कोई शक्ति का सहारा लेकर उनका दोहन व्यक्तिगत हित के लिए न कर सके।
4. मत्स्य उत्पादन का पहला उद्देश्य लोगों को, विशेष कर बच्चों, गर्भवती महिलाओं, अस्वस्थ लोगों के लिए, पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना होगा। ग्राम सभा ऐसे ज़रूरतों का आकलन कर अतिरिक्त उत्पादित मछली को खुले बाजार में बिक्री की इजाज़त दे सकेगी।
5. किसी भी लघु जल निकाय के पानी के स्तोत्र में मछली पकड़ने का अधिकार ग्राम सभा द्वारा तय किया जायेगा एवं इस हेतु किसी भी प्रकार की नीलामी ग्राम सभा द्वारा की जा सकेगी. ऐसी नीलामी करते वक्त प्राथमिकता अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति या उनकी सहकारी या मछुआ समिति को दी जाएगी.
6. ऐसे जलाशयों की व्यवस्था, जिनका क्षेत्र एक से अधिक ग्राम सभा क्षेत्र में आता है, तो उन सभी ग्राम सभाओ की संसाधन, योजना एवं प्रबंधन समिति द्वारा संयुक्त रूप से उनका प्रबंधन और नीलामी का कार्य किया जा सकेगा. ऐसी नीलामी करते वक्त प्राथमिकता अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति या उनकी सहकारी या मछुआ समिति को दी जाएगी तथा ऐसी नीलामी से प्राप्त समस्त राशि ग्राम सभा कोष में जमा की जाएगी.
7. ग्राम सभा की संसाधन योजना और प्रबंधन समिति पूरे जलाशय में मत्स्याखेट से जुड़ी सभी बातों के लिए जिम्मेदार होगी, जैसे जल की स्वच्छता, मछली का बीज डालना, मछुआरों के लिए नाव, जाल आदि, मछली पकड़ना और उसकी बिक्री करना।

   परंतु समिति को इन समस्त प्रक्रिया का ग्राम सभा में या परगना समिति से अनुमोदन कराना अनिवार्य होगा।
8. ग्राम सभा जलाशय से निकलने वाली मछलियों पर शुल्क लगाने के लिए सक्षम है। शुल्क की समस्त राशि ग्राम सभा कोष में जमा होगा।
9. किसी भी परियोजना के लिए किसी भी जल निकाय पर कोई भी संरचना के निर्माण होने पर अथवा किसी भी जलाशय का निर्माण होने पर भी, उन पर किसी भी विभाग या निज़ी निकाय का नियंत्रण होने के बावजूद, उस संरचना और जलाशय में मछली पकड़ने का अधिकार संबंधित ग्राम सभाओ का रहेगा और इस सम्बन्ध में कोई भी नीलामी ग्राम सभा/ओं द्वारा ही की जा सकेगी.

10. पूर्व से संचालित परियोजना में की गयी नीलामी का इस नियम के लागू होने के बाद नवीनीकरण के समय उपरोक्त बिंदु अनुसार ग्राम सभा की अनिवार्य अनुमति जरूरी होंगी.

50. जल संसाधनों में प्रदूषण

1. ग्राम सभा को लगता है कि कृषि, उघोग या अन्य किसी प्रयोजन हेतु खाद, कीटनाशक या रसायन के उपयोग के कारण जल संसाधन प्रदूषित हो रही है या जैव विविधता पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो वह उनके उपयोग को नियंत्रित अथवा प्रतिबंधित करेगी और शांति और न्याय समिति के माध्यम से कार्यवाही करेगी.
2. शिकार या मछली पकड़ने के प्रयोजन से यदि कोई जल संसाधन में जहर मिलाता है तो ग्राम सभा ऐसे व्यक्ति पर कार्यवाही करते हुए उस पर जुर्माना लगा सकेगी एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु उसे वन अथवा पुलिस विभाग को सुपुर्द करेगी.
3. यदि ग्राम सभा को लगता है की उसके सीमा में जल क्षेत्र किसी बाहरी स्रोत से प्रदूषित हो रहे है तो वह इस हेतु ऐसी सूचना जिला कलेक्टर/जिला पंचायत (परिषद)/पर्यावरण संरक्षण मंडल को भेजेगी. जिला कलेक्टर/जिला पंचायत (परिषद) सीईओ/पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उसकी जांच करते हुए तत्काल कार्यवाही करेंगे तथा उसकी विस्तृत रिपोर्ट ग्राम सभा को प्रस्तुत करेंगे.
4. प्रदूषण की शिकायत प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर/जिला पंचायत (परिषद) के सीईओ/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ग्राम सभा को सूचित कर ग्राम सभा के सदस्यों के साथ परियोजना स्थल/क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे तथा ऐसी निरीक्षण रिपोर्ट एवं पंचनामा में ग्राम सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर लेंगे.
5. ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर ग्राम सभा, यदि वह ऐसी कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है, तो वह ऐसे प्रदूषण को रोकने हेतु निर्देश प्रसारित कर सकेगी जिसका पालन जिला कलेक्टर/जिला पंचायत (परिषद) के सीईओ/ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा 15 दिवस के भीतर करवाया जायेगा.

अध्याय -6

वन एवं लघु वनोपज का प्रबंधन

संविधान के अनुच्छेद 48क के तहत राज्य का अंग होने के नाते ग्राम सभा को यह निर्देश है कि वह पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन और वन्य जीवो की रक्षा करने का प्रयास करे। संविधान में निर्दिष्ट नागरिकों के मूल कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51क-(छ) में ग्राम सभा के सभी सदस्यों का यह कर्त्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे।

51. लघु वनोपज का प्रबंधन व नियमन

1. ग्राम सभा क्षेत्र या उसके बाहर पारंपरिक रूप से लघु वनोपज संग्रहण क्षेत्र में लघु वनोपज की मालिकी, संग्रहण के लिए पहुँच तथा बिक्री हेतु प्रबंधन का अधिकार पेसा अधिनियम की धारा 4 (ड)(ii) तथा वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम की धारा 3(1)(ग), 3(1)(झ) और धारा 5 के अनुसार ग्रामसभा का है । इसमे बाँस तथा सभी तरह के राष्ट्रीकृत वनोपज जैसे तेंदू पत्ता, साल बीज, सभी तरह के गोंद, आदि भी शामिल है।
2. ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में लघु वनोपज इकट्ठा करने का अधिकार आम तौर पर उस गांव के निवासियों का ही होगा परंतु अगर पारंपरिक रूप से दूसरे गांव के लोग भी ग्राम सभा के क्षेत्र मे लघु वनोपज इकट्ठा करते रहे हैं तो इस हेतु उनके यह अधिकार निरंतर रहेंगे. परंतु जिस ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र से लघु वनोपज इकट्ठा किया जाता है वह इसके संग्रहण और उपयोग हेतु नियम बना सकेगी.
3. अनुसूचित क्षेत्र में सभी लघु वनोपज का प्रबंधन ग्राम सभा द्वारा होगा ।
4. ग्राम सभा लघु वनोपज के प्रबंधन हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएं लागू कर सकती है -
    i. ग्राम सभा अपने क्षेत्र एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में मिलने वाले लघु वनोपज के संग्रहण, दोहन एवं उपयोग के लिए नियम बना सकेगी.

ii. किसी भी लघु वनोपज के संग्रहण, दोहन और उपयोग की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए उसे नियंत्रित कर सकती है तथा शर्तें लगा सकती है।

iii. वनोपज की सीमित मात्रा को देखते हुए परंपरा से लघु वनोपज संग्रहण करने वाले ग्रामीणों से भिन्न अन्य लोगों के लिए वनोपज का संग्रहण प्रतिबंधित कर सकती है या संग्रह के लिए चक्रीय व्यवस्था लागू कर सकती है अथवा आर्थिक रूप से कमजोर और संसाधन विहीन परिवार को ही उसका उपयोग करने के लिए अधिकृत कर सकती है।

5. ग्रामसभा अपने किसी भी सदस्य या सदस्यों के समूह को किसी भी लघुवनोपज के प्रसंस्करण के लिए कोई भी इकाई स्थापित करने की अनुमति देने के लिए सक्षम होगी, परन्तु ऐसी इकाई में 51% से अधिक हिस्सेदारी ग्राम सभा की होगी ।
6. ग्राम सभा लघु वनोपज सहकारी समिति बनाकर कर इस कार्य का विनियोजन कर सकती है. ऐसे सहकारी समिति में अध्यक्ष सहित दो तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे .
7. बिक्री हेतु एकत्रित की गई किसी भी लघु वनोपज को ग्राम सभा के क्षेत्र से बाहर ले जाने के पहले संबंधित विभाग, संस्था या व्यापारी को संसाधन, योजना और निगरानी समिति (RPMC) को उसका ब्यौरा देते हुए निकासी प्रपत्र/अभिवहन पास प्राप्त करना देना अनिवार्य होगा। RPMC समिति की सील और अध्यक्ष के हस्ताक्षर वाले निकासी प्रपत्र/अभिवहन पास की एक प्रति ग्राम सभा के रिकॉर्ड में रहेगी।
8. RPMC ग्राम सभा की सीमा से बाहर जाने वाले वनोपज का रिकॉर्ड इस हेतु संधारित पंजी[1] में दर्ज करेगा. जिसमे वनोपज का प्रचलित बाज़ार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी उल्लेख होगा .
9. संसाधन, योजना और निगरानी समिति (RPMC) का यह कर्तव्य होगा कि वह नियम की मूल भावना के अनुरूप पारदर्शी तरीके से लघु वनोपज़ का संग्रहण, निविदा की प्रक्रिया, वनोपज की बिक्री, आदि का कार्य करे।
10. लघु वनोपज के मूल्य निर्धारण में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य परगना या विकास खंड की सभी ग्रामसभाओं के लिए बंधनकारी होगा इससे अधिक मूल्य का निर्धारण करने के लिए परगना या ग्राम सभायें सक्षम होगी तथा इसकी सार्वजनिक घोषणा करने के पश्चात वह लागू माना जायेगा.
11. ग्राम सभा के अनुमोदन से संसाधन, योजना और निगरानी समिति विक्रय होने वाले वनोपज पर रॉयल्टी/शुल्क का निर्धारण कर सकेगी।
12. किसी भी स्थिति में ग्राम सभा पर यह दबाव नहीं बनाया जा सकेगा कि वह लघु वनोपज अनिवार्यतः राज्य सरकार या उसके द्वारा बनायीं गयी कोई संस्था या समिति को बेचे. अगर ग्राम सभा राज्य सरकार या उसके द्वारा बनायीं गयी कोई संस्था या समिति को लघु वनोपज बेचने का निर्णय लेती है तो उसकी पूरी प्रक्रिया में ग्राम सभा की संसाधन योजना और प्रबंधन समिति अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहेगी और ऐसे व्यवसाय में रायल्टी और मुनाफ़े पर ग्राम सभा और संग्राहकों का अधिकार होगा। प्राप्त रायल्टी और मुनाफ़े की कम से कम आधी राशि ग्राम सभा कोष में जमा की जाएगी और शेष राशि इकट्ठा करने वाले को बोनस के रूप में प्रदाय की जावेगी।

52. लघु वनोपजों की खरीदी-बिक्री और रायल्टी/शुल्क संबधी निर्णय लेने के लिए ग्राम सभा।

(1) ग्राम सभा, लघु वनोपज के बाज़ार विक्रय मूल्य को ध्यान मे रखते हुये, समय-समय पर लघु वनोपज के संग्रहणकर्ता, कोचियों एवं व्यापारियों द्वारा देय रॉयल्टी/शुल्क की राशि घोषित एवं संग्रहित करेगी। यह राशि ग्राम सभा कोष में जमा होगी।

(2) लघु वन उपज का संग्रहणकर्ता, कोचिया, व्यापारी, क्रेता, संबंधित RPMC को लघु वन उपज के अभिवहन के लिए अभिवहन पास[2] (TP) जारी करने के लिए आवेदन करेगा। उक्त आवेदन/नों को RPMC अपनी लिखित सिफारिशों के साथ ग्राम सभा की बैठक में चर्चा और अनुमोदन के लिए रखेगा। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन दिए जाने पर RPMC के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा हस्ताक्षरित अभिवहन पास (TP) सशुल्क निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाएगा।

(3) यथास्थिति RPMCका यह कर्तव्य होगा कि ग्राम सभा की बैठक में ग्राम सभा सदस्यों की सूचना के लिए अभिवहन पास (TP) को जारी करने से संबंधित निम्नलिखित ब्यौरे रखें:-

[1] संलग्नक -..

[2] संलग्नक -...

(1) जारी किए गए परिवहन पास (TP) की संख्या;

(2) व्यापारी/यों का/ के नाम जिसे/जिन्हें अभिवहन पास (TP) जारी किया गया है; और

(3) लघु वन उपज की किस्में और मात्रा जिसके लिए अभिवहन पास (TP) के जारी किया गया है; और

(4) वसूल की गई अनुज्ञा (लाईसेंस)/रायल्टी/शुल्क की रकम।

(4) ग्राम सभा जारी किए गए अभिवहन पास (TP) से संबंधित अभिलेख, वसूल की गई शुल्क, लघु वन उपज की किस्म और मात्रा इत्यादि का रिकॉर्ड रखेगी ताकि लघु वनोपज के अवैध निर्यात तथा निधियों के दुरुपयोग पर निगरानी रखी जा सके।

53. वनों के संरक्षण व विकास के लिए योजना

वनों का प्रबंधन

1. ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में स्थित वनों[3] के संरक्षण की ज़िम्मेदारी ग्राम सभा की होगी।
2. किसी भी अधिनियम, नियम अथवा राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय अनुबंध के तहत किसी भी नाम से स्थापित कोई भी संरचना, गाँव के वन क्षेत्र के भीतर ग्राम सभा के नियंत्रण और निर्देश के तहत काम करेंगी तथा उसके निर्णय से परिचालित होगी एवं उसके प्रति उत्तरदायी होगी।
3. ग्राम सभा लघु वनोपज और वन संसाधनों के प्रबंधन के एक समिति का गठन करेगी अथवा वन अधिकारों की मान्यता नियम 2007 के नियम 4 (1)(e) के तहत गठित समिति या संसाधन योजना और प्रबंधन समिति (RPMC) को ही इस हेतु मान्य कर सकेगी. यह समिति वन संसाधनों के सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन की एक योजना बनाएगी.
4. ग्रामसभा द्वारा प्रबंधित वनक्षेत्र में किसी अन्य अधिनियम/नियम/योजना व अनुबंध के तहत वानिकी कार्य ग्रामसभा की मुक्त, पूर्व, संसूचित सहमति के बिना संचालित नहीं होगा.
5. परिवार और सामुदायिक ज़रूरतों जैसे निस्तार, चराई, जलावन, इत्यादि तथा खास जरूरतों जैसे कृषि उपकरण बनाने के लिए लकड़ी, बांस-बल्ली इत्यादि तथा पारंपरिक संस्कार (जात्रा, करसाड, पर्व, पंडुम, पेनसेवा) में लगने वाले पदार्थों को वन से निकालने के लिए ग्रामसभा व्यवस्था बनाएगी। इस व्यवस्था के तहत कोई भी व्यक्ति संसाधन, योजना और निगरानी समिति (RPMC) से अनुमति प्राप्त करने के बाद आम ज़रूरतों के संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम होगा।
6. प्रत्येक ग्राम सभा अथवा ग्राम सभा समूह अपने अपने क्षेत्रों में अपने सदस्यों के हितों, वनों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन, पर्यावरण में सुधार और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने के उद्देश से उपयुक्त कार्यक्रम और नियम बनाने के लिए सक्षम है।
7. ग्राम सभा अपने क्षेत्र से निकलने या गुजरने/परिवहन किए जाने वाली लकड़ी अथवा वनोपज के संबंध मे पूछताछ तथा जांच पड़ताल करने के लिए सक्षम होगी, चाहे वह किसी भी विभाग की अनुमति/ परमिट से किया जा रहा हो। अगर ग्राम सभा को इस संबंध मे किसी भी अवैध कार्यवाही का संदेह होता है, तो वह ऐसी लकड़ी अथवा वनोपज को तुरंत मौके पर रोकने तथा जब्त कर उसके सम्बन्ध में जब तक वह संपूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो जाये अपने कब्जे में रखने हेतु के लिए सक्षम होगी। ऐसा जब्ती करने के एक सप्ताह के भीतर ग्राम सभा संबंधित पार्टी अथवा विभाग को सूचित कर उनको उसकी वैधता सिद्ध करने का मौका देगी और निर्णय ले सकेगी.

54. वन विभाग के कार्यक्रमों को लागू करने से पूर्व ग्राम सभा की अनिवार्य सहमति

1. पेसा की धारा 4(घ) और अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 5 के अनुरूप ग्राम सभा के पारंपरिक सीमा क्षेत्र में स्थित वनक्षेत्र में किसी भी वानिकी कार्यों (कूप कटाई, प्लान्टेशन, आदि) को शुरू करने के पूर्व वन विभाग या अन्य कोई भी विभाग द्वारा संबंधित कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी तकनीकी, प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति की एक प्रति तथा कार्य एजेंसी को जारी किये गए वर्क आर्डर की एक प्रति ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी.
2. साथ ही ग्राम सभा द्वारा कार्य के सम्बन्ध में चाही गयी अन्य कोई जानकारी और दस्तावेज़ वन विभाग द्वारा ग्राम सभा को एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा

---

[3] अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम की धारा 2(..) में परिभाषित वन

3. ऐसी पूरी जानकारी लिखित रूप में ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के बाद तथा कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग द्वार ग्राम सभा की स्वतंत्र, मुक्त, संसूचित व अनिवार्य सहमति प्राप्त की जाएगी. ऐसी सहमति देने से पहले ग्राम सभा कार्य के सम्बन्ध में शर्ते लगा सकेगी तथा कार्य ग्राम सभा के माध्यम से उसकी समिति को कार्य एजेंसी बनाते हुए करवाए जाने हेतु निर्देश दे सकेगी.
4. इस सहमति में अन्य बातों के अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा की वन से संबंधित सभी कार्य, जिसमे वनों से पेड़ो की कटाई, परिवहन तथा पुनर्वनिकरण भी शामिल है, ग्रामसभा द्वारा बनायीं गयी प्रबंधन योजना के अनुसार हो ।
5. ऐसी सहमति पश्चात यदि, किसी भी समय, ग्राम सभा को लगता है कि उसके द्वारा स्वीकृत कार्य उसके द्वारा लगाये गए शर्तानुरूप नहीं हो रहा है या इस तरह से किया जा रहा है जिससे गाँव के वन, वन्य जीव और जैव विविधता को अपूर्णीय क्षति हो तो वह अपनी संसाधन योजना और प्रबंधन समिति के माध्यम से उपरोक्त कार्य को रुकवा सकेगी तथा शर्तों का पालन होने के उपरांत ही उसे पुनः चालू करने की अनुमति दे सकेगी।

55. वन अपराध संबंधी कार्यवाही

1. यदि स्थानीय वन अधिकारी को किसी ग्राम सभा के इलाके में वन अपराध या उसके होने के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो वह ग्राम सभा की संसाधन, योजना और प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और सचिव को सूचित करेगा और उनके सदस्यों को की जाने वाली कार्यवाही में सम्मिलित करेगा.
2. सामान्य किस्म के वन अपराध संबंधी मामले में गांव के किसी निवासी पर कार्यवाही करने अथवा गिरफ्तार करने के पहले वन अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा संबंधित व्यक्ति को उसके द्वारा किये गए अपराध की जानकारी के साथ ग्राम सभा या RPMC के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा. ग्राम सभा अगर चाहे तो ऐसे मामलों को वह अपनी पारंपरिक न्याय व्यवस्था के अनुसार निराकृत कर सकेगी और वन विभाग अपनी कार्यवाही वही स्थगित कर देगा. यदि ग्रामसभा या RPMC संबंधित व्यक्ति पर लगाए गए आरोप से सहमत नहीं है तो वह वह इसका कारण लिखित में वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को बताएगी। इसके बाद भी यदि विभाग को लगता है तो कार्यवाही की जानी है तो कार्यवाही करते समय ग्राम सभा या RPMC के सदस्यों का लिखित में बयान POR में शामिल किया जायेगा।
3. वन अपराध के गंभीर मामले की सूचना मिलने पर वन अधिकारी /कर्मचारी द्वारा, जहाँ तत्काल कार्यवाही जरूरी हो, प्राथमिकी दर्ज कर POR की कापी ग्राम सभा के पास 24 घंटे के भीतर भेजेगा । इस हेतु ग्राम सभा या शांति एवं न्याय समिति तत्काल बैठ एवं चर्चा कर जो निर्णय लेंगी उसकी लिखित प्रति वन अधिकारी को दी जाएगी जिसे वन अधिकारी/कर्मचारी द्वारा विवेचना शुरू करने से पहले संज्ञान में ले कर प्राथमिकी/PoR में जोड़ा जाना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत यदि ग्राम सभा तीन माह में मामले पर निर्णय लेकर उसका समाधान कर देती है तो वह इसकी जानकारी वन विभाग को देगी जिसको वन विभाग द्वारा संबंधित न्यायलय में 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर मामले का निराकरण करने का आग्रह किया जायेगा। न्यायालय यदि ग्राम सभा की कार्यवाही से संतुष्ट है तो वह मामले की विवेचना बंद करने हेतु निर्देश दे सकेगी और वन विभाग कार्यवाही वही समाप्त कर देगा। ग्राम सभा यदि तीन महीने के अंतराल में मामला नहीं सुलझा पाती है तो वन विभाग अग्रिम कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा । इस समयावधि में कोई भी पक्षकार परगना परिषद के समक्ष निर्णय हेतु आवेदन कर सकता है एवं समिति का निर्णय आने के बाद यदि वह दोनों पक्षकारों को मान्य होगा तो इसकी जानकारी न्यायलय प्रकरण समाप्त करने हेतु न्यायलय से आग्रह किया जा सकेगा।

अध्याय -7
खान और खनिज

56. गौण खनिजों की योजना के लिए ग्राम सभा की शक्ति

1. ग्राम सभा अपने पारंपरिक सीमा में पाए जाने वाले गिट्टी, मिट्टी, पत्थर, बालू इत्यादि समस्त गौण खनिजों के उपभोग, उत्खनन तथा व्यवसाय हेतु योजना बना कर प्रबंधन करने और उन पर नियंत्रण करने में सक्षम होगी।
2. इस ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए ग्राम सभा RPMC को अधिकृत कर सकेगी। परन्तु गौण खनिज का व्यावसायिक उपयोग के लिए ग्राम सभा के न्यूनतम 75% सदस्यों की लिखित में प्रस्ताव द्वारा अनुमति अनिवार्य होगी।

3. गांव के निवासियों द्वारा सामुदायिक, निजी व पारंपरिक शिल्प की ज़रूरतों के लिए परंपरा अनुसार गौण खनिजों का उपयोग किया जा सकता है परंतु-
   i. इस हेतु ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होगी।
   ii. पारंपरिक आवासों से अलग पक्के भवनों के निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, गिट्टी, रेत आदि के उपयोग हेतु ग्राम सभा सामग्री की मात्रा एवं सीमा तय कर सकती है और उस पर रॉयल्टी लगा सकती है।
   iii. ग्राम सभा उत्खनन के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए उत्खनन करने वाले व्यक्तियों/एजेंसी की ज़िम्मेदारी तय कर सकती है। इनमे उत्खनन से होने वाले गड्ढों को भरना, खेत बनाना, पेड़ लगाना, तालाब बनाना आदि शामिल है।
4. गाँव क्षेत्र में अवैध गौण खनन गतिविधियों के मामले में ग्राम सभा ऐसे उत्खनन को रोकने हेतु शांति एवं न्याय समिति के माध्यम से कार्यवाही कर सकेगी अथवा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उसे रोकने हेतु आदेशित कर सकेगी।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ऐसा आदेश मिलने पर यथाशीघ्र अथवा तीन दिवस के भीतर (जो भी पहले हो) के अंदर कार्यवाही कर ग्राम सभा को अवगत करवाएगा।

57. गौण खनिजों का व्यवसायिक उपयोग

1. जिन गांवो में व्यावसायिक रूप से गौण खनिज के खनन की संभावना है ऐसे मामलों में ग्राम सभा खनिज विभाग एवं भूगर्भ विज्ञान विभाग के जिला स्तर के अधिकारी को पूर्वेक्षण कर उत्खनन की योजना बनाने हेतु निर्देश दे सकेगी। खनिज विभाग एवं भूगर्भ विज्ञान विभाग की यह ज़िम्मेदारी होगी की ग्राम सभा से ऐसी सूचना प्राप्त होने पर ऐसे क्षेत्र का पूर्वेक्षण करवाते हुए उसकी रिपोर्ट के साथ उसके खनन की योजना तीन महीने के भीतर ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करे। परन्तु ग्राम सभा के लिए यह अनिवार्य नहीं होगा की वह खनिज विभाग एवं भूगर्भ विज्ञान विभाग से ही पूर्वेक्षण अथवा खनन की योजना बनवाए एवं वह स्वयं से अथवा किसी निजी संस्था से भी पूर्वेक्षण करवाने एवं खनन योजना बनवाने के लिए स्वतंत्र होगी.
2. यदि खनिज विभाग एवं भूगर्भ विभाग को स्वयं से अथवा किसी अन्य के आवेदन से किसी गौण खनिज के व्यावासिक रूप से उत्पादन की सम्भावना का पता चलता है तो वह पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति तथा खनन लीज़ पट्टा के लिए प्राप्त सभी आवेदन को ग्राम सभा के पास निर्णय हेतु भेजेगा, जिस पर ग्राम सभा अधिकतम तीन माह के भीतर निर्णय ले कर आदेश पारित करेगी। यदि ग्राम सभा द्वारा 3 माह में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो उसे ग्राम सभा द्वारा निरस्त माना जायेगा.
3. ऐसी तैयार उक्त खनन योजना में उत्खनन का क्षेत्र, उसका प्रकार, उत्खनन क्षमता के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ भी शामिल होंगे:
   क) पाँच वर्षों के लिए उत्खनन की वार्षिक योजना।
   ख) खान बंद करने की योजना।
4. ऐसी योजना में उत्खनन के पर्यावरणीय प्रभाव का विस्तृत विवरण शामिल होगा जिसमे उसके नियंत्रण हेतु योजना जिसमे शीर्ष मिट्टी को हटाना और उपयोग करना, बोझिल चट्टान पर भंडारण शामिल होगा. साथ में पर्यावरण का क्षरण और उस पर पड़ने वाले दुष्परिणाम जैसे गड्ढे, पानी की कमी, राख़ और धुआँ का खेतों पर पड़ने वाला प्रभाव, इत्यादि को बेअसर करने के लिए गड्ढों को पाटने, पानी की कमी को दूर करने, खनन से प्रभावित क्षेत्रों पर वृक्षारोपण करने, राख़ और धुआँ से खेतों को बचाने, इत्यादि का भी योजना सम्मिलित रहेगी. इसके अतिरिक्त भूमि का पुनर्ग्रहण और पुनर्वसन, वायु और ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ एहतियात, अपशिष्टों का निर्वहन, पानी की बहाली और जीव-जंतुओं का प्रवाह प्रबंधन का भी लेख होगा।
5. योजना में खनन से होने वाले फायदे और नुकसान का सामाजिक तथा वित्तीय रूप से तुलनात्मक आकलन भी स्पष्ट रूप से शामिल होगा।
6. खनन योजना में ऐसी योजना को ग्राम सभा में प्रस्तुत भूगर्भ विज्ञान विभाग और खनिज विभाग के जिला स्तर से नीचे के पद का अधिकारी नहीं करेगा एवं ऐसे अधिकारी की यह ज़िम्मेदारी होगी की वह ग्राम सभा द्वारा पूछे गए सभी सवालों का जवाब दे तथा उनसे संबंधित दस्तावेज ग्राम सभा को उपलब्ध करवाए। यदि इसके बाद किसी तकनीकी मामले आदि के बारे में किसी जानकारी अथवा योजना में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसकी पूरी ज़िम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।
7. ऐसी पूर्वेक्षण रिपोर्ट और खनन योजना प्राप्त होने पर ग्राम सभा संसाधन, योजना और प्रबंधन समिति (RPMC) को खनन योजना के लागू होने की सम्भावना की जांच करने हेतु निर्देशित कर सकती है।

8. ग्राम सभा ऐसे खनन योजना में हुई चूक या भूल-सुधार करने अथवा नयी शर्ते जोड़ने हेतु सुझाव दे सकती है जिसे खनिज विभाग एवं भूगर्भ विज्ञान विभाग द्वारा योजना मे जोड़ा जाना अनिवार्य होगा।
9. उपरोक्त बनाई गई योजना के अंतर्गत व्यावसायिक रूप से गौण खनिजों के उत्खनन के लिए ग्राम सभा, खनिज विभाग एवं भूगर्भ विज्ञान विभाग के सहयोग से, सभी जरूरी पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात, अपने अधिकार सीमा में खनन स्वयं की खनन समिति बनाते हुए कर सकेगी अथवा गाँव की सहकारी समिति को लीज पर दे सकेगी। परन्तु ऐसा पट्टा देने हेतु प्राथमिकता गाँव की अनुसूचित जनजाति की सहकारी समिति को दिया जायेगा जिसमें अध्यक्ष व तो तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के होना अनिवार्य है।
10. किसी भी विवाद की स्थिति में उसका समाधान ग्राम सभा में ही हो सकेगा तथा उसके विरुद्ध अपील परगना परिषद में ही की जा सकेगी.

58. नीलामी द्वारा गौण खनिजों के दोहन की अनुमति प्रदान करना:

1. यदि ग्राम सभा गौण खनिज की नीलामी का निर्णय लेती है तो इस हेतु खनिज विभाग एवं भूगर्भ विज्ञान विभाग ग्राम सभा को आवश्यक तकनिकी सहयोग उपलब्ध करवाएगा जिसमे ऑनलाइन नीलामी के लिए सहयोग उपलब्ध करवाना भी शामिल होगा. परन्तु यदि ग्राम सभा चाहे तो वह स्वतन्त्र रूप से नीलामी आयोजित कर सकेगी.
2. गौण खनिज के लिए खदान की नीलामी में उचित और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित की जावेगी।
3. नीलामी हेतु नियम एवं शर्ते तय करने में ग्राम सभा का एकाधिकार रहेगा तथा इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अंतिम होगा.
4. नीलामी में ग्राम सभा यह शर्त लगा सकती है कि उत्खनन करने वाली संस्था प्राथमिकता से स्थानीय व्यक्तियों को ही उत्खनन कार्य में लगाएगी एवं मशीनो का उपयोग को नियंत्रित अथवा प्रतिबंधित करने का अधिकार ग्राम सभा का होगा।
5. नीलामी में ग्राम सभा द्वारा यह भी प्रावधान किया जाएगा कि गौण खनिज से प्राप्त होने वाले सकल राजस्व का 51 प्रतिशत या उससे अधिक का हिस्सा, जो भी ग्राम सभा द्वारा तय किया जाए, ग्राम सभा को उस परियोजना के अंश धारक (शेयर होल्डर) के रूप में उसे हमेशा मिलता रहे।
6. नीलामी द्वारा गौण खनिज के समुपयोजन के लिए रियायत सिर्फ अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति या अनुसूचित जनजाति की सहकारी समितियों को दी जा सकेगी जिसमें अध्यक्ष व कम से कम दो-तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजाति के होनी चाहिए।
7. नीलामी से प्राप्त रायल्टी की 100% राशि ग्रामसभा कोष में जमा की जायेगी जिसमे होने वाली आय का 10% राशि जनपद पंचायत को, 5% राशि जिला पंचायत को तथा 5% राशि राज्य सरकार को देय होगी जो की प्रत्येक छमाही में उनके खाते में अंतरित की जाएगी.
8. खनन के लिए वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु डायवर्सन या अन्य संबंधित निर्माण कार्य हेतु किसी भी प्रकार की भूमि के डायवर्शन के लिए ग्राम सभा की मुक्त, पूर्व, संसूचित सहमति अनिवार्य है। डायवर्सन की प्रक्रिया करवाने हेतु खनिज विभाग द्वारा ग्राम सभा को सहयोग किया जायेगा.
9. ग्राम सभा नीलामी द्वारा खनन पट्टा दिए जाने पर खनन परियोजना का समय समय पर अपनी संसाधन, योजना और प्रबंधन समिति के माध्यम से निरिक्षण कर सकेगी और खननकर्ता को समय समय पर अथवा प्रत्येक तीन माह में खनन के सम्बन्ध में रिपोर्ट उसके द्वारा निर्धारित प्रारूप से देने के लिए कह सकेगी.
10. खनन परियोजना में यदि ग्राम सभा को कभी भी यह लगता है की उसके द्वारा लगाये गए नियम एवं शर्तो का पालन नहीं हो रहा है या लीज धारक द्वारा अवैध खनन अथवा स्वीकृत मात्रा से अधिक खनन किया जा रहा है या फिर पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया जा रहा है तो वह किसी भी समय खनन रुकवाने के लिए स्वतंत्र होगी या ऐसे खनन को रोकने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को आदेशित कर सकेगी। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ऐसा आदेश मिलने पर यथाशीघ्र अथवा तीन दिवस के भीतर (जो भी पहले हो) के अंदर कार्यवाही कर ग्राम सभा को अवगत करवाएगा।

59. पर्यावरण के संरक्षण के लिए ग्राम सभा

1. अगर पर्यावरण आदि की सुरक्षा के बारे में सरकार की ओर से ग्राम सभा के क्षेत्र में कोई शर्ते लगाई जाती है तो खनिज अधिकारी को उसके बारे में पूरी जानकारी लिखित रूप से ग्राम सभा को देना अनिवार्य होगा।

2. ग्राम सभा पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई अन्य शर्त को लागू करने का सुझाव दे सकती है, जिसे संबंधित प्राधिकारी पर्यावरणीय मंजूरी देने के समय ध्यान में रखेंगे. साथ ही पर्यावरणीय मंजूरी हेतु राज्य सरकार अपने ओर से जो रिपोर्ट, शर्ते एवं सिफ़ारिशो को पर्यावरण मंत्रालय को भेजेंगे उसकी प्रति ग्राम सभा को सूचना हेतु अनिवार्य रूप से भेजा जायेगा।

   परंतु यदि ग्राम सभा राज्य सरकार की ओर से लगाई गयी शर्तों के विपरीत कोई प्रस्ताव करती है तो उस परिस्थिति में ग्राम सभा का प्रस्ताव मान्य होगा।
3. पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने पर उस की कापी ग्राम सभा को भेजा जाना अनिवार्य होगा।
4. ग्राम सभा द्वारा पर्यावरण के बारे में लगाई शर्तों को राज्य सरकार या उसके किसी भी अंग द्वारा किसी भी स्तर पर कम नहीं किया जा सकेगा।
5. पर्यावरण के बारे में सभी शर्तों के अनुपालन के लिए ग्राम सभा पट्टेधारी को जरूरी निर्देश दे सकेगी, जिस का पालन करना पट्टेधारी के लिए बाध्यकारी होगा।
6. पर्यावरणीय शर्तों के विपरीत कार्य होने की स्थिति में ग्राम सभा उत्खनन का काम रोकने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दे सकेगी जिसकी प्रतिलिपि जिला खनिज अधिकारी एवं जिला कलेक्टर को भी दी जाएगी.

अध्याय -8
मादक पदार्थ पर नियंत्रण या नियमन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य अपने लोगों के पोषण आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधर को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानि कारक औषधियों के, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा. संविधान की ऐसी मूल भावना तथा पेसा की धारा 4(ड)(i) के अनुरूप पेसा क्षेत्रों के लिए अपवादों और उपांतरण के साथ विशेष प्रावधान :-

60. नशीली पदार्थों पर नियंत्रण: -

1. पांचवी अनुसूची क्षेत्र में पारंपरिक रूप से घर में बनाए जाने वाले अथवा पेड़ों से इकठा किये जाने वाले मादक पदार्थ को छोड़ कर जैसे कि महुआ, सल्फी, ताड़ी, छिंद या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, अन्य किसी भी तरह के मादक पदार्थ की बिक्री किसी भी स्वरुप में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी.
2. ग्राम सभा सीमा के भीतर किसी भी तरह के मादक द्रव्यों के सभी पहलुओं पर जिनमे उनका उपयोग, लेन देन, बिक्री शामिल है, पर हर तरह का नियंत्रण एवं उनका प्रबंधन करने में सक्षम है।
3. ग्राम सभा प्रस्ताव द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में मादक पदार्थों के भंडारण की मात्रा या उसकी सीमा नियत कर सकेगी एवं अपने क्षेत्र में पारंपरिक रूप से घर में बनाए जाने वाले अथवा पेड़ों से इकठा किये जाने वाले शराब या अन्य मादक पदार्थ की बिक्री तथा उपयोग पर पूर्णतः पाबंदी लगा सकेगी या कोई अन्य नियंत्रण लागू कर सकने मे सक्षम होगी
4. ग्राम सभा ग्रामवासीयों द्वारा मादक पदार्थों को स्वयं के उपयोग के लिए दवाई बनाने हेतु गाँव में इसके उत्पादन, बिक्री, वितरण, खपत या भंडारण पर किसी भी प्रकार की छूट देने या नियंत्रित करने अथवा प्रतिबंध लगाने में सक्षम होगी;
5. ग्राम सभा किसी भी दुकान से या किसी अन्य तरीके से किसी भी प्रकार के नशे की सामाग्रियों (देशी, विदेशी) की बिक्री को रोकने के लिए निर्देश दे सकेगी और प्रस्ताव पारित कर के जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी निरीक्षक को भेज देगी जिसकी यह ज़िम्मेदारी होगी की वह ऐसी केंद्र को जल्द से जल्द एक माह के भीतर बंद करवाए। यदि ग्राम सभा के ऐसे प्रस्ताव पारित करने के तीन माह मे यदि वह दुकान बंद नहीं होती है तो ग्राम सभा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को यह आदेश कर सकेगी की वह ऐसी दुकान को बंद करवाए। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ऐसा आदेश प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर कार्यवाही कर ग्राम सभा को अवगत करवाएगा। यदि जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी निरीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) यह कार्यवाही नहीं करेगें तो यह उसके दायित्व के निर्वहन में कमी मानी जाएगी और उस पर विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी एवं उनकी एक वेतन वृद्धि और एक पदोन्नति रोक दी जाएगी।

6. किसी भी मादक पदार्थ की दुकान के 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित ग्राम सभाएँ उससे प्रभावित मानी जाएगी, चाहे वह दुकान नगरीय क्षेत्र में स्थित क्यों न हो. यदि उस दुकान के 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाली यदि 3 ग्राम सभाएँ उसे बंद करने का प्रस्ताव पारित करती है तो वह दुकान जिला आबकारी अधिकारी द्वारा तीन माह के भीतर बंद कर दी जाएगी. यदि आबकारी अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो वह इस नियम के तहत दंड के पात्र होंगे एवं उनकी एक वेतन वृद्धि और एक पदोन्नति रोक दी जाएगी।
7. गाँव में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ को लाने तथा गाँव के बाहर ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा;

   परन्तु रूढ़िगत एवं आदिवासियों की संस्कृति जैसे पेन पंडुम, जात्रा, जन्म, विवाह, मृत्यु आदि संस्कारों के समय पारंपरिक रिवाज व नियम के अनुसार ग्राम सभा द्वारा निर्धारित सिमित मात्रा में लांदा, सल्फी, महुआ से निर्मित पदार्थ अपने परिजनों के घर लेकर जा सकते है।
8. ग्राम सभा राज्य में निषिद्ध मादक पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य संबंधी खतरे और दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाएगी तथा गाँव में व्यसन तथा नशा मुक्ति हेतु प्रेरित करने के लिए अभियान चलाएगी
9. ग्राम सभा मादक पदार्थ निर्माण में लगने वाले कच्चे सामग्रियों का उपयोग किसी ऐसी उपयोगी उत्पादों जैसे महुआ से औषधि, ताड़ी/सल्फी से गुड़, आदि औषधीय व् भोज्य पदार्थों के निर्माण करने को प्रोत्साहित करेगी .
10. आबकारी विभाग या अन्य कोई भी विभाग गाँव में किसी भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही नशा नियंत्रण समिति के सदस्यों की उपस्थति में ही कर सकेगा.
11. ग्राम सभा नशा नियंत्रण समिति के कामकाज के सुचारू संचालन के लिए संबंधित आबकारी विभाग से समय-समय पर सलाह तथा मदद ले सकती है।
12. ग्राम सभा नशे से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक नशा नियंत्रण समिति का गठन कर सकती है जो नशा के नियंत्रण के संबंध में उपयुक्त सुझाव देगी।
13. नशा नियंत्रण समिति में ग्राम सभा द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले सदस्यों होंगे जिसमे कम से कम आधे सदस्य महिलाएँ होंगी एवं आधे सदस्य अनुसूचित जनजाति के होंगे। यह शांति एवं न्याय समिति के सहयोग से कार्य करेगी।

अ . मादक पदार्थों के निर्माण पर ग्राम सभा का नियंत्रण :

1. नशा नियंत्रण समिति, किसी भी प्रकार के नशे का निर्माण करने वाली कारखाने/फैक्ट्रियां/डिस्टिलेरी द्वारा लाइसेंस में उल्लिखित किसी भी शर्तों के उल्लंघन पर संबन्धित आबकारी अधिकारियों को रिपोर्ट करेगी।
2. ऐसे रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिला आबकारी अधिकारी मामले की जाँच कर रिपोर्ट ग्राम सभा के समक्ष एक माह के भीतर प्रस्तुत करेगा।
3. यदि ग्राम सभा रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो वह ऐसे कारखाने/फैक्ट्रियां/डिस्टिलेरी को स्वयं प्रस्तुत हो स्पष्टीकरण देने हेतु निर्देश दे सकेगी।
4. जनहित की समस्याओं का संतोषजनक समाधान ना होने पर ग्राम सभा/परगना परिषद उसे बंद करने के लिए सिफारिश आबकारी विभाग को कर सकेगी।
5. आबकारी विभाग के हस्तक्षेप के बावजूद अगर 1 साल के भीतर समाधान नहीं होता है तो उस कारखाने/फैक्ट्रियां/डिस्टिलेरी ग्राम सभा द्वारा बंद कर दिया जाएगा।
6. यदि ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करके कारखाने/फैक्ट्री/डिस्टिलेरी को बंद करने का निर्णय लेती है और कारखाने/फैक्ट्री/डिस्टिलेरी द्वारा स्वेच्छा से उसे बंद नहीं किया जाता है, तो स्वविवेक से नशा नियंत्रण समिति उसे बंद करने के लिए उचित कार्यवाही करने हेतु सक्षम होगी।
7. मदिरा की निर्माण/विपणन के लिए पहले से चली आ रही किसी कारखाने/फैक्ट्रियां/डिस्टिलेरी को आगे की साल के लिए भी चालू रखने के लिए आबकारी विभाग द्वारा ग्राम सभा के समक्ष प्रस्ताव दिसंबर या उसके पहले होने वाली मासिक बैठक में रखा जाएगा।
8. आबकारी विभाग की ओर से दिसंबर महीने की ग्राम सभा की बैठक तक प्रस्ताव नहीं आने की स्थिति में, अथवा प्रस्ताव आने पर उसे चालू रखने हेतु आम सहमति ना होने पर उस कारखाने/फैक्ट्रियां/डिस्टिलेरी को 1 अप्रैल से बंद कर दिया जाएगा

61. नया कारखाना खोलना

1. शराब या अन्य मादक पदार्थों के विनिर्माण के लिए कोई नया कारखाना स्थापित करने के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह नियम शासकीय निकायों पर भी लागू होगा।
2. अगर शासकीय विभाग या उसका कोई उपक्रम अथवा कोई गैर शासकीय व्यक्ति या संस्थान किसी ग्राम सभा की सीमा में अथवा उसकी सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में मदिरा या अन्य मादक पदार्थ बनाने का कोई कारखाना बनाना चाहती है तो आवेदनकर्ता ग्राम सभा के समक्ष पूरी परियोजना का एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी जिसे ग्राम सभा की आगामी मासिक बैठक में जानकारी के लिए रखा जाएगा:
3. परंतु उस पर विचार अगले महीने की बैठक या उसके बाद की किसी मासिक या विशेष बैठक में किया जा सकेगा। ग्राम सभा अगर दी गयी जानकारी से यदि संतुष्ट नहीं है तो वह इस हेतु आबकारी विभाग से सलाह और सहायता ले सकती है।
4. ग्राम सभा का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
5. यदि इस मुद्दे पर ग्राम सभा अनिर्णीत रहती है या यदि प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाता है, तो उस प्रस्ताव को निरस्त माना जाएगा।
6. ग्राम सभा गाँव के क्षेत्र में प्रदूषण से बचाने के लिए शराब कारखाने को बंद करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है तो संबंधित कारखानों और शासकीय निकायों को ग्राम सभा के निर्णय का पालन तीन माह मे करना अनिवार्य होगा।
7. पूर्ण कोरम के अभाव में, उपर्युक्त प्रस्ताव ग्राम सभा की बैठक में विचार नहीं किया जाएगा।

62. मादक पदार्थ नियंत्रण संबंधी निर्णायक मंडल में महिला सदस्यों के लिए कोरम

मदिरा अथवा अन्य मादक पदार्थों पर नियंत्रण अथवा निषेध के बारे में ऊपर वर्णित किसी भी प्रस्ताव पर ग्राम सभा में उपस्थित महिला सदस्यों का मत ग्राम सभा का मत माना जाएगा और उसी के अनुसार उन मामलों में नियंत्रण की कार्यवाही होगी।

अध्याय -9
श्रम शक्ति- मानव संसाधन

63. ग्राम सभा अपने ग्राम के समस्त मानव संसाधनों का प्रबंधन कर सकती है इसके लिए ग्राम सभा निम्न कार्य करेगी -

1. ग्राम सभा (i) जन्म (ii) मृत्यु (iii)विवाह (iv)उत्सव और त्यौहार (v)रोजी रोटी के लिए गांव से बाहर जाने वाले व्यक्तियों का व्यौरा अलग-अलग पंजी में संधारण करने के लिए सक्षम होगी।
2. ग्राम सभा जन्म, विवाह, मृत्यु, जाति और मूलनिवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम होगी जो सभी शासकीय कार्य में मान्य होगा. प्रमाण पत्र निर्गमन/जारी करने हेतु ग्राम सभा द्वारा एक समिति गठित की जायेगी जो कि ग्राम सभा की ओर से प्रमाण पत्र निर्गमित करेगी.
3. ग्राम सभा द्वारा तैयार किए गए विवरण किसी भी मामले में विवाद होने की स्थिति में साक्ष्य के रूप में अकाट्य प्रमाण माने जायेंगे। इस जानकारी के लिए संबंधित पंजी-रजिस्टर का इस्तेमाल शुरू करने के पहले ग्राम सभा की बैठक में अध्यक्ष और सचिव द्वारा उस पंजी को प्रमाणित किया जाएगा। इस प्रमाणन का ब्यौरा ग्राम सभा की कार्यवाही पंजी में दर्ज होगा।
4. ग्राम सभा मानव संसाधन के प्रबंधन के लिए एक भावी योजना बना सकती है जिसमें समस्त निवासियों के रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पोषण की सतत उपलब्धता हेतु आवश्यक दक्षता, ज्ञान, कला, आदि की योजना बनाना समाहित हो.

64. श्रम शक्ति की योजना बनाने के लिए ग्रामसभा:

1. ग्राम सभा ग्राम के लोगो को साल भर रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करेगी तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से गतिविधियाँ आयोजित करने के लिए सक्षम होगी जिसमें स्थानीय मज़दूरों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. ग्राम सभा ऐसे कार्य को बढ़ावा देगी जो लोगों के बीच आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करती हो।
3. श्रम-शक्ति का नियोजन एवं श्रम सहकार समिति

i. ग्रामसभा एक श्रम सहकार समिति गठित कर सकती है जिसमें गांव के प्रत्येक परिवार से कमाने वाला पुरुष तथा महिला सदस्य हो और जो पूरी तरह से ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी हो।

ii. ग्रामसभा गांव के संसाधनों मे सुधार, गांव के विकास, इत्यादि के लिए एक योजना तैयार कर सकती है।

iii. गाँव स्तर पर एक मजदूरी पंजी का संधारण किया जायेगा,

iv. गांव में जिस दिन किसी परिवार के किसी सदस्य के पास कोई काम न हो, उस दिन वह व्यक्ति ग्राम सभा अथवा श्रम सहकार समिति द्वारा बनाई गई रीति से पूरे दिन या आधे दिन काम कर सकेगा। श्रम के उपयोग की यह व्यवस्था एक तरह से गांव का श्रम बैंक कहलाएगी।

v. हर काम करने वाले व्यक्ति का “श्रम” श्रम सहकार समिति द्वारा संचालित श्रम बैंक में जमा होता जाएगा। उस जमा श्रम के प्रतीक के रूप में सहकारी समिति संबंधित व्यक्ति को ग्रामसभा द्वारा अनुमोदित श्रम हुंडी टोकन दे सकती है।

vi. ग्रामसभा में आम सहमति के आधार पर श्रम हुंडी टोकन गांव के भीतर वस्तु विनिमय के लिए उपयोग में लाये जा सकेंगे। इस तरह श्रम बैंक की स्थापना से नागरिकों की श्रम पूँजी बिना उपयोग के बेकार नहीं जाएगी और इसका उपयोग संसाधनों के विकास के लिए हो सकेगा।

4. ग्रामसभा ऐसी कोई भी कार्यवाही करने के लिए भी सक्षम होगी जिससे लोगों में श्रम के प्रति आदर, मेहनत द्वारा प्राप्त उपलब्धियों के प्रति महत्व तथा सामुदायिक श्रम परंपरा के अनुरूप एक दूसरे के काम में हाथ बटाने की भावना मजबूत हो।

5. ग्राम सभा ऐसे किसी भी काम को, जिसे वह अपमान जनक मानता है, जिसे ग्राम सभा परिभाषित करे, को नियंत्रित कर सकती है। अगर किसी ग्राम सभा सदस्य की जानकारी मे कोई व्यक्ति अपमान जनक कार्य करते हुए पाया जाता है तो वह इसकी सूचना ग्राम सभा को देगा एवं ग्राम सभा उस पर उचित कार्यवाही करते हुए ऐसे अपमान जनक कार्य मे संलिप्त व्यक्ति को दण्डित कर सकेगी। नाबालिग होने की स्थिति मे जुर्माना परिवार के मुखिया पर लगाया जा सकता है।

6. गांव के काम में किसी भी तरह किसी संस्था के द्वारा, किए जाने वाले किसी भी काम में, किसी भी रूप में, बिचौलियों के लिए कोई जगह नहीं होगी।

7. मज़दूरों की टोलियों / दल में भी मेट या अन्य किसी भी नाम से जाना जाने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिसका काम सिर्फ मज़दूरों के काम पर नजर रखना हो। टोली में सभी मज़दूरों के साथ बराबरी से काम करने वाला योग्य उनका मुखिया होगा। मुखिया को आम मज़दूरों जैसे ही काम करना पड़ेगा और उनके बराबर ही उसकी मजदूरी होगी। मुखिया होना बस सम्मान की बात होगी।

8. सभी विभाग/संस्था द्वारा प्रत्येक काम से संबंधित मज़दूरों की मस्टररोल हर महीने ग्राम सभा में उसकी जानकारी समीक्षा और सत्यापन के लिए प्रस्तुत की जाएगी। सत्यापन उपरांत मस्टररोल की एक प्रति ग्राम सभा कार्यालय में संधारित करना होगा। मजदूरी भुगतान के सम्बन्ध में किसी की आपत्ति को ग्राम सभा सचिव द्वारा संबंधित विभाग को ग्राम सभा बैठक में स्पष्टीकरण के साथ अधिकारी /कर्मचारी के उपस्थिति हेतु सूचना दिया जायेगा, सूचना प्राप्ति पश्चात् अगले ग्राम सभा में विभाग /संस्था के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

65. गाँव के बाहर काम करने वाले श्रमिकों का नियमन

1. गाँव से बाहर काम करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि ऐसे कार्यों के बारे मे वह ग्राम सभा को संपूर्ण जानकारी दें, जो उसके कार्य की प्रकृति और शर्तों को निर्दिष्ट करता हो।
2. गांव के लोगों को आजीविका/काम के लिए बाहर ले जाने वाले व्यक्ति की यह ज़िम्मेदारी होगी कि, वह काम पर जाने वालों व्यक्तियों के साथ किया इकरार/अनुबंध, उनका प्रस्तावित काम, इत्यादि का पूरा विवरण (कहां, किस काम के लिए और किन शर्तों पर ले जाने का लिखित या मौखिक करार हुआ है, इत्यादि की पूरी जानकारी) ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करें।
3. ग्राम सभा या शांति समिति बाहर काम में जाने वाले लोगों से बात करके यह सुनिश्चित करेगी कि उनको काम और कार्य के बदले मिलने वाली सुविधाएँ – जैसे आवास, भोजन, वाहन व्यय एवं नगद आदि करार के बारे में संपूर्ण और सही जानकारी है। अगर बाहर जाने के शर्त के रुप में या अन्यथा पेशगी (बयाना) दी जानी है तो वह भी ग्राम सभा या शांति एवं न्याय समिति के समक्ष ही दी जाएगी।
4. नियोजकों द्वारा मज़दूरों के बीमा पेंशन स्वास्थ सुरक्षा संबंधित जानकारी ग्राम सभा को देनी अनिवार्य होगी.

5. ग्राम सभा की सहमति मिलने के बाद ही संबंधित काम के लिए लोगों को बाहर ले जाया जा सकेगा। किसी काम के लिए बाहर ले जाने व वापस लाने की संपूर्ण जवाबदारी नियोजक की होगी।
6. नियोजक द्वारा संधारित पंजी, हाजरी रजिस्टर, भुगतान पंजी आदि ग्राम सभा द्वारा मांग किये जाने पर प्रस्तुत करने हेतु बाध्य होगी।
7. इन सभी मामलों में काम का अनुबंध काम के लिए गांव से बाहर जाने की तारीख से गांव में वापिस आने की तारीख तक माना जाएगा और उस पूरे समय के लिए बाहर जाने वाले व्यक्ति को पूरी मजदूरी की पात्रता होगी। (वाहन किराया अलग से देय होगी) बाहर जाकर काम करने वालों की मजदूरी काम के आधार पर न होकर प्रतिदिन के दर पर देय होगी।
8. प्रत्येक ग्राम मे एक श्रमिक पंजी का संधारण संपूर्ण जानकारी सहित ग्राम सचिव के द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
9. सरकारी विभाग या संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों अथवा निजी या असंगठित क्षेत्र के प्रबंधकों के लिए यह अनिवार्य होगा की वह प्रत्येक माह मे श्रमिक महिलाओं तथा प्रत्येक तीन माह में सभी श्रमिकों की स्थिति के बारे में ग्राम सभा को सूचित करे
10. सरकारी और संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के अलावा निजी असंगठित क्षेत्र के उपक्रम चलाने वालों व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे गांव के बाहर, परिवार के सदस्यों के बिना, उनके प्रतिष्ठानों मे काम करने वाली ऐसी लड़कियों/महिलाओं के बारे में उनकी ग्राम सभाओं को सूचित करें। साथ ही वह ऐसी लड़कियों/महिलाओं के सकुशल होने की जानकारी ग्राम सभा को प्रत्येक तीन माह मे अनिवार्यतः भेजेंगे। ग्राम सभा अपने विवेक के अनुसार ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे यह लड़कियाँ/महिलाएं किसी मुसीबत में न फंसे। ग्राम सभा यथा संभव उन्हें गाँव में ही रोज़गार उपलब्ध करवाने की कोशिश करेगी . ग्रामसभा इस मामले पर नियंत्रण रखने में सक्षम होगी।

66. कार्यानुसार मजदूरी निर्धारण

अ. विनिमय दर और मजदूरी का निर्धारण

1. ग्राम सभा खेती सहित सभी प्रकार के कामकाज में आपसी सहयोग के रूप में एक दूसरे के यहां काम करने की परंपरा को उसकी मूल चेतना के अनुरूप न्याय-पूर्ण और सबके लिये हितकारी रूप में बनाए रखने के लिए सक्षम है।

   परंतु आधुनिक कामकाज में (जैसे गांव में स्थापित व्यापारिक औद्योगिक संस्थाओं में यदि कोई हो) और परंपरागत कामकाज के रूप परिवर्तन की स्थिति में (जैसे आधुनिक संसाधनों से या पूरी तरह मज़दूर लगाकर खासतौर से गांव से बाहर रहने वालों द्वारा खेती कराना या फॉर्म हाउस बनाना) ग्राम सभा न्यूनतम मजदूरी जो राज्य द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगी तय कर सकेगी तथा मजदूरी करने वालों के लिए उस कामकाज में हिस्सेदारी सहित अन्य सुविधाएँ भी घोषित कर सकेंगे।
2. ग्राम सभा गांव में हर तरह की मजदूरी करने वालों के लिखित, अलिखित, अनौपचारिक इकरारों की समीक्षा करने के लिए सक्षम होगी.
3. श्रम के मामले में किसी भी विवाद में तथ्यों के बाबत् ग्राम सभा के निष्कर्ष आधिकारिक माने जाएंगे। उनको किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तथ्यों के बाबत् ग्राम सभा के निर्णय में किसी भी तरह का पुनरीक्षण ग्राम सभा में किया जा सकेगा।

ब. काम के लिए नाप से मजदूरी

(1) गांव की किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था द्वारा अगर दैनिक मजदूरी की बजाय काम की मांग के आधार पर काम कराया जाना है तो काम शुरू करने के पहले इस काम का दर ग्रामसभा की बैठक में प्रस्तुत करना होगा।

(2) ग्राम सभा को अन्य बातों का विवरण देने के साथ-साथ यह भी बताया जाएगा कि, वह किस अधिकारी द्वारा, किस कानून के तहत कब और किस प्रकार से दैनिक मजदूरी की बजाय काम की मांग के आधार पर काम कराया जाना है

(3) ग्रामसभा उस पर विचार कर , यदि जरूरी हो तो संबंधित विभाग को कारण बताते हुए इस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकती है। इस बीच प्रचलित मजदूरी दर पर काम इस शर्त के साथ शुरू किया जा सकेगा कि यदि बकाए का भुगतान ग्रामसभा के मुताबिक किया जाएगा।

(4) काम की मौजूदा मजदूरी दर, गांव के किसी सार्वजनिक स्थानों पर, बोर्ड पर लिख दिया जाए।

अध्याय 10

गांव हाट बाज़ार के प्रबंधन व नियमन

67. गांव के हाट-बाज़ार का प्रबंधन और नियंत्रण:

1. ग्राम सभा ग्राम क्षेत्र के भीतर क्षेत्र के लोगो की सुविधा के लिए उपयुक्त स्थानों पर बाज़ार/रों एवं मेला/लों की स्थापना उनकी सीमा को निर्धारित करते हुए कर सकेगी और ऐसे नवीन तथा पूर्व से संचालित बाज़ार/रों एवं मेला/लों का प्रबंधन और नियंत्रण कर सकेगी।
2. ऐसे स्थापित बाज़ार/रों एवं मेला/लों के स्थान को राजस्व भूमि पर स्थित होने पर पटवारी द्वारा निस्तार पत्रक एवं वन भूमि पर स्थित होने पर बीट गार्ड द्वारा कक्ष इतिहास में दर्ज किया जायेगा.
3. बाज़ार के संचालन, प्रबंधन और नियंत्रण हेतु ग्राम सभा नियम बना सकेगी एवं आवश्यक पड़ने पर बाज़ार पर आश्रित ग्राम सभाओं अथवा परगना समिति से इस हेतु सलाह/मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेगी।
4. बाज़ार को व्यवस्थित रखने, स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने, मूल्य नियंत्रण करने और धोखा-धडी रोकने के लिए ग्राम सभा सक्षम होगी. इस हेतु बाज़ार प्रबंधन समिति का गठन कर सकेगी और उसे आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिकृत कर सकेगी.
5. ग्राम सभा चाहे तो स्वयं एवं अपनी किसी समिति के माध्यम से बाज़ार में खरीदी और बेचे जाने वाली वस्तुओं की, विशेष कर अनाज और गौण वनोपज की, खरीदी और बिक्री स्वयं कर सकेगी और उनके भण्डारण के लिए गोदाम का निर्माण कर सकेगी. परन्तु यह कार्य सहकारिता की भावना को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा जिससे इस कार्य से होने वाला फायदा वस्तु के वास्तविक उत्पादनकर्ता अथवा संग्रहणकर्ता को हो.
6. ग्राम सभा कृषि उपज, गौण वनोपज़, जानवरों तथा उनसे मिलने वाले उत्पादों और उनसे जुड़े सभी सामाग्रियों के लिए बाज़ार में बिक्री के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाएगी तथा उनके बीच ग्रामसभा बाहरी केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था से मुकाबला करने और गांव की अर्थव्यवस्था को बहु-आयामी तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय व्यक्तियों और उनके उत्पादों की खरीदी बिक्री पर रियायत प्रदान कर सकती है जिससे ग्राम की स्वायत्तशासी परंपरा अखंडित बनी रहे।
7. ग्राम सभा अगर चाहे तो संबंधित सभी विभागों जैसे खाद्य विभाग, वन विभाग, इत्यादि से बाज़ार के प्रबंधन में सहयोग मांग कर सकेगी और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर संबंधित विभाग के कर्मचारी आवश्यक सहयोग अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाएंगे
8. नई वस्तुओं की मांग को देखते हुए ग्राम सभा आसपास के गांव के लिए जरूरी वस्तुओं के उत्पादन इकाइयां स्थापित कर सकती है।
9. ग्राम सभा बाज़ार एवं मेलों हेतु:
    - i. आयोजन का दिन एवं समय तय कर सकेगी
    - ii. लोगो के बैठने/कारोबार करने का स्थान और क्षेत्र तय कर सकेगी एवं इनसे बाहर व्यापार करने वालों को प्रतिबंधित अथवा नियंत्रित कर सकेगी एवं उनपर जुर्माना लगा सकेगी
    - iii. पारंपरिक व्यावसायिक समुदायों के लिए अनुकूल बाजार को विकसित कर सकेगी
    - iv. बाज़ार शुल्क का निर्धारण करते हुए उसका संग्रहण कर सकेगी एवं ऐसा करते वक्त इस बात का ध्यान रखेगी कि लघु विक्रेताओं पर न्यूनतम अथवा कोई तरह का शुल्क ना लिया जाये। ग्राम सभा लघु विक्रेता की पहचान करने हेतु मापदंड निर्धारित करने में सक्षम होगी।
    - v. वस्तुओं के वजन, नाप-तौल, गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु मानक तय कर सकेगी और उस के अनुसार उन पर नियंत्रण रखते हुए उनकी जांच कर सकेगी
    - vi. वस्तुओं में होने वाली मिलावट को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठा सकेगी
    - vii. खरीदे और बेचे जाने वाली वस्तुओं की मात्रा पर नियंत्रण रख सकेगी
    - viii. उत्पादों की कीमतों पर नियंत्रण रख सकेगी तथा जरुरत पड़ने पर खरीदी और बिक्री का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य निर्धारित कर सकेगी
    - ix. खरीदे और बेचे जाने वाली वस्तुओं की अन्य बाज़ारों में कीमतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगी और उन्हें व्यापार करने वाले से साझा कर सकेगी;
    - x. हानिकारक वस्तुओं के प्रवेश और बिक्री की जाँच कर उसे रोक सकेगी;

xi. विलुप्तप्राय / संकट-ग्रस्त या पर्यावरणीय दृष्टि से खतरनाक उत्पादों पर प्रतिबंध लगा सकेगी

xii. दुकानदारों और उपभोक्ताओं के लिए पानी, शेड और अन्य भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध करवा सकेगी ;

xiii. बाज़ार समिति को जुर्माना लगाने हेतु अधिकृत कर सकेगी। इस हेतु वह अलग-अलग ग़लतियों/अपराध हेतु जुर्माना की राशि तय करने में सक्षम होगी।

xiv. गाँव अथवा बाज़ार क्षेत्र में कार्य करने वाले कोचियों/आढ़तियों/दलालों/मध्यस्थों/बिचोलियों अथवा अन्य किसी भी नाम से पहचाने जाने वाले व्यक्ति जो वस्तुओं की वास्तविक खरीददार एवं बिक्री-कर्ता नहीं है के गाँव क्षेत्र में कार्य करने हेतु नियम बना सकेगी, उन पर शुल्क लगा सकेगी, उन की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकेगी एवं उन पर जुर्माना लगा सकेगी

xv. जांच करे की कृषि उपज, गौण वनोपज़, जानवरों तथा उनसे मिलने वाले उत्पादों और उनसे जुड़े सभी सामाग्रियों के लेन-देन में वजन, नाप-तौल, गुणवत्ता और भुगतान वास्तविक हो और किसी भी तरह के व्यापार में किसी भी रूप में कोई शोषण नहीं किया गया है;

xvi. सभी तरह की अनुचित व्यवहार/प्रथा, जिसमें कीमतों के संबंध में धोखाधड़ी और गलत सूचना देना शामिल है, सहित सभी अन्य अनुचित प्रथाओं कि जांच कर प्रतिबंधित कर सकेगी ;

xvii. हाट बाज़ार में और आसपास के इलाकों में जुआ, सट्टेबाज़ी, भाग्य-परीक्षण आदि को हतोत्साहित कर उसे नियंत्रित अथवा प्रतिबंधित कर सकेगी ।

xviii. परंपरागत कुटीर उद्योग आधारित दस्तकारों के लिए सिमटते बाजार और बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए प्रतिस्पर्धा वाली वस्तुओं का बाजार में बिक्री पर भी रोक लगाये ,

xix. ग्राम सभा अपने पारंपरिक सीमा में मौजूद बौद्धिक संपदा से संबंधित विशिष्ट उत्पादों, उत्पादन प्रक्रिया, कलाकृति, विशिष्ट कला, चिकित्सा पद्धति, वनौषधि, कृषि उत्पादों आदि के ट्रेडमार्क व पेटेंट दावा हासिल करने में सहयोग प्रदान कर सकेगी।

68. हाट-बाज़ार हाटुम समिति/ मार्केट कमेटी

(1) गांव में स्थित बाजार के प्रबंधन के लिए ग्राम सभा दस से पन्द्रह सदस्यों की एक बाजार समिति का गठन करेगी परन्तु वह इस संख्या में अपनी आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि कर सकती है । यदि ग्राम सभा चाहे तो इन सदस्यों के अतिरिक्त इस समिति में बाज़ार पर निर्भर ग्राम सभाओं की अथवा परगना समिति से सलाह कर आसपास की ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों को भी इस समिति में नामाँकित कर सकेगी।

(2) बाजार समिति में कम से कम पचास प्रतिशत महिलाये और पचास प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के सदस्य होंगे ।

(3) बाजार सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण रूप से चले और उसमे किसी प्रकार की जोर ज़बरदस्ती व झगड़ा न हो, यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी गांव की बाजार समिति की होगी जो ग्राम सभा के निर्देशन में कार्य करेगा। इस हेतु बाज़ार समिति शांति सुरक्षा दल की मदद ले सकेगी.

(4) किसी भी मामले में विवाद की स्थिति में बाजार समिति के फैसले के खिलाफ ग्राम सभा में अपील हो सकेगी। ग्राम सभा के स्तर पर समाधान न होने पर परगना समिति के सामने अपील किया जा सकेगा। परगना समिति का फैसला अंतिम होगा।

(5) इसके अतिरिक्त बाज़ार समिति निम्न कार्य भी करेगी :-

i. बाज़ार में व्यापार हेतु लाइसेंस/अनुज्ञप्ति प्रदान करने, लाइसेंस की शर्तें तय करने में सक्षम होगी। लाइसेंस प्रदान करने में स्थानीय व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जावेगी

ii. बाज़ार के लगने का दिन तथा खुलने व बंद होने का समय व स्थान तय किया जाएगा।

iii. बाज़ार समिति द्वारा लाइसेंस, शुल्क अथवा किसी भी तरह से एकत्र की गयी कोई भी राशि, ग्राम सभा कोष मे जमा करवाएगी

iv. ग्राम सभा लाइसेंस कृषि उपज, गौण वनोपज़, जानवरों तथा उनसे मिलने वाले उत्पादों और उनसे जुड़े सभी सामाग्रियों की नीलामी करने के लिए स्वतंत्र होगी

v. जरुरत पड़ने पर बाज़ार समिति बिक्री के लिए लाये गए माल को जब्त भी कर सकती है,

vi. बाज़ार क्षेत्र में लोगों तथा वाहनों का प्रवेश नियंत्रित अथवा प्रतिबंधित कर सकेगी

vii. गौण वनोपज के अभिवहन हेतु निकासी पास जारी करे

(6) बाज़ार समिति कृषि उपज, गौण वनोपज़, जानवरों तथा उनसे मिलने वाले उत्पादों और उनसे जुड़े सभी सामाग्रियों के उत्पादनकर्ताओं तथा बिक्रीकर्ताओं के सहयोग हेतु रसीद तथा बिल जारी कर सकेगा तथा उनके सामानों की नीलामी की व्यवस्था कर सकेगा जिससे वह किसी बिचोलिये के बिना भी अपना सामान बेच सके

69. पारंपरिक व आवश्यक उत्पादों का प्रोत्साहन, संरक्षण तथा विलुप्तप्राय/संकटग्रस्त, पर्यावरणीय दृष्टि से खतरनाक उत्पादों पर नियंत्रण

1. गांव में कुछ आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य नियंत्रित करने का अधिकार ग्रामसभा का होगा।
   आवश्यक वस्तुओं का तात्पर्य गांव के सीमाओं में उत्पादित होने वाले ऐसी वस्तुओं से है जिनके एक निश्चित मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय करने पर गांव के निवासियों के जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ने कि संभावना हो। साथ में इनमे ऐसी वस्तुएँ भी शामिल है जो ग्राम के बाहर से लायी जाती है और जिनका नियमित उपयोग ग्राम वासियों द्वारा किया जाता है जो वस्तुएँ जीवन के लिए अनिवार्य है यथा कोई भोज्य पदार्थ, मकान निर्माण कि वस्तुएँ,कोई औषधीय उपयोग कि जड़ी-बूटी दवाईयां, कोई ऐसी वस्तुएँ जो स्थानीय निवासियों के पंडुम पर्व आदि अवसरों पर अनिवार्यतः इस्तेमाल की जाती हो, जैसे कोई विशिष्ट फल-फुल , वनस्पति या वस्तु। इसी प्रकार गांव में विशिष्ट सेवाओं के लिए या मजदूरी आदि के लिए भी उचित मूल्य निर्धारित किया जा सकता है ताकि गांव के अंतिम व्यक्ति तक भी आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं पर पहुंच बन ग्राम सभा इनका मूल्य नियंत्रित करने के लिए अन्य ग्राम सभा का सहयोग ले सकेगी एवं इस कार्य में परगना परिषद द्वारा भी सहयोग किया जायेगा।
2. ग्राम सभा अपने गांव में उत्पादित पारंपरिक वस्तुओं के उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रियायतें प्रदान कर सकती है. वह उनके कच्चे माल की व्यवस्था करा सकता है एवं कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि इन पारंपरिक वस्तुओं के उत्पादन में लगे आदिम समुदायों के आजीविका का प्रश्न हो तो ग्राम सभा इन वस्तुओ से प्रतिस्पर्धा रखने वाली बाह्य वस्तुओं को नियंत्रित कर उन पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगा सकती है या बाहर से आने वाले प्रतिस्पर्धी उत्पादों पर शुल्क लगाकर पारंपरिक /स्थानीय वस्तुओं को संरक्षण प्रदान कर सकती है.
3. ग्राम सभा गाँव में होने वाले विशिष्ट वस्तुओं, कलाकृतियों, उत्पादों आदि के लिए ट्रेड मार्क व बौद्धिक सम्पदा अधिकार सुरक्षित करने हेतु इनका कार्य करने वालो का सहयोग कर सकती है.
4. ग्राम सभा विशिष्ट परिस्थितियों में स्वास्थ्यगत कारणों से किसी उत्पाद को प्रतिबंधित या हत्तोत्साहित करने हेतु, स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं को प्रोत्साहित करने हेतु, प्रतिस्पर्धी वस्तुओं पर नियंत्रण करने हेतु, सामुदायिक उपयोग हेतु व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु, राजस्व प्राप्ति हेतु आदि उद्देश्यों के पूर्ति के लिए बाजार शुल्क से अतिरिक्त शुल्क लगा सकेगी
5. विशिष्ट जीव जंतु या वनस्पतियों जिनके विलुप्ती की संभावनाओं के कारण किसी अन्य प्रजातियों पर संकट खड़ा हो सकता है तो ग्राम सभाएँ उनसे संबंधित वस्तुओं के उत्पादन व विपणन पर नियंत्रण या पूर्णतः प्रतिबंधित लगा सकती हैं।
6. बाहर से विक्रय हेतु गाँव में आयातित पशुओं, कुक्कुट, जीवों आदि से गांव के अंदर के पशुओं कुक्कुट व मनुष्यों पर संक्रमण/बीमारी का खतरा प्रतीत होने पर या स्थानीय नस्ल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होने पर इन पशुओं व उनके उत्पादों के गाँव में लाये जाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
7. गांव में किसी उद्योग /इकाई /निमार्ण कार्य या अन्य उत्पादन आदि से पर्यावरण प्रदूषण, भू क्षरण, मिट्टी कटाव या इसी तरह की अन्य समस्या परिलक्षित होती है तो ग्राम सभाएँ इन से संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाने या उत्पादों पर प्रतिबंध लगते हुए ऐसे करने वाले व्यक्तियों पर 5,000 रूपए तक का जुर्माना भी लगा सकेगी.

70. कुछ कृषि और वनोपज उत्पादों को अस्थायी मुद्रा का मान प्रस्तावित करना व पारंपरिक मांपाको को जारी रखना

अनुसूचित क्षेत्रों पर सदियों से वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित रही है साथ ही कुछ विशिष्ट वस्तुओं की विनिमय संतुष्टि दर वर्तमान मुद्रा से भी अधिक होती है। ऐसे बहुत सी वस्तुएँ, अनाज, वनोपज जो आज भी ग्रामीण हाटूम/बाजार को गतिशीलता प्रदान करती है, ग्राम सभा ऐसे चीजों को अस्थायी मुद्रा मान घोषित कर सकती हैं। दुर्गम क्षेत्रों में, जहाँ पूंजी का प्रवाह अपेक्षाकृत सतत् नहीं होता है तथा आदिम जनजाति समुदाय को प्रचलित मुद्राओं की पहचान नहीं होती है, उनके दैनिक जीवनोपयोगी वस्तुओं को क्रय करने की क्षमता बाधित हो सकती है जिससे उनके जीवन-मरण का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, जबकि प्राचीन अनाज या वस्तु आधारित मुद्रा

मानों के अनुपातिक मूल्यों से वे अच्छी तरह से परिचित होने से उन्हें बाजार में उनके माध्यम से क्रय विक्रय में ज्यादा संतुष्टि मिलती है। इसे सतत् जारी रखने का संकल्प ग्रामसभा पारित कर सकती है। इसी तरह सदियों से चली आ रही उनके स्थानीय भाषाओं, परम्पराओं ,व स्थानीय गणना पद्धति आधारित नाप तौल के मापकों जैसे - सोली, पैली, सेर, काठा, खंडी आदि मापांकों को भी बाजार में सतत् जारी रखने का संकल्प ग्रामसभा पारित कर सकता है।

अध्याय 11
वित्तीय प्रबंधन व बैंकिंग विनियमन (Money Lending)

71. लेन देन पर नियंत्रण: अधिकार क्षेत्र और प्रक्रिया, कर्ज नियंत्रण समिति

1. अनुसूचित क्षेत्रों में निजी मनी लेंडिंग एजेंसियों को कोई मनी लेंडिंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
2. ग्राम में किसी भी तरह के ब्याज पर लेन-देन पर ग्राम सभा नियंत्रण रखेगी। इसके लिए वह अपने सदस्यों में से कर्ज नियंत्रण समिति का गठन कर सकेगी जिसके अध्यक्ष एवं सचिव अनुसूचित जनजाति वर्ग के होंगे तथा कुल सदस्यों में से आधे सदस्यों का महिला होना अनिवार्य होगा।
3. ग्राम सभा यदि सक्षम है तो प्रथमतः ग्राम सभा कोष से ऋण उपलब्ध करवाएगी
4. ग्राम में अगर कोई भी व्यक्ति/संस्था ब्याज पर लेन-देन करता है तो समझौतों की शर्तों और इस हेतु प्रक्रियाओं का निर्धारण करने के लिए ग्राम सभा सक्षम होगी और देनदारी की शर्तें तय कर सकेगी
5. ग्राम सभा ऐसे लोगो को चिन्हांकित करेगी जो ब्याज पर लेन-देन का कार्य करते है जिसमे सरकारी, सहकारी, निजी बैंक और अन्य संस्थाए इत्यादि भी सम्मिलित है।
6. ग्राम में अगर कोई भी व्यक्ति/संस्था ब्याज पर लेन-देन करता है तो वह कर्ज नियंत्रण समिति के पास इस हेतु रखे हुए रजिस्टर में इस बाबत की जानकारी दर्ज करवाएगा, नहीं तो वह लेन-देन अवैध माना जायेगा एवं ऋण देने वाले व्यक्ति को उसे बलपूर्वक वसूलने का कोई अधिकार नहीं होगा।
7. ग्राम सभा अगर चाहे तो वह ब्याज पर लेन-देन की प्रक्रिया पर प्रतिबन्ध लगा सकेगी
8. ग्राम सभा गाँव में ऋण की सीमा और अधिकतम ब्याज दर तय कर सकेगी।
9. ग्राम सभा द्वारा ब्याज दरों पर नियंत्रण:- कोई व्यक्ति या संस्था द्वारा यदि ग्राम के व्यक्तियों के ऊपर ग्राम सभा के तय मानकों से अधिक या ऐसे जटिल ब्याज दर निर्धारण प्रक्रियाओं को पालन करता है जिससे गांव के अनुसूचित जनजाति समुदायों के शोषित होने की संभावना हो तो वह ऐसे ऋण प्रदायी संस्थाओं को गांव सीमाओं के अंदर व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगा सकती है या फिर संबंधित संस्थान के ब्याज दरों की उचित सीमा तय कर सकती है।
10. ग्राम सभा की अनुमति के बिना किसी भी भूमि को बंधक नहीं बनाया जा सकेगा या नीलामी नहीं की जा सकेगी
11. ग्राम सभा राष्टीयकृत और अन्य बैकों, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के क्रियाकलापों पर निगरानी रख सकेगी वह उसका नियमन कर सकेगी
12. गांव का कोई भी निवासी किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति से लिए गए कर्ज के बारे में किसी भी प्रकार की अनियमितता, लेन-देन में भ्रष्टाचार और उसकी अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान रखें बिना की गई वसूली की कार्यवाही, किश्त पटाने में असमर्थता, इत्यादि के बारे में ग्राम सभा के सामने अपनी बात लिखित रूप में अथवा मौखिक रूप में रख सकता है। शिकायत मौखिक होने की स्थिति में ग्राम सभा के सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह उसकी बात का एक संक्षिप्त में नोट तैयार करें और उसे रिकार्ड में रखें।
13. किसी कर्जदार पर वसूली के बारे में किसी भी तरह की कानूनी कार्यवाही ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं की जा सकेगी अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही होने वाली है तो वह उसके बारे में कर्ज नियंत्रण समिति के माध्यम से ग्राम सभा को आवेदन दे सकता है। ग्राम सभा आवेदन पर विचार कर फैसला होने तक उस कार्यवाही को रोकने का निर्देश भी दे सकेगी।

72. समझौतों की समीक्षा की ग्राम सभा की शक्ति

अ दायित्व का निर्धारण

(1) ग्राम सभा कर्ज के मामलों पर विचार करते समय पेश की गई जानकारी तथा अन्य पक्षों के आधार पर अन्य बातों के साथ-साथ खास तौर से नीचे लिखी बातें तय करेंगी:

(i) आवेदक को वास्तव में कुल राशि कितनी और कब मिली?

(ii) उसने कर्ज देने वाले को कितनी राशियां कब-कब जमा की?

(iii) क्या प्रार्थी को जिस कार्यक्रम के लिए ऋण या अनुदान दिया गया, उसके अनुसार समय पर और जरूरत के अनुसार पैसा मिला?

(iv) क्या प्रार्थी को समझ में नहीं आने वाली विषय में सहकारी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता मिली?

(v) क्या आवेदक को उसका वांछित लाभ मिला है?

(vi) वसूली के लिए किश्ते तय करने तथा उसके मुताबिक वसूली करते समय क्या आवेदक की स्थिति का ध्यान रखा गया है? इत्यादि

(2) आवेदक को देनदारी तय करते समय नीचे लिखे उसूलों का पालन किया जाएगा, अर्थात-

(i) कर्ज लेने वाले को हाथ में जितनी रकम मिली है वह सिर्फ उसी का देन-दार है।

(ii) ऊपर बताए छानबीन और नैसर्गिक न्याय के उसूलों के आधार पर कर्ज़दार को मिली रकम के अलावा ब्याज इत्यादि के रूप में जो भी जायज़ हो वह उतनी ही रकम देनदार है।

(iii) अन्य तमाम बातों के अलावा अगर आवेदक को कार्यक्रम/परियोजना का वांछित लाभ नहीं मिला है और उसमें आवेदक की किसी तरह की बदनियति नहीं रही है, तो उस कार्यक्रम/परियोजना के लिए मिली राशि के बारे में किसी प्रकार की देनदारी मान्य नहीं होगी। प्रार्थी की बदनियति को सिद्ध करने का दायित्व संबंधित संस्था/व्यक्ति का होगा।

(3) कर्ज के विषय में सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ग्राम सभा या तो संबंधित व्यक्ति को उस कर्ज के बारे में सभी जिम्मेदारियों से बरी कर देगा और संबंधित संस्था एवं सरकार से उस बाबत वापस करने में ज़िम्मेदारी तय करने का निर्देश देगी। यदि ग्राम सभा में प्रार्थी पर कोई देनदारी होना सिद्ध होती है तो ग्राम सभा उसकी स्थिति को देखते हुए उसको अदायगी के लिए किस्तें तय करेगी।

नोट :किसी भी तरह के कर्ज को अदायगी के बारे में किसी भी तरह की ज़मीन की नीलामी अनुसूचित क्षेत्रों में प्रतिबंध का सिद्धांत को पालन करते हुए राज्य सरकार लैंड कंसोलिडेशन फण्ड का गठित कर उस फंड से ग्रामसभा को उस ज़मीन को खरीद करने के लिए धन उपलब्ध कराएगी ताकि अनुसूचित क्षेत्रों में संविधान की प्रावधानों की अनुसार भूमि अंतरण न हो पाए .

(4) बैंकों या समितियों द्वारा कर्जदारों को किसी प्रकार की छूट इत्यादि प्रस्तावित करती है तो उस वक्त आखिरी फैसला लेने के पहले ग्राम सभा से सहमति जरूरी होगी। उसके बाद ग्राम सभा का जो भी मत बने, वही अंतिम होगा । यदि नए तथ्य बाद में सामने आते हैं, तो इसमें किसी भी तरह का संशोधन, ग्राम सभा की बैठक में ही किया जा सकेगा।

ब निजी लेनदेन के बारे में अनुबंधों की वैधता

(1) ग्राम सभा निजी तौर पर लेनदेन के मामले में अधिकतम ब्याज और अदायगी की शर्तें तय करने के लिए सक्षम है। ग्राम सभा आपसी लेनदेन में चक्रवृद्धि ब्याज किसी भी हालत में न लगाने का निर्देश दे सकेगी।

(2) किसी भी कर्ज के बारे में ब्याज के रूप में कोई देनदारी किसी भी हालत में मूलधन से अधिक नहीं होगी ।

(3) ग्राम सभा यह सुनिश्चित करने के लिए सक्षम है कि किसी भी तरह के कर्ज के बाबत किसी भी तरह के लिखित, अलिखित या अनौपचारिक अनुबंध में बिना इच्छा की मजदूरी करते रहने या आने वाली फसल को पहले से तयशुदा भाव पर बेचने की सीधे या परोक्ष रूप से मजबूरी तो नहीं है। वह ऐसी अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्देश देने के लिए सक्षम है।

(4) किसी भी कर्ज के तत्वों के बारे में ऊपर बताई गई छानबीन के बाद ग्राम सभा का जो भी मत होगा, वही अंतिम होगा। यदि नये तथ्य बाद में सामने आते हैं, तो इसमें किसी भी तरह का संशोधन, ग्राम सभा बैठक में ही किया जा सकेगा।

(5) अनुसूचित जनजातियों को अनुसूचित क्षेत्रों में निजी मनी लेंडिंग एजेंसियों को कोई मनी लेंडिंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

73. ग्राम सभा की अनुमति के बिना भूमि का कोई बंधन या नीलामी नहीं

चूंकि अनुसूचित क्षेत्रों के भूमि के मालिकाना हक का स्वरूप सामुदायिक तरह का होता है जिसमें गांव के ग्राम्य देव/पेन शक्तियों पर आरोहित भूमि व उस गांव को सबसे पहले बसाने वाले टोटेमिक समुदाय व ग्राम समुदाय के ऊपर सामुदायिक रूप से गांव के भूमि व पर्यावरणीय संसाधनों को प्रबंधन का अधिकार होता है अतः गांव के सामुदायिक व पर्यावरणीय हितों के लिए ग्राम सीमाओं की सभी भूमि सामुदायिक ही मानी जाती है इसलिए गांव के किसी भी भूमि को बंधक बनाने,नीलामी करने व दूसरे समुदायों में विक्रय करने से पूर्णतः प्रतिबंधित किया जा सकता है। यह सदियों से गांव के पारम्परिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्बन्धन साबित होते आ रहा है। इस प्रक्रिया के तहत ग्राम सभा की अनुमति के बिना भूमि का कोई बंधन या नीलामी नहीं की जा सकेगी . ग्राम सभा अपने सीमा क्षेत्र के भीतर भूमि गिरवी रखने पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम सभा के कर्ज नियंत्रण समिति के अधीन होगी . फिर भी किन्ही परिस्थितियों में गिरवी की स्थिति बनती है तो यह प्रक्रिया कर्ज नियंत्रण समिति के पर्यवेक्षण तथा ग्राम सभा की अनुमति से ही किया जा सकेगा .

74. बैंकों व माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के क्रियाकलापों की निगरानी व नियमन :-

अनुसूचित क्षेत्रों में संवैधानिक उपबंधों की सही जानकारी नहीं होने व जनजातीय जीवनशैली से परिचित नहीं होने से बैंक व उनके कर्मचारियों द्वारा ग्रामीण इलाकों में असंवेदनशील मौद्रिक गतिविधियां संचालित करते हैं जिससे गांव वासियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही ऋण प्रदान करने के एवज में भूमि बंधन और ऋण वसूली प्रक्रियाओं में धमकी व हिंसात्मक गतिविधियों का प्रयोग दृष्टिगत होता है। इससे भोले भाले ग्रामीणों पर बहुत ही घातक असर पड़ता है।

(1) इस तरह के घटनाओं के निर्बंधन के लिए ग्राम सभाएं विनियमन कर सकतीं हैं। और चाहे तो इनके क्रियाकलापों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर सकती है.

(2) सभी बैंक, सहकारी समितियों और वित्तीय संस्थानों पर ग्राम सभा द्वारा इस सम्बन्ध में लिए गए निर्णय बाध्यकारी होंगे .

(3) ग्राम सभा के सीमा क्षेत्र के भीतर कोई राष्ट्रीयकृत बैंक या अन्य बैंकिंग संस्थाओं की स्थापना के पूर्व उनकी बैंकिंग प्रणाली की जानकारी सहित ग्राम सभा का विश्वास हासिल करने के पश्चात ही स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा.

अध्याय-13
विकास के कार्य, योजना का अनुमोदन, निरीक्षण एवं लाभार्थियों की पहचान

75. वार्षिक और दीर्घकालीन योजना

1. प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में विगत वर्ष के उपलब्ध संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा ऐसी व्यवहारिक वार्षिक योजना तैयार करेगी, जिसके अनुसार आगामी वर्ष के लिए समुचित विकास सुनिश्चित हो सके।
2. केंद्र और राज्य की योजनाओं के संदर्भ में ग्राम सभा गांव के लिए त्रिवर्षीय एवं पंचवर्षीय योजना भी बनाएंगी जिसमे सभी योजनाओं का अभिसरण, समन्वय और एकीकरण से गाँव के कार्य प्रस्तावित होंगे।
3. ग्राम सभा स्थानीय विकास के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए स्थापित मूल्यों के दायरे में स्थानीय संसाधनों के उपयोग की संभावना और सीमाओं को ध्यान रखते हुए गांव के सर्वांगीण विकास के लिए एक दीर्घकालिक 10 वर्ष या उससे अधिक की एकीकृत एवं समन्वित योजना बनाएंगी ।

76. लाभार्थियों की पहचान करने के लिए ग्राम सभा

1. ग्रामसभा यह सुनिश्चित करेगी कि गांव समाज में हर गतिविधि जिसमें हर प्रकार की सरकारी और गैर सरकारी योजनाएं, कार्यक्रम और गतिविधियाँ शामिल है, समाज में आत्म सम्मान की परंपरा, आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना बढ़ाने वाली, असमानता को कम करने वाली और अन्याय को जड़ से मिटाने में सहायक होगी।
2. ऊपर लिखी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए ग्रामसभा उस विषय से संबंधित समिति के माध्यम से गांव में रहने वाले सभी व्यक्तियों की परिवार के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति की जरूरी जानकारी हासिल करने और उनका वर्गीकरण करने के लिए मापदंड तय करने के लिए सक्षम है।

3. हितग्राहियों के चयन के मामले में ग्राम सभा अपने गांव के सामाजिक, आर्थिक स्थिति, विकास के दूरगामी उद्देश्यों तथा सरकार तथा अन्य संबंधित संस्थाओं द्वारा चयन इत्यादि के बारे में राज्य की नीतियों, कानून, नियम की भावना का ध्यान रखते हुए, गांव के लोगों में से चयन के लिए नियम/शर्तें और मानदंड तय करने के लिए सक्षम है।
4. विकासात्मक कार्यक्रमों के समस्त हितग्राहियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा.

77. सामाजिक क्षेत्र की समीक्षा

1. ग्राम सभा समय-समय पर सरकार और स्थानीय संस्थाओं जैसे कि आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों, अस्पतालों आदि की सभी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की समीक्षा करने और उनके सुधार के लिए निर्देश देने के लिए सक्षम होगी।
2. ग्राम सभा इसकी समीक्षा में सहायता के लिए विशेष समितियाँ गठित कर सकती है अथवा सतर्कता और निगरानी समिति को इस हेतु अधिकृत कर सकेगी।
3. स्थानीय संस्थाओं की सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार के लिए ग्राम सभा द्वारा दिए गए निर्देशों को संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

78. ग्राम सभा द्वारा कार्यक्रमों, परियोजनाओं अथवा निर्माण कार्यों का अनुमोदन

1. ग्राम में किसी भी योजना, कार्यक्रम या परियोजना अथवा निर्माण कार्य को किसी भी विभाग अथवा पंचायत द्वारा ग्राम सभा के अनुमोदन के उपरांत ही लागू किया जाएगा।
2. संबंधित विभाग, पंचायत या संस्था किसी भी योजना, कार्यक्रम या परियोजना और निर्माण को सर्वप्रथम ग्राम सभा के समक्ष उससे सम्बंधित सभी नियमों, प्रावधानों एवं दस्तावेजों की प्रति के साथ प्रस्तुत करेगा.
3. यदि कोई नई योजना, कार्यक्रम या परियोजना और निर्माण सम्बंधित कार्य प्रस्तावित होने पर ग्राम सभा के समक्ष निम्नलिखित प्रस्तुत किया जायेगा:
   i. उसकी गाँव द्वारा निर्धारित के विकास के उद्श्यों को पूरा करने के सम्बन्धी में उपयोगिता और महत्ता ।
   ii. उसकी सम्पूर्ण वित्तीय जानकारी जैसे उसका स्त्रोत, वह शासकीय बजट अथवा लोन या अनुदान से स्वीकृत है।
   iii. तकनीकी और वित्तीय प्राक्कलन। ऐसे तकनीकी और वित्तीय प्राक्कलन मे निर्माण कार्यो के मामले में किये जाने वाले कार्य का डिजाईन, उपयोग में आने वाली सामग्री की सूची, संख्या और मूल्य सहित, सामग्रियों का आकार प्रकार, तकनीक और मशीनों का उपयोग, अकुशल और कुशल मज़दूरों को दिए जाने वाले कार्यदिवस और मजदूरी विशेष कर स्थानीय लोगो को, ठेकेदारों की भूमिका, इत्यादि स्पष्ट रूप से दर्शित की जाएगी।
4. ग्राम सभा को यह अधिकार होगा कि विकास के उद्देश्यों के अनुसार प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम, परियोजना अथवा निर्माण कार्य को वह:
   i. प्रस्तावकर्ता द्वारा रखे गए स्वरूप में अनुमोदन कर सकेगी।
   ii. उसकी रूपरेखा को गांव की स्थिति को देखते हुए फेरबदल कर सकेगी अथवा उसमे कुछ शर्तें लगा सकेगी।
   iii. गांव की प्राथमिकता में उसका स्थान नीचे होने पर उसे कुछ समय के लिए स्थगित कर सकेगी
   iv. उसे गाँव के विकास के उद्देश्य से पूरी तरह से असंगत होने पर या या स्थानीय स्थिति के परिपेक्ष्य में अर्थहीन और अपव्ययी होने पर उसे पूर्णतः अस्वीकार कर सकेगी।अस्वीकार करने की दशा में वह प्रस्ताव वही रद्द माना जायेगा और उसे गाँव में लागू नहीं किया जायेगा।
   v. किसी कार्यक्रम को अस्वीकार करने की स्थिति में ग्राम सभा उस कार्यक्रम, परियोजना अथवा निर्माण कार्य के बजाय गाँव के लिए उच्च प्राथमिकता वाले उपयुक्त कार्यक्रम, परियोजना अथवा निर्माण कार्य संबंधित को प्रस्तावित कर सकेगी एवं उनकी सहमति के उपरांत उसे लागू कर सकेगी।
5. यदि ग्राम सभा प्रस्ताव को स्वीकृत कर देती है तो ही उस कार्य का तकनीकी और वित्तीय प्राक्कलन को सम्बंधित एजेंसी को स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा। ग्राम सभा चाहे तो तकनीकी और वित्तीय प्राक्कलन को स्वीकृति के लिए भेजे जाने से पहले उसमे फेरबदल कर संशोधित रूप में उसे स्वीकृति कर सकेगी।

6. कार्य के लिए तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद प्रस्ताव को पुनः ग्राम सभा के पास उसकी कार्य एजेंसी निर्धारित करने के लिए भेजा जायेगा। 50 लाख रूपए तक के कार्य ग्राम सभा द्वारा अथवा उसकी समितियों द्वारा ही किये जायेंगे।
7. ग्राम सभा से कार्य एजेंसी के सम्बन्ध में स्वीकृति मिलने के बाद ही संबंधित विभाग द्वारा उसकी प्रशासकीय स्वीकृति और वर्क आर्डर जारी किये जायेंगे और उसकी एक प्रति ग्राम सभा को उपलब्ध करवाई जाएगी.
8. ग्राम सभा को यदि लगता है की स्वीकृत कार्य गलत एजेंसी को दे दिया गया है तो कार्य शुरू होने से पहले इस हेतु प्रस्ताव पारित कर कार्य को रद्द करने हेतु संबंधित विभाग को आदेशित कर सकेगी जिसको मानना उस विभाग के लिए अनिवार्य होगा.

79. ग्राम सभा को दिए जाने वाले कार्यों के बारे में विवरण

1. ग्राम सभा की नियमित मासिक बैठकों में, उस क्षेत्र में काम करने वाले सभी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का पूरा ब्यौरा रखा जाएगा तथा गाँव में चल रहे हर काम के बारे में पूरी जानकारी क्षेत्र में काम करने वाली सभी एजेंसियों द्वारा दी जाएगी।।
2. ग्राम सभा यदि चाहे तो साथ ही उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों, योजनाओं और निर्माण कार्यों का विवरण गाँव में उचित स्थान पर दीवार पर लिखे जाने हेतु निर्देश दे सकेगी
3. यदि कार्य की गुणवत्ता और व्यय से संबंधित किसी को कोई आपत्ति हो तो वह इसे ग्राम सभा के समक्ष रखेगा। ऐसे मामले में ग्राम सभा सुधर हेतु तत्काल निर्देश दे सकेगी अथवा सतर्कता और निगरानी समिति को मुद्दे की जांच कर उसक सत्यापन करने हेतु अधिकृत करे सकेगी. समिति द्वारा उसका पूरा विवरण ग्राम सभा की अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने पर उसके आधार पर ग्राम सभा सुधार के लिए आवश्यक निर्देश दे सकेगी जिसका पालन करना संबंधित एजेंसी के लिए बंधनकारी होगा. ऐसे निर्देश नहीं मानने की दशा में ग्राम सभा कार्य तथा भुगतान रोकने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है एवं शास्ति अधिरोपित कर सकेगी।

80. विकासात्मक गतिविधियों का सामाजिक अंकेक्षण, लेखा परीक्षा और निगरानी करने हेतु सतर्कता और निगरानी समिति:

1. सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं और योजनाओं पर नियंत्रण रखने, उनकी समीक्षा, लेखा परीक्षा, और निगरानी करने के लिए ग्राम सभा एक सतर्कता और निगरानी समिति (Vigilance and Monitoring Committee - VMC) का गठन कर सकती है।
2. इस समिति में ग्राम सभा अपने सदस्यों में से न्यूनतम दस तथा अधिकतम 15 सदस्य को सर्वसम्मति से चुनेगी जिसमें एक तिहाई महिला सदस्य होना अनिवार्य है।
3. ग्राम सभा समिति का गठन करते समय समिति के सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा सचिव का भी नाम सर्वसम्मति से तय करेगी. समिति का अध्यक्ष तथा सचिव अनुसूचित जनजाति वर्ग का होगा तथा समिति में कोई भी पंचायत पदाधिकारी तथा शासकीय कर्मचारी सदस्य नहीं होंगे।
4. समिति ग्राम सभा के निर्देशानुसार कार्य करेगी।
5. समिति यह सुनिश्चित करेगी कि :-
   (i) योजना, परियोजना, निर्माण कार्य के बारे में तकनीकी, प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति आदेश की जानकारी कार्य स्थल पर हिंदी, अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित की गई है;
   (ii) योजना, परियोजना, निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता सुसंगत हैं; और
   (iii) श्रमिकों को भुगतान, खाते में डिजिटल या चेक के माध्यम से किए गए हैं एवं सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे भुगतान की जानकारी दी गई हैं।
6. समिति अगर चाहे तो गाँव में किसी भी वित्तीय एवं गैर वित्तीय योजना का क्रियान्वयन होने से पहले, होते समय तथा होने के बाद भी उससे संबंधित तकनीकी, प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में जानकारी संबंधित विभाग अथवा क्रियान्वयन/कार्य एजेंसी से मांग सकेगी तथा संबंधित कार्य की प्रगति, गुणवत्ता, मूल्यांकन तथा सभी प्रकार के लेन-देन की निगरानी एवं जांच कर सकेगी.
7. सभी शासकीय विभागों के कर्मचारियों अथवा क्रियान्वयन या कार्य एजेंसी के लिए यह अनिवार्य होगा की वह सतर्कता और निगरानी समिति द्वारा कोई भी दस्तावेज या जानकारी मांगे जाने पर अधिकतम 7 दिन के अन्दर दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध करवाए.
8. किसी भी कार्य अथवा योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर समिति उसकी पूरी जानकारी ग्राम सभा के समक्ष रखेगी तथा उस पर आगे की कार्यवाही हेतु अपनी अनुशंसा भी ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी
9. समिति के किसी भी सदस्य को ग्राम सभा समिति का कार्यकाल पूर्ण होने के पहले भी बदल सकेगी।

81. व्यय का प्रमाणन

1. पेसा की धारा 4 (च) के तहत गांव में किसी भी मद से किसी भी विभाग या संस्था द्वारा खर्च कोई भी राशि चाहे वह किसी भी कार्य, योजना, परियोजना के लिए उपयोग की गयी हो, के सम्बन्ध में सभी के लिए यह अनिवार्य होगा की वह ऐसी खर्च की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से ग्राम सभा से प्राप्त करे।
2. सभी विभागों के लिए लेखापरीक्षा एवं अंकेषण हेतु ग्राम सभा द्वारा दिया गया उपयोगिता प्रमाण पत्र लगाया जाना अनिवार्य होगा एवं लेखा परीक्षको एवं अंकेक्षक की यह जिम्मेदारी होगी की वह उसकी जाँच करे।
3. खर्च का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया
   i. निर्माण कार्य, योजना, परियोजना संचालित रहने तक ग्राम सभा की मासिक बैठक में गांव में चालू सभी काम का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें यह साफ दर्शाया जाना चाहिए कि उसमें कितना पैसा खर्च हुआ एवं कौन-कौन से मद में खर्च हुआ ।
   ii. उस काम के बारे में किसी भी तरह की आपत्ति जैसे- काम की गुणवत्ता, खर्च की प्रमाणिकता, इत्यादि ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। ऐसे मामलों में ग्राम सभा सुधार हेतु उचित निर्देश दे सकेगी और उसका अंतिम फैसला होगा।
   iii. किसी भी कार्यक्रम अथवा योजना के पूर्ण होते ही ग्राम सभा की अगली मासिक बैठक में उस कार्य अथवा योजना में हुए खर्च का पूरा हिसाब-किताब संबंधित विभाग के विकासखंड स्तर के अधिकारी द्वारा ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
   iv. ग्राम सभा मासिक समीक्षा में सभी तथ्यों और अंतिम दस्तावेजों इत्यादि से सभी तरह से संतुष्ट होने के बाद प्रस्ताव पारित कर सकती है कि कार्यक्रम की उक्त राशि का खर्च उचित और सही पाया गया । ग्राम सभा प्रस्ताव की प्रतिलिपि ग्राम सभा का प्रमाण पत्र मानी जाएगी ।
   v. यदि किसी कार्य के विधिवत पूरा होने में सरकारी अनुमान या स्वीकृत राशि से कम खर्च हुआ है तो शेष बचत राशि ग्राम सभा की आमदनी मानी जाएगी और वह ग्राम सभा कोष में जमा होगी।

82. पंचायत व सरकारी विभागों द्वारा ग्राम सभा के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करना

पंचायत व सरकारी विभाग के अधिकारी या किसी भी कानून के तहत पंजीकृत किसी भी संस्थान, निगम, कंपनी, समिति या कारोबारी को ग्राम सभा के निर्णय का अनुपालन करना होगा. यदि किसी भी विभाग या अधिकारी को ग्राम सभा के निर्णय से आपत्ति होने पर वह ग्राम सभा में अपनी बात रखेंगे और ग्राम सभा को उनके निर्णय पर पुनर्विचार के लिए अवसर देना अनिवार्य है. ऐसे कोई भी कार्यवाही जो ग्राम सभा के निर्णय के विपरीत क्रियान्वित या संचालित की जाती है तो उसे शून्य माना जावेगा एवं ग्राम सभा को यह सम्पूर्ण शक्ति होगी की वह ऐसे कार्यक्रम को रुकवा सके एवं ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित कर सके.

83. ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही

ग्राम सभा की सीमा के भीतर के किसी भी संसाधन, अधिकार या नागरिक के हित के बारे में ग्राम सभा द्वारा कोई भी जानकारी मांगे जाने सभी विभाग के अधिकारी या कर्मचारी तथा कोई भी कानून के तहत पंजीकृत सभी संस्थान, निगम, कंपनी, समिति या कारोबारी के लिए सम्पूर्ण जानकारी देना बाध्यकारी होगा एवं इस हेतु वे सभी ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होंगे. इसमे ग्राम क्षेत्र में किसी भी समय संचालित सभी तरह की योजना/ परियोजना एवं सभी तरह के निर्माण कार्य से सम्बंधित जानकारी भी शामिल होंगी चाहे वह किसी भी समय क्रियान्वित की गयी हो.

84. स्थानीय योजनाओं, संसाधनों पर नियंत्रण की ग्राम सभा की शक्ति

पेसा अधिनियम की धारा 4 (ड)(vii) तहत ग्राम सभा को स्थानीय योजनाओं पर और ऐसी योजनाओं के लिए जिसके अंतर्गत जनजातीय उपयोजनाएं है, संसाधनों पर नियंत्रण रखने की शक्ति है.

अ जनजातीय उपयोजना पर ग्राम सभा पर नियंत्रण

1. आदिवासी उपयोजना पर नियंत्रण: राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभाओं को आदिवासी उपयोजना की 10 प्रतिशत राशि सीधे उनके शासकीय खाते में अनाबद्ध राशि (**untied fund**) के रूप में स्थानांतरित की जाएगी. साथ में इसके अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना की 10 प्रतिशत की राशि ग्राम, जनपद और जिला पंचायत को क्रमशः 5 प्रतिशत, 3 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत में अनुपात में स्थानांतरित की जाएगी
2. प्रत्येक विभाग जनजातीय उपयोजना के तहत जिला और विकासखंड अनुसार अपने बजट में जो राशि प्रावधानित करेंगे वह ग्राम सभा द्वारा बनाये गए बजटीय प्रावधान को ही सम्मिलित करते हुए बनायीं जा सकेगी.
3. किसी भी विभाग द्वारा जनजातीय उप योजना के तहत कोई भी कार्य ग्राम सभा के माध्यम से ही सम्बंधित गाँव में करवाया जा सकेगा. यदि कोई कार्य ग्राम सभा के अतिरिक्त किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से करवाया जाना अति आवश्यक हो तो इस हेतु सम्बंधित ग्राम सभा/ओं का लिखित में पूर्व अनुमोदन अनिवार्य होगा.
4. एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना की सभी परियोजना सलाहकार समिति में उस क्षेत्र की ग्राम सभा के कम से कम 5 अध्यक्ष एवं परियोजना क्रियान्वयन समिति में ग्राम सभा के 5 सचिव अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहेंगे.
5. किसी भी कार्यक्रम, योजना और परियोजना को जनजातीय उपयोजना के तहत भारत सरकार को प्रस्तावित किये जाने से पहले उसका प्रस्ताव ग्राम सभा से लेना अनिवार्य होगा.

ब. कैम्पा पर ग्राम सभा पर नियंत्रण

1. कैम्पा से कोई भी कार्य वन विभाग द्वारा तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किये जाने के पूर्व प्रस्तावित कार्य क्षेत्र एवं उनसे प्रभावित होने वाली ग्राम सभा/ओं की सहमति अनिवार्य होगी.
2. ऐसी सहमति लेने हेतु विभाग द्वारा ग्राम सभा के समक्ष जो जानकारी प्रस्तुत की जाएगी उसमे किये जाने वाले कार्य का उद्देश्य, उसकी प्रकृति, उसकी तकनीक, कार्य का स्थल और उसका क्षेत्रफल, उसके मुख्य घटक, उससे प्राप्त होने वाला प्रतिफल, बजट (जिसमे कार्य की मात्रा और राशि का विवरण हो) एवं यदि राशि कई वर्षों में खर्च की जानी है तो उसका पूरा विस्तृत ब्यौरा के साथ गाँव के लोगो को मिलने वाले रोजगार स्पष्ट रूप से दर्ज होंगे.
3. ग्राम सभा ऐसे प्रस्ताव को उसकी गाँव के संसाधनों हेतु के प्रबंधन हेतु बनायीं गयी योजना के अनुरूप होने की जांच कर सकती है और उनकी आवश्यकता एवं उपयोगिता से संतुष्ट होने के बाद उसे स्वीकृत कर सकती है. ऐसी स्वीकृति देते वक्त वह यह शर्त लगा सकती है कि कैम्पा के कार्य ग्राम सभा द्वारा अथवा उसकी किसी समिति के माध्यम से उन्हें कार्य एजेंसी बनाते हुए करवाए जायेंगे जिसे मानना सर्व संबंधितो के लिए अनिवार्य होगा.
4. यदि ग्राम सभा यह निर्णय लेती है कि ग्राम सभा के अतिरिक्त कोई अन्य एजेंसी से कार्य करवाए जाने है तो वह इस हेतु सम्बंधित एजेंसी का नाम प्रस्तावित कर सकेगी जिसे मानना वन विभाग के लिए अनिवार्य होगा.
5. ग्राम सभा कैम्पा मद से होने वाले सभी कार्यों में सीमेंट, कंक्रीट, लोहे इत्यादि ऐसे सभी वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा सकेगी जो वन, वन्य जीव और वन में निवासरत लोगो के लिए हानिकारक हो. साथ ही वह ऐसे कार्यों में मशीन के उपयोग को प्रतिबंधित या नियंत्रित कर सकेगी.

स जिला खनिज न्यास निधि (DMF) पर ग्राम सभा पर नियंत्रण

1. गौण खनिज की रायल्टी जो जिला खनिज न्यास निधि में जमा की जाएगी उस पर पूरा अधिकार उस गौण खनिज क्षेत्र की ग्राम सभा/ओं का होगा एवं ऐसी राशि उनके ग्राम सभा कोष में स्थानांतरित कर दी जाएगी.
2. गौण खनिज को छोड़ कर अन्य खनिज से प्राप्त राशि के उपयोग हेतु प्रत्यक्ष रूप से एवं परोक्ष रूप से प्रभावित सभी ग्राम सभाओं के अपने बीच में से दो-दो सदस्यों को DMF की शासी परिषद में नामांकित करेगी जिसमे एक व्यक्ति अनिवार्य रूप से ग्राम सभा अध्यक्ष रहेगा
3. गौण खनिज को छोड़ कर अन्य खनिज से प्राप्त राशि के उपयोग हेतु प्रत्यक्ष रूप से एवं परोक्ष रूप से प्रभावित सभी ग्राम सभाओं के अपने बीच में से दो-दो सदस्यों को DMF की प्रबंधन समिति में नामांकित करेगी जिसमे एक व्यक्ति अनिवार्य रूप से ग्राम सभा सचिव रहेगा

4. DMF की राशि का खर्च में निर्णय लेते समय ऐसी प्रत्यक्ष रूप से एवं परोक्ष रूप से प्रभावित ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों का मत शासी परिषद एवं प्रबंधन समिति सर्वोपरी होगा एवं उन्हें अन्य शासकीय सदस्यों के मत को बहुमत से वीटो करने का अधिकार होगा
5. DMF की राशि को प्रत्यक्ष रूप से एवं परोक्ष रूप से प्रभावित ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों की अनुमति के बाद ही ऐसे क्षेत्रों के बाहर खर्च किया जा सकेगा एवं ग्राम सभाओं के प्रतिनिधि यह तय करने मे सक्षम होगी जिसमें ऐसी राशि का केवल अनुसूचित क्षेत्र मे ही उपयोग हो सकेगा।
6. किसी भी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से प्रभावित गाँव में DMF के माध्यम से होने वाले कार्यों की योजना संबंधित ग्राम सभा द्वारा बनाया जायेगा और उसी के अनुसार DMF किस शासी परिषद और प्रबंधन समिति द्वारा उस पर कार्यवाही की जा सकेगी.
7. DMF के प्रबंधन से संबंधित अधिकारी के लिए यह अनिवार्य होगा की वह इसके खर्च के सम्बन्ध में किये गए कर और वित्तीय खर्च की रिपोर्ट प्रत्येक तीन माह में सभी ग्राम सभाओं को अनिवार्य रूप से भेजे एवं वर्ष के अंत में उस वित्तीय वर्ष मे किए गए सम्पूर्ण कार्यों और व्यय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
8. यदि ग्राम सभा को यह लगता है की उसके क्षेत्र में DMF की राशि का दुरूपयोग हो रहा है तो वह इस बाबत प्रस्ताव पारित कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को ऐसे कार्यों को रोकने हेतु आदेशित कर सकेगी एवं ऐसा आदेश मिलने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) यथाशीघ्र अथवा तीन दिवस के भीतर (जो भी पहले हो) के अंदर कार्यवाही कर ग्राम सभा को अवगत करवाएगा।

अध्याय – 14
बजट, निधि और कोष

85. बजट

1. ग्राम सभा अपने गांव की सामान्य व्यवस्था और गाँव के विकास के लिए सालाना बजट बनाने के लिए सक्षम है तथा वह कोष समिति को बजट का प्रारूप दिसंबर माह में तैयार करने हेतु अधिकृत कर सकेगी।
2. बजट में ग्राम सभा गांव में उपलब्ध पूरी श्रम-शक्ति के साथ-साथ आदिवासी उप योजना के तहत आने वाले धनराशियों सहित सभी प्रकार के कार्यक्रमों के निमित्त आने वाली धनराशि को एकत्रित राशि मानते हुए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी. जिसके अनुमान से बजट तैयार किया जाएगा।
3. ग्राम सभा स्थानीय स्थिति और आवश्यकताओं को देखते हुए उसके बजट अनुमान में जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर बनाए गए कार्यक्रमों में फेरबदल करने के लिए सक्षम है तथा उन्हें स्थानीय संदर्भ में उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रम के हेतु उपयोग कर सकती हैं।
4. ग्राम सभा अगर चाहे तो किसी भी योजना को अपने ग्राम में लागू करने से मना कर सकती है तथा उसके लिए आबंटित बजट को भी लेने से मना कर सकती है. कोई भी विभाग तथा प्राधिकारी योजना को लागू करने हेतु ग्राम सभा पर दबाव नहीं बनाएगा
5. ग्राम सभा द्वारा तैयार अंतिम अनुमोदित बजट को जनवरी माह में ग्राम सभा सचिव द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु जनपद पंचायत को भेजा जायेगा, जो कि संबधित विभागों के विकासखंड स्तर के उच्चतम अधिकारीयों के साथ मिल कर गठित एक अभिसरण समिति (Convergence Committee) में उन्हें रखेंगी। सम्बंधित सभी विभाग की यह जिम्मेदारी होगी की वह ग्राम सभा द्वारा बजट में शामिल किये प्रस्ताव / प्रावधानों को पूरा करने के लिए अपने विभाग के कार्यक्रमों/योजनाओं के बजट में उचित प्रावधान करे और उससे ग्राम सभा को अवगत करवाएगी।
6. ग्राम सभा यह कोशिश करेगी कि वह स्वयं के बजट से गाँव में कार्य करने वाले कर्मचारियों को वेतन देने की व्यवस्था करे. वेतन वित्तीय के साथ सामग्री/वस्तु/अन्न/सुविधा के प्रावधान के रूप में भी दिया जा सकेगा बशर्ते वेतन पाने वाला उससे सहमत हो।

86. ग्राम सभा कोष

अ. ग्राम सभा का खाता

1. प्रत्येक ग्राम सभा के दो खाते होंगे।
    - क) शासकीय खाता: जिसमे शासन/प्रशासन/जिला/जनपद/ग्राम या अन्य बाहरी स्रोतों से प्राप्त राशि रखी जाएगी
    - ख) स्थानीय खाता: जिसमे स्वयं के आय के स्रोत से प्राप्त राशि रखी जाएगी
2. यह खाते किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में ग्राम सभा के नाम से खुलवाए जायेंगे।
3. खातों का संचालन ग्राम कोष समिति द्वारा किया जाएगा जिसका कार्यकाल तीन वर्षों के लिए होगा।
4. कोष समिति मे कुल पांच सदस्य होंगे जिसमे एक अध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष सहित दो अन्य सदस्य होगें जिसमें से दो सदस्यों का महिला और अध्यक्ष का अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना अनिवार्य होगा. ग्राम कोष समिति का चयन सर्व सहमति से ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा।
5. बैंक खाते का संचालन कोष समिति के अध्यक्ष तथा तथा सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा.
6. खाते का हिसाब किताब तथा लेन-देन कोष समिति के कोषाध्यक्ष के द्वारा रखा जायेगा
7. खातों की पास-बुक कोष समिति की महिला सदस्य के पास रहेगी
8. कोष समिति किसी भी समय 3,000 रूपए से अधिक की राशि नक़द में नहीं रख सकेगी एवं खाते से निकाली गयी नगद राशि को खर्च कोष समिति के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं पास-बुक रखने वाली महिला सदस्य को छोड़ कर पांचवें सदस्य द्वारा किया जायेगा.
9. ग्राम सभा के स्थानीय खाता में ग्राम सभा के स्वयं के आय के स्तोत्र से प्राप्त राशि, गांव के व्यक्तियों से किसी भी रूप में मिलने वाला योगदान, लघु वनोपज, गौण खनिज इत्यादि संसाधनों से मिलने वाले शुल्क/रॉयल्टी, आपसी सहायता के लिए जुटाई गई राशि , इत्यादि का शत-प्रतिशत हिस्सा शामिल होंगा।
10. ग्राम सभा के शासकीय खाता में सरकार के माध्यम से प्राप्त राशि, शासन/ प्रशासन/ जिला/ जनपद/ ग्राम या अन्य बाहरी स्रोतों से प्राप्त राशि रखी जाएगी
11. ग्राम सभा कोष से कोई भी राशि खर्च करने से पहले ग्राम सभा का अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा.
12. ग्राम सभा को स्थानीय खाता से अपने निर्णयों के अनुसार इसके उपयोग का पूरा अधिकार होगा।
13. ग्राम सभा को शासकीय खाता से आबंटन की शर्तों अनुसार उसका उपयोग करने का पूरा अधिकार होगा.
14. दोनों खातों का हिसाब प्रत्येक ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत किये जायेंगे।
15. ग्राम पंचायत द्वारा संग्रहित किये जाने वाले सभी प्रकार के कर की 50 प्रतिशत राशि तथा किसी भी स्रोत के प्राप्त अनाबद्ध राशि उस पंचायत क्षेत्र की ग्राम सभाओं में जनसंख्या के अनुपात से ग्राम सभा के स्थानीय खाता में स्थानांतरित की जाएगी।
16. सभी खातों का प्रत्येक तीन माह में सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा और प्रत्येक वर्ष वित्तीय अंकेक्षण किया जायेगा. सभी तरह के अंकेक्षण की रिपोर्ट ग्राम सभा के सामने पढ़ कर सुनाई जाएगी और उसका अनुमोदन ग्राम सभा से लिया जाएगा।
17. कोष समिति वित्तीय लेखांकन सम्बन्धी दस्तावेज़ रसीद सहित संधारित करेगी और उन्हें ग्राम सभा की बैठक में प्रमाणित किया जाएगा।
18. ग्राम सभा के समक्ष जब कोई ऐसा मामला आता है, जिसमें सदस्यों द्वारा वित्तीय अनियमितता व कर्तव्य निर्वहन में कोताही लापरवाही इत्यादि पाई जाती है तो उन्हें पद से हटाते हुए ग्राम सभा द्वारा उनसे दोगुनी राशि दंड स्वरूप वसूल की जा सकेगी एवं आवश्यक पड़ने पर उन्हें अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस को सौंप दिया जायेगा.

ब. ग्राम सभा कोष का लेखा :

1. ग्राम सभा की आय और व्यय का लेखा संबंधित ग्रामसभा की कोष समिति के कोषाध्यक्ष द्वारा रखा जाएगा।
2. ग्राम सभा का कोई भी सदस्य दिन के समय कोष समिति के कोषाध्यक्ष की उपस्थिति में ग्राम सभा के खातों का निरीक्षण कर सकता है. इसके लिए उसे कोई शुल्क नहीं जमा करना पड़ेगा. अगर कोई व्यक्ति ग्राम सभा के खाता की फोटो कॉपी की मांग करता है तो उसे 2 रूपए प्रति कॉपी की दर से उपलब्ध करवाई जाएगी.

स॰ ग्राम सभा कोष हेतु पंजी संधारण : -

1. ग्राम सभा कोष के खातों के लिए ग्राम सभा कोष समिति के सदस्य द्वारा एक रजिस्टर/पंजी बनाया जाएगा।
2. ग्राम सभा कोष की रसीदें और आय-व्यय का विवरण बनाया जाएगा।

87. श्रम के रूप में कर अदायगी

1. ग्राम सभा अपने स्तर पर लगाए गये करों की अदायगी वस्तु विनिमय की परंपरा के अनुसार श्रम टोकन के रूप में भी स्वीकार करने के लिए सक्षम है।
2. सीमित वित्तीय साधनों की स्थिति में किसी भी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए ग्राम सभा आम सहमति से उसमें काम करने वालों को कम से कम आधी राशि नगद और शेष राशि श्रम टोकन के रूप में भुगतान करने के लिए व्यवस्था करने में सक्षम है।

88. ग्राम सभा निधि

ग्राम सभा कोष में ऐसे सभी आय /प्राप्तियां शामिल होगी जो ग्राम सभा स्वयं अर्जित की है और इस नियम में प्रद्त शक्तियों का प्रयोग कर अर्जित शुल्क, रोयल्टी आदि जिसमे जनजातीय उप योजना, कैम्पा, DMF भी सम्मिलित होंगी.

अध्याय-15
नियंत्रण और दण्ड

89. संस्थाओं और कर्मियों का नियंत्रण

1. किसी गांव में स्थित, हर तरह की संस्थाएं, जैसे विद्यालय/महाविद्यालय, आंगनबाड़ी, औषधालय, अस्पताल, राजस्व, वन, जल संसाधन विभाग, सहकारी समितियॉ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी निजी या गांव के बाहर से गांव के लोगों के बीच काम करने वाली सहकारी या अन्य संस्थाएं अनौपचारिक या औपचारिक समूह, आदि उनमें कार्य करने वाले सभी सहयोगी या कर्मी ग्राम सभा के प्रति जिम्मेदार होगें एवं ग्राम सभा के सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण तथा विशेष वित्तीय नियंत्रण में होंगे। ग्राम सभा इनके कार्य से संतुष्ट होने के पश्चात ही इन्हें वेतन का भुगतान करने हेतु प्रस्ताव पारित करेगी।
2. एक से अधिक ग्राम सभा के क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों का वेतन उस क्षेत्र की सभी ग्राम सभा के अनुमोदन पश्चात ही उनके वित्तीय नियंत्रण वाले अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।
3. ऊपर में बताये गये सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सामने अपनी गतिविधियों का पूर्ण विवरण ग्राम सभा के द्वारा चाहे गये प्रारूप में प्रत्येक माह की ग्राम सभा की निर्धारित तिथि के एक सप्ताह पूर्व पेश करेंगें। इसमें ग्राम सभा को क्षेत्र के भीतर विभिन्न गतिविधियों के लिए तय की गई धन राशि, उनको संचालित करने के लिये प्रशासनिक व्यय, यह धन राशि कहां से आई, किन-किन संस्थाओं / माध्यम से प्राप्ति इत्यादि का संपूर्ण ब्यौरा दिया जायेगा।
4. गांव में काम करने वाली सभी संस्थाएं और उनके कार्यकर्ता/कर्मी गांव में ग्राम सभा के द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुसार व्यवस्थित ढंग से काम करें यह सुनिश्चित करने के लिये ग्राम सभा द्वारा उनके कामकाज के बारे में सामान्य नियम बना सकती है और आवश्यक निर्देश भी दे सकती है।

90. नियमों का उल्लंघन एवं दण्ड

1. यदि कोई शासकीय कर्मचारी इन नियमों की अवहेलना करता है या गांव समाज की परंपरा का अपमान करता है अथवा किसी भी विषय पर ग्राम सभा द्वारा बनाए गये नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके ऐसे व्यवहार को गांव समाज के खिलाफ माना जायेगा जिसकी पुष्टि ग्राम सभा करेगी।
2. ऐसा पाए जाने पर ग्राम सभा उस व्यक्ति को अपना पक्ष ग्राम सभा के समक्ष रखने के लिए निर्देश दे सकती है ।
3. सूचना प्राप्त होने के बाद भी यदि वह व्यक्ति ग्राम सभा के समक्ष बिना कारण बताये गैर हाज़िर रहता है तो ग्राम सभा एक पक्षीय निर्णय ले सकेगी।

4. ग्राम सभा इन मामलों में विवाद निपटाने के लिए बनाई गई प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही पूरी करेगी।
5. यदि इस पूरी प्रक्रिया के बाद अगर कोई शासकीय कर्मचारी अथवा अधिकारी ग्राम सभा द्वारा दोषी पाया जाता है तो ग्राम सभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर उसकी एक प्रति जिला कलेक्टर को भेजेगी.
6. ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होने पर कलेक्टर इस आशय की जानकारी अनिवार्य रूप से उस व्यक्ति की सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से दर्ज किये जाने हेतु निर्देश देगा।
7. अगर ग्राम सभा द्वारा किसी शासकीय कर्मचारी अथवा अधिकारी को हटाने की अनुशंसा की जाती है तो ऐसे व्यक्ति को जिला कलेक्टर द्वारा सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात यदि दोषी पाया जाता है तो उसे निलंबित अथवा सेवा से मुक्त कर दिया जायेगा तथा उसे दोबारा उस क्षेत्र में कार्य करने हेतु पदस्थ नहीं किया जायेगा. साथ ही ऐसे कर्मचारी अथवा अधिकारी की एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से तथा एक पदोन्नति भी रोक दी जाएगी. कलेक्टर इस मामले में अपने अधिकार का प्रत्यायोजन किसी अन्य अधिकारी को नहीं कर सकेंगे।
8. आर्थिक अनियमितता के मामले में कलेक्टर दुगुने राशि का दंड ग्राम सभा कोष में जमा करवाने का आदेश देंगे जो कि उस कर्मचारी की तनख्वाह से देय होगी.

91. शास्ति

जहां कोई भी प्राधिकरण या समिति का कोई अधिकारी या सदस्य इस नियम के किन्ही प्रावधानों का उल्लंघन करेगा तो वह या इस नियम के अधीन अपराध के दोषी समझे जाएंगे और अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और जो जुर्माने से, जो ₹ 5,000 तक का हो सकेगा, दंडित किए जाने के भागी होंगे

परंतु किसी व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के लिए किए जाने का निवारण करने के लिए सम्यक रूप से उसके द्वारा तत्परता दिखाते हुए प्रयास किये गए थे।

कोई भी न्यायालय ग्राम सभा द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस नियम के तहत आरोपित अपराध पर तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब ग्राम सभा के ऐसे निर्णय के विरुद्ध ग्राम सभा में एवं इसके उपरांत परगना परिषद में अपील न सुन ली गयी हो।

अध्याय -16
नागरिक सुविधाएँ /सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था

92. गांव में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था

1. ग्राम सभा अपने गांव की बसाहट या बसाहटों के सुधार या उनके आगे विस्तार के लिए नियोजन करने के लिए सक्षम है। इसमें अन्य बातों के अलावा नीचे लिखी बातें खासतौर से शामिल हैं :
   - (i) बसाहट का नक्शा तैयार करना जिसमें मुहल्लों की सीमाएँ, घरों की लाइनें, सड़कों और गलियों का आकार, शुद्ध पेयजल, पानी का निकास, बिजली की व्यवस्था इत्यादि की समुचित व्यवस्था शामिल होंगी।
   - (ii) गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, अखाड़ा, आमोद- प्रमोद, सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियां (जैसे जात्रा, करसाड, पंडूम, पर्व, पेन, देवीय आयोजन, पेन मडई आदि) व्यवसाय, बाजार इत्यादि प्रयोजन के लिए उचित व्यवस्था की जरूरतों को देखते हुए पहले से स्थान का चयन करना।
   - (iii) ग्राम व्यवस्था में पारम्परिक रूप से चली आ रही ग्राम देवी देवता (पेन पुरखों) गोटूल, गुड़ी आदि के स्थलों पर आवश्यक सुविधाओं का विकास करना।
   - (iv) चारागाह, श्मशान की समुचित व्यवस्था करना।
   - (v) गांव के आस-पास हरियाली बढ़ाने छायादार फलदार वृक्षों का रोपण।
   - (vi) गांव की परंपरा और वर्तमान समय की उभरती आवश्यकताओं, मान्यताओं इत्यादि में समन्वय बनाकर ग्राम सभा अपने नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सक्षम है ।
2. इस व्यवस्था को संभव बनाने में ग्राम सभा के सभी सदस्य परिवारों की सहभागिता अपेक्षित होगी
3. नागरिक सुविधाओं में अन्य बातों के साथ-साथ नीचे लिखी बातें होंगी :-
   - (i) सड़कों,गलियों की सफाई।

(ii) पानी का निकास ,नालियों की व्यवस्था।

(iii) पानी के स्रोतों की सफाई, रखरखाव, जल संचयन और पानी का परिशोधन नितान्त आवश्यक हो।

(iv) बढ़ती आबादी के संदर्भ में खासतौर से सभी नागरिकों हेतु शौचालय की व्यवस्था, खुली जगह इत्यादि के उपयोग का नियमन।

(v) तालाबों की सफाई, रखरखाव, गहरीकरण, इत्यादि।

(vi) प्रकाश की व्यवस्था।

4. ग्राम सभा (3) में लिखे प्रत्येक कार्य के लिए टोलियां बनाकर ज़िम्मेदारी दे सकेगी ।

5. ग्राम सभा नागरिक सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव के लिए प्रत्येक परिवार पर श्रम दिवस के रूप में योगदान देने की ज़िम्मेदारी तय कर सकती है। इस ज़िम्मेदारी से किसी भी सक्षम परिवार को किसी स्थिति में छुट नहीं मिल सकेगी। उनके श्रम के रूप में न्यूनतम योगदान जमा किया जायेगा, जिसे श्रम बैंक में जमा करने के लिए ग्राम सभा निर्देश दे सकेगी।

93. गाँव समाज में सुविधाओं की व्यवस्था

अ.शिक्षा

(1) सभी शिक्षण संस्थाएं, जिनमें आंगनबाड़ी, निजी स्कूल और छात्रावास भी शामिल हैं, अपने कामकाज के लिए ग्राम सभा के प्रति जिम्मेदार होंगे। इन सभी संस्थाओं के सहयोग के लिए, प्रत्येक ग्राम सभा में एक शिक्षा समिति होगी।

(2) शिक्षा समिति यह ध्यान रखेगी की:

क) विद्यालयों, आंगनबाड़ी एवं छात्रावास में प्राथमिक शिक्षा मातृ भाषा / स्थानीय भाषा बोली में देने की व्यवस्था की जाए।

ख) गांव का विद्यालय/आंगनबाड़ी स्थानीय शिक्षा एवं सांस्कृतिक का केंद्र बने

ग) सुनिश्चित करेगी कि गांव में काम करने वाले सभी कर्मचारी यथा शिक्षक गांव में ही निवास करें। अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितियों में उनके बाहर निवास करने के लिए ग्राम सभा का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

घ) बच्चो/छात्र छात्राओं को उनके मातृभाषाओं में प्रार्थना कराई जाऐ व उनके ग्राम के अराध्य शक्तियों के आधार पर ही उनके शैक्षणिक गतिविधियों के दौरान पूजा-पाठ आदि की व्यवस्था की जाए ताकि उनके पारम्परिक आस्था विश्वास पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

ङ) कुपोषण नियंत्रण के लिए स्थानीय वन के उत्पादों का उपयोग हो

(3) गाँव के सभी स्तर के विद्यालय / शैक्षणिक संस्थान /आंगनबाड़ी ग्राम सभा के अनुमोदन से अपने पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री और संचालन के समय में स्थानीय स्थिति के अनुसार बदलाव कर सकेंगे।

(4) शिक्षा समिति ग्राम सभा की बैठक में विद्यालय के पिछले महीनों की गतिविधियों का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी। इस समीक्षा के आधार पर आगे की कार्यवाही भी तय करेगी।

ब. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

1. गांव की स्वास्थ्य सेवाएं परंपरागत चिकित्सा पद्धति को उचित मान्यता देते हुए क्रियाशील होगी जिसका आधुनिक चिकित्सा संस्थाओं और व्यवस्थाओं से बराबरी का संबंध होगा
2. गांव में स्थित स्वस्थ्य और परिवार कल्याण के विषय की देखरेख के लिए ग्राम सभा में एक स्वास्थ्य समिति होगी।
3. स्वास्थ्य समिति ग्राम के स्वास्थ्य के लिए योजना बनायेगी जिसमें व्याप्त बीमारियों की रोकथाम के लिए जांच/उपचार एवं दवाई आदि की व्यवस्था शामिल होगी।
4. वर्ष के प्रारम्भ में ग्राम सभा के समक्ष समिति द्वारा गाँव में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही प्रत्येक संस्था के संबंध में, उस में कार्य करने वालों का ब्यौरा सहित, उसके विभिन्न काम काजों के लिए तय की गई धनराशि, गांव के लिए स्वास्थ्य तथा जच्चा-बच्चा के लिए विशेष कार्यक्रम, यदि कोई हो इत्यादि का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।
5. ग्राम सभा स्थानीय दाईयों को उनकी जच्चा बच्चा सेवा के लिए ग्राम कोष से उचित मानदेय दे सकेगी।
6. ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेंगे कि चिकित्सक सहित सभी स्वास्थ्य कर्मी गांव में रहते हैं तथा लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलने में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है,

7. ग्राम सभा के समक्ष स्वास्थ्य समिति समय समय पर स्वास्थ्य के बारे में सामान्य समीक्षा प्रस्तुत करेगी और उसके निर्णय के अनुसार आगे कार्य करेगी।

स. खाद्य सुरक्षा व पोषण - ग्राम में खाद्य सुरक्षा व पोषण की उपलब्धता सतत बनी रहे इसके लिए ग्राम सभा खाद्य सुरक्षा व पोषण समिति बनाते हुए लोगों की परम्पराओं और रूढ़ियों के अनुसार (पांघर व्यवस्था के अनुरूप-समुदाय का छोटा समूह, पारा, टोला इत्यादि में) आपसी सहयोग से एक अन्न तथा बीज़ भंडार की स्थापना करते हुए उसका बंधन करने के लिए सक्षम होगी. साथ ही:

i. ग्राम सभा खाद्यन्न बैंक बनाने के लिए एक खाद्य कोष तैयार करेगी जिसमे सदस्यों द्वारा अनाज तथा बीज के भंडारण में योगदान देने तथा उनसे इस हेतु अनाज खरीदने के लिए ग्राम सभा नियम बना सकती है।

ii. अकाल, संकट, महामारी आदि जैसी प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी कारण से फसल कम या नहीं होने के मामले के आपातकालीन व्यवस्था ऐसे अनाज और बीज भंडार से कि जा सकेगी।

iii. ग्राम सभा कुछ उत्पादों को समय पूर्व क्रय कर थोक मूल्य पर सीधे बाज़ारों में विक्रय की योजना बनाकर ऐसे गरीब उत्पादकों, संग्राहकों को लाभ प्रदान कर सकती हैं जो कम दाम पर बिचोलियों को बेचकर अपनी पोषण व स्वास्थ्य जरूरतें पुरी नहीं कर पा रहें हैं

iv. ग्राम सभा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए ऋण के रूप में भी अनाज भण्डार से अन्न प्रदान करने के लिए नियम और शर्तें निर्धारित करने में सक्षम होगी।

v. ग्राम सभा उन व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार अनाज प्रदान करेगी जिनके पास भोजन की कमी है;

vi. बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों के लिए अनुसंशित पारंपरिक जैविक उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए ग्राम सभा विनियम बना सकती है.

vii. ग्राम सभा में प्रचलित पारंपरिक भोजन चक्र व हर मौसम आधारित खाद्य सुरक्षा सबन्धी पर्व, पंडूम, हनुम, त्योहारों को सतत जारी रख पोषण उपलब्धता सुनिश्चित कर सकती है.

viii. गांव के सीमाओं के अंदर उत्पादित खाद्य पदार्थो की मैपिंग कर व उसका डाटाबेस बना सकती है

ix. बहुराष्ट्रीय कंपनियों या कोई भी फर्म, कंपनी, व्यक्ति द्वारा ग्राम सभा के किसी व्यक्ति, परिवार, संस्था, समिति से कृषि उत्पाद, अनाज जैसे पोषण सबंधित उत्पादो का सीधे अनुबंध नही कर सकेंगे अपितु ग्राम सभा मार्गदर्शक के रूप में ऐसे सभी अनुबंधों में सम्मिलित भी रहेगी. इससे कंपनी के भविष्य में वादों से मुकरने कंपनी के दिवालिया घोषित होने, कम्पनीयों से संचालकों के धोखाधड़ी से भोले -भाले ग्रामीणों को पोषण सबंधित गंभीर परिस्थितियों से बचा सके.

द .सहकारी समितियों पर नियंत्रण

1. किसी भी कानून में किसी भी व्यवस्था के बावजूद सभी सहकारी समितियां अपने क्षेत्राधिकार में शामिल संबंधित गांव के लोगों से जुड़े सभी मामलों के लिए उस गांव की ग्राम सभा के प्रति जिम्मेदार होगी।
2. जहां तक संभव हो प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र में कम से कम एक सहकारी समिति होगी एवं ऐसा प्रयास किया जायेगा अनुसूचित जनजाति की एक सहकारी समिति अनिवार्य रूप से हो।
3. प्रत्येक सहकारी समिति वर्ष के प्रारंभ में प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा के समक्ष अपने कार्यों की समीक्षा और आगे के लिए प्रस्तावित कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी। इस समीक्षा और प्रस्तावों पर ग्राम सभा यदि कोई सुझाव देती है तो ऐसे सुझावों को मानना सहकारी समिति के लिए बाध्यकारी रहेगा।
4. समिति अपने कामकाज का संक्षिप्त ब्यौरा प्रत्येक तिमाही में ग्राम सभा को मासिक बैठक में प्रस्तुत करेगी तथा सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का समाधान कारक जानकारी देगी।

ई .सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर नियंत्रण

1. ग्राम सभा अपने सीमा क्षेत्र में संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन के लिए समिति बनाने अथवा किसी व्यक्ति को अधिकृत करने के लिए सक्षम होगी।
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गांव में अधिकृत समिति, समूह या व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं की आमद, बिक्री, स्टॉक इत्यादि के बारे में पूरी जानकारी ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत करेंगे।
3. जहां कहीं किसी भी कारण से किसी वस्तु का अभाव है या उसकी वितरण व्यवस्था संतोषजनक नहीं है, ग्राम सभा उसमें सुधार के लिए आवश्यक निर्देश देगी। सर्व संबंधित के लिए उन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

अध्याय 17
विधिक प्रावधान

94. राज्य कानून को स्थानीय पारंपरिक, प्रथागत कानून, रूढ़िजन्य सामाजिक परम्पराओं के अनुसार करने हेतु ग्राम सभा :

1. अनुसूचित क्षेत्रों संविधान के 11 अनुसूची के 29 विषय के क्रियान्वयन से सम्बंधित किस भी कानून अथवा नियम या योजना को लागू करने से पूर्व उनका ग्राम सभा की स्थानीय पारंपरिक, प्रथागत कानून, रूढ़िजन्य सामाजिक परम्पराओं के अनुरूप किये जाने हेतु सलाह लिया जाना अनिवार्य होगा
2. यदि किसी ग्राम सभा की राय है कि कोई भी राज्य का कानून या नियम या कार्यकारी आदेश या कोई योजना ग्राम में प्रचलित प्रथागत कानून, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओं के अनुरूप नहीं है, तो वह ऐसे कानून या नियम या कार्यकारी आदेश में संशोधन बाबत प्रस्ताव पारित करते हुए सिफ़ारिशें कर सकता है।
3. ग्राम सभा सचिव ऐसे पारित प्रस्ताव को जिला कलेक्टर एवं राज्य सरकार के अनुसूचित जनजाति विभाग एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को प्रेषित करेगा।
4. अनुसूचित जनजाति विभाग का सचिव ग्राम सभा के ऐसे प्रस्ताव को विषय से सम्बंधित विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं अपने अभिमत सहित जनजातीय सलाहकार परिषद के समक्ष रखेगा जिस पर विचार के बाद परिषद सरकार और राज्यपाल को अपनी सिफ़ारिशें देगी एवं उसकी एक प्रति ग्राम सभा को भी उपलब्ध करवाएगी।
5. ऐसी सिफारिशों के आधार पर राज्यपाल अथवा राज्य सरकार ऐसे असंगत प्रावधानों को बदलने की कार्यवाही करेंगे और उसकी जानकारी ग्राम सभा को उपलब्ध करवाएंगे.
6. पेसा की धारा 4 से असंगत होने वाली विधि, नियम अथवा योजना अनुसूचित क्षेत्रों में अपवाद व उपांतरण के साथ लागू होंगे।

95. अधिनियम की धारा 4 के अनुरूप अन्य सुसंगत विधियाँ

1. पेसा नियम के अधिसूचित होने के एक वर्ष के भीतर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पांचवी अनुसूची क्षेत्रो में लागू समस्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, प्रशासकीय आदेशों का अध्ययन कर जो भी पेसा अधिनियम की धारा 4 (क) से (ण) से असंगत है उनमे संशोधन किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर उन्हें पेसा अनुरूप बनाएगा.
2. राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में जिला एवं जनपद स्तरों पर पंचायतों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की स्वराज परिकल्पना करने हेतु राज्य सरकार छठी अनुसूची के ढाँचा का अनुसरण करने का प्रयास करेगा. इस हेतु राज्य स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की समीक्षा कर स्वशासी परिषद का गठन करने हेतु राज्य सरकार पंचायत एवं ग्रामीण विकास के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के विधायकों में से एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगी जो इस हेतु विनियम का ढांचा बना राज्य सरकार को 1 वर्ष के भीतर प्रस्तुत करेगी जिसे लागू करना राज्य सरकार के लिए अनिवार्य होगा.

अध्याय- 18
विविध प्रावधान

96. अंधविश्वास जादू टोना इत्यादि के मामले:

1. ग्रामसभा यह तय करेगी कि किस तरह की पद्धति/घटना को अंधविश्वास जादू टोना की श्रेणी में रखा जाए।
2. ग्राम सभा अंधविश्वास और जादू-टोना पर रोक लगाने का प्रयास करेगी।
3. ग्राम सभा की खुली बैठकों में अंधविश्वास या जादू से संबंधित मामलों पर विचार किया जा सकता है
4. अंधविश्वास के मामलों पर ग्राम सभा की तीन लगातार बैठकों में चर्चा की जा सकती है ताकि सभी को इस मामले पर विचार करने का मौका मिले।
5. अंधविश्वास जादू टोना के मामले में यदि ग्राम सभा में लिए गए निर्णय से कोई व्यक्ति या पक्ष संतुष्ट नहीं होता तो वह परगना न्याय समिति में उक्त मामले को पेश कर सकते हैं। परगना न्याय समिति का निर्णय सबको मान्य होगा और यह निर्णय अंतिम होगा।
6. ग्राम सभा चाहे तो ऐसे मामले के बारे में तथ्यात्मक और वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को निवेदन कर सकेगी जो की 15 दिन के अन्दर ऐसे पर्यवेक्षक को नामांकित करेगा।

7. अंधविश्वास संबंधी मामलों में चुंकि बहुत से सांस्कृतिक व रूढ़ीगत जुडाव या विश्वास जुड़ा रहता है ऐसे संवेदनशील मामलों पर यदि पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करने से पूर्व संम्बधित ग्राम सभा से इस मामले से परामर्श किया जायेगा।

97. राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति समाज जिनका जनपद एवं जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व नहीं है का नामांकन

1. राज्य सरकार जनपद एवं जिला पंचायत में ऐसे अनुसूचित जनजाति समाज के प्रतिनिधियों को नामांकित कर सकेगी जिनका जनपद एवं जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व नहीं है परन्तु ऐसे व्यक्तियों का कुल नामांकन जनपद एवं जिला पंचायत के कुल सदस्यों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा.

   परन्तु यदि सदस्यों की संख्या 10 से अधिक है तो 2 सदस्यों को, 20 से अधिक है तो 3 सदस्यों को एवं 30 से अधिक है तो 4 सदस्यों को नामांकित किया जायेगा.

2. ऐसा नामांकन उन जिला पंचायतों में भी किया जायेगा जिनका क्षेत्र में एक या उससे अधिक विकासखंड पांचवी अनुसूची में आते है लेकिन अन्य विकासखंड पांचवी अनुसूचित के दायरे में नहीं है
3. राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जिला कलेक्टर द्वारा ऐसा नामांकन हेतु प्रत्येक जिला एवं जनपद पंचायत के अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की अलग से बैठक आयोजित की जाएगी जिसमे अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को छोड़ कर और कोई भाग नहीं लेगा (जिसमे जिला कलेक्टर भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे). ऐसी बैठक के बाद सम्बंधित प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से ऐसे व्यक्तियों का नाम तय कर जिला कलेक्टर को दिया जायेगा
4. ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होने पर कलेक्टर ऐसे नाम को 15 दिवस के भीतर राजपत्र में प्रकाशित कर ऐसे व्यक्तियों को नामांकन का प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे एवं उन्हें सम्बंधित जनपद एवं जिला पंचायत का सदस्य घोषित करेंगे.
5. ऐसे सदस्यों को सामान्य रूप से निर्वाचित सदस्यों के बराबर अधिकार होंगे
6. ऐसे जनप्रतिनिधियों को नामांकित करते वक्त प्राथमिकता निम्नानुसार दी जाएगी:
   - क) विशेष पिछड़ी जनजाति के व्यक्तियों को
   - ख) ऐसी जनजाति जिनकी आबादी सम्बंधित जनपद/जिला पंचायत क्षेत्र में सबसे कम हो
   - ग) ऐसी जनजाति जिनका सम्बंधित जनपद/जिला पंचायत के पिछले 2 कार्यकाल में प्रतिनिधित्व नहीं रहा हो

98. नियम के लागू होने के बाद किर्यान्वयन हेतु जिम्मेदारी तय किया जाना:

1. इन नियमों के लागू होने तीन माह के भीतर राज्य सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इसके क्रियान्वयन हेतु सम्बंधित विभागों की जिम्मेदारी तय करते हुए उसके क्रियान्वयन की निगरानी का मापदंड तय किया जायेगा
2. ऐसे तय मापदंड की निगरानी राज्य, जिला एवं विकासखंड स्तर पर गठित एक निगरानी समिति द्वारा की जाएगी.
3. राज्य स्तरीय निगरानी समिति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सभी मंत्रियों एवं जिला स्तरीय निगरानी समिति के अध्यक्षों से मिल कर बनेगी एवं इसका सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का सचिव होगा
4. जिला स्तरीय निगरानी समिति जिला पंचायत के अनुसूचित जनजाति के सभी सदस्यों एवं जिला में आने वाले अनुसूचित विकासखंड के विकासखंड स्तरीय निगरानी समिति के अध्यक्षों से मिल कर बनेगी. इसका अध्यक्ष जिला पंचायत के अनसुचित जनजाति के सदस्यों द्वारा अपने बीच में से जिला पंचायत की पहली बैठक में सर्व सम्मति से चुना जायेगा एवं ऐसी चयन में कोई भी शासकीय कर्मचारी भाग नहीं लेगा. ऐसी समिति का सचिव जिला कलेक्टर एवं संयुक्त सचिव जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा.
5. विकासखंड स्तरीय निगरानी समिति जनपद पंचायत के अनुसूचित जनजाति के सभी सदस्यों से एवं विकासखंड में आने वाली ग्राम सभाओं के 25 प्रतिनिधियों से मिल कर बनेगी जिनका नामांकन ग्राम सभाओं के नाम के पहले अक्षर अनुसार चक्रानुक्रम में किये जायेगा. इसका अध्यक्ष जनपद पंचायत के अनसुचित जनजाति के सदस्यों द्वारा अपने बीच में से जनपद पंचायत की पहली बैठक में सर्व सम्मति से चुना जायेगा एवं ऐसी चयन में कोई भी शासकीय कर्मचारी भाग नहीं लेगा. ऐसी समिति का सचिव अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं संयुक्त सचिव जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा.
6. राज्य स्तरीय निगरानी समिति, जिला स्तरीय निगरानी समिति एवं जनपद स्तरीय निगरानी समित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तय निगरानी हेतु मापदंड को संशोधित कर सकेगी अथवा नए मापदंड भी जोड़ सकेगी.

7. ऐसी समितियों की बैठक प्रत्येक चार माह में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी एवं इसकी बैठक हेतु एजेंडा का निर्धारण करने से पूर्व सभी सदस्यों से प्रस्ताव मंगवाया जायेगा.
8. निगरानी समिति पेसा नियमों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश सम्बंधित विभागों को दे सकेगी एवं उनका पालन नहीं होने पर राज्य, जिला और जनपद स्तरीय समिति क्रमशः 1,00,000 रूपए, 75,000 रूपए और 50,000 रूपए तक का जुर्माना लगा सकेगी.
9. निगरानी समिति की यह जिम्मेदारी होगी की वह प्रत्येक वर्ष पेसा से असंगत अधिनियमों, नियमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं की समीक्षा कर उन्हें पेसा अनुरूप बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे.

99. **निरसन -** इन नियमों के प्रवृत्त होने पर, इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य के अधिसूचित क्षेत्र में प्रवृत्त इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम निरस्त हो जाएंगे

परंतु इस प्रकार निरसित किन्ही भी नियमों के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्यवाही के बारे में जब तक ऐसी कोई बात या कार्यवाही, इन नियमों की किन्ही उपबंधों से असंगत न हो, यह समझा जायेगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई है

अनुग्लनक 1

क्रमांक	IPC की धारा	अपराध	अधिकतम सजा
1.	160	दंगा करने के लिए दंड	अधिकतम 100 रूपए तक का जुर्माना
2.	264	तौलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग	अधिकतम 500 रूपए तक का जुर्माना
3.	265	खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग	अधिकतम 500 रूपए तक का जुर्माना
4.	266	खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना	अधिकतम 200 रूपए तक का जुर्माना
5.	267	खोटे बाट या माप को बनाना या बेचना	अधिकतम 1000 रूपए तक का जुर्माना
6.	269	उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना संभाव्य हो	अधिकतम 500 रूपए तक का जुर्माना
7.	277	लोक जल-स्त्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना	अधिकतम 500 रूपए तक का जुर्माना
8.	283	लोकमार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा	अधिकतम 200 रूपए तक का जुर्माना
9.	285	अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण	अधिकतम 500 रूपए तक का जुर्माना
10.	286	विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण	अधिकतम 1000 रूपए तक का जुर्माना
11.	288	किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण	अधिकतम 500 रूपए तक का जुर्माना
12.	289	जीव-जंतु के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण	अधिकतम 500 रूपए तक का जुर्माना
13.	290	अन्यथा उपबंधित मामलों में लोक न्यूसेन्स के लिए दंड	अधिकतम 200 रूपए तक का जुर्माना
14.	294	अश्लील कार्य और गाने	अधिकतम 200 रूपए तक का जुर्माना
15.	298	धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के सविचार आशय से शब्द उच्चारित करना आदि	अधिकतम 500 रूपए तक का जुर्माना
16.	323	जानबूझ कर स्वेच्छा से किसी को चोट पहुँचाने के लिए दण्ड	अधिकतम 1000 रूपए तक का जुर्माना
17.	334	प्रकोपन पर स्वेच्छया क्षति करना	अधिकतम 500 रूपए तक का जुर्माना
18.	336	दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को ख़तरा पहुँचाने वाला कार्य।	अधिकतम 250 रूपए तक का जुर्माना
19.	341	सदोष अवरोध के लिए दण्ड	अधिकतम 500 रूपए तक का जुर्माना
20.	352	गम्भीर प्रकोपन के बिना हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दण्ड	अधिकतम 500 रूपए तक का जुर्माना
21.	374	विधिविरुद्ध बलपूर्वक श्रम	अधिकतम 1000 रूपए तक का जुर्माना
22.	379*	चोरी के लिए दंड	अधिकतम 1000 रूपए तक का जुर्माना
23.	403*	सम्पत्ति का बेईमानी से गबन / दुरुपयोग	अधिकतम 500 रूपए तक का जुर्माना
24.	411*	चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना	अधिकतम 500 रूपए तक का जुर्माना
25.	417*	छल के लिए दण्ड	अधिकतम 500 रूपए तक का जुर्माना
26.	426	रिष्टि के लिए दण्ड	अधिकतम 200 रूपए तक का जुर्माना
27.	427	कुचेष्टा जिससे पचास रुपए का नुकसान होता है	अधिकतम 200 रूपए तक का जुर्माना
28.	428	दस रुपए के मूल्य के जीवजन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि	अधिकतम 100 रूपए तक का जुर्माना
29.	429	किसी मूल्य के ढोर, आदि को या पचास रुपए के मूल्य के किसी जीवजन्तु का वध करने या उसे विकलांग करने आदि द्वारा कुचेष्टा	अधिकतम 500 रूपए तक का जुर्माना
30.	447	आपराधिक अतिचार के लिए दण्ड।	अधिकतम 500 रूपए तक का जुर्माना
31.	448	गृह-अतिचार के लिए दण्ड।	अधिकतम 1000 रूपए तक का जुर्माना
32.	500	मानहानि के लिए दण्ड	अधिकतम 500 रूपए तक का जुर्माना
33.	504	शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना	अधिकतम 200 रूपए तक का जुर्माना
34.	506	धमकाना	अधिकतम 1000 रूपए तक का जुर्माना
35.	509	शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है	अधिकतम 1000 रूपए तक का जुर्माना
36.	510	शराबी व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में दुराचार	अधिकतम 10 रूपए तक का जुर्माना

परिशिष्ट 1 पेसा नियम के तहत ग्राम सभा द्वारा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत परिक्षण किये जा सकने वाले अपराध :-

*बशर्ते की संपत्ति की कीमत 250 रूपए से ज्यादा न हो